खण्ड-295, अंक-2
मंगलवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1894
(21 मार्च, 1972 ई0)

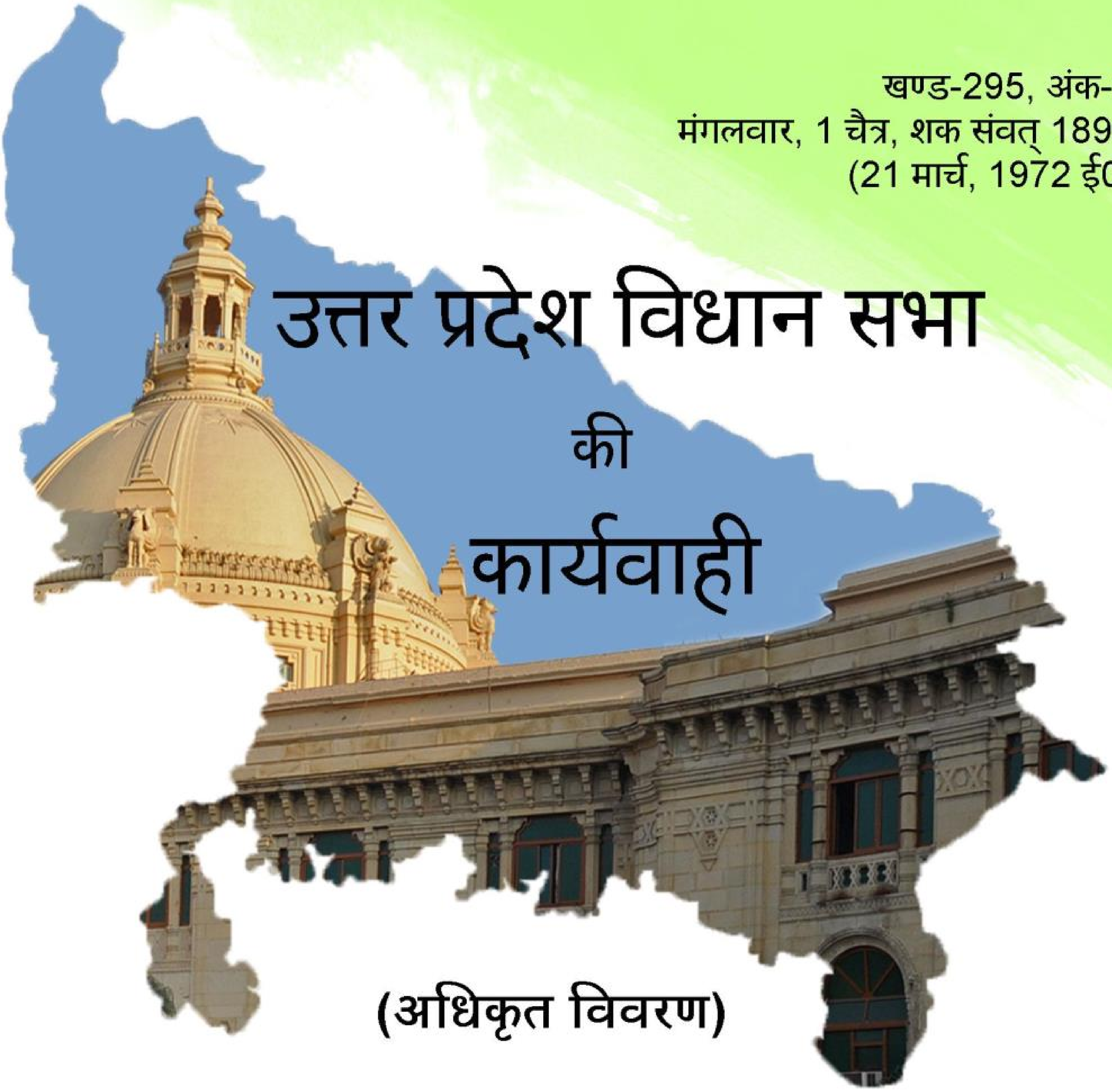

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१–५५
प्रश्नोत्तर	५६–८८
वित्त एवं विनियोजन लेखे १९६९–७० तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष १९६९–७० की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	८८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	८९
विरोधी पक्ष के माइक काटने के सम्बन्ध में शिकायत	८९–९०
जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधिकारी गोंडा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	९०–९४
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सूचना ..	९४–१००
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ (पुरःस्थापित किया गया)	१००
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ (पुरःस्थापित किया गया)	१०१
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	१०१–१०४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	१०४
कार्य स्थगन प्रस्तवों की सूचनाएं	१०४
१९७१–७२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	१०४–१२४
१९७१–७२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत जोतकर (स्वीकृत)	१२४
अनुदान संख्या २—भू–राजस्व (स्वीकृत)	१२५
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	१२५
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत)	१२५
अनुदान संख्या ९—निर्वाचन (स्वीकृत)	१२५–१२६
अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	१२६
अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	१२६
अनुदान संख्या १४—कारागार (स्वीकृत)	१२६
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	१२६–१२७
अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	१२७
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	१२७
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	१२७
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	१२८
अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	१२८
अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	१२८
अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	१२८–१२९

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत)	१३१
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	१३१
अनुदान संख्या ३७—परिवहन (स्वीकृत)..	१३२
अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत).. ..	१३२
अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	१३२
अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	१३२–१३३
अनुदान संख्या ४४—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	१३३
अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१३३
अनुदान संख्या ४८—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१३३
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१३४
अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१३४
अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१३४
अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशिमूल्य (स्वीकृत)	१३४–१३५
अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत).. ..	१३५
अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	१३५
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१–७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ (विचारोपरान्त पारित)	१३५–१४९
१९७२–७३ के लिए लेखानुदान (स्वीकृत)..	१४९
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ (पारित) ..	१४९–१५७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१५७–१५९
नत्थियां	१६०–१६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ मार्च, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९३

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम, श्री (जिला बरेली)
केशो राम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राय, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरलक सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण बन, श्री
दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री

प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्नीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मोहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री

राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद श्री
राम प्रसाद दशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़)
(रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन पांडेय,
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी,
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री

शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद, सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह दोरा, श्री
हुकुम सिंह (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य तथा सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २१ मार्च, १९७२

अल्पसूचित ताराकित प्रश्न

हलिया-कुशीयरा जिला मिर्जापुर की सड़क

**१—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत हलिया विकास खण्ड में हलिया से ग्राम कुशीयरा तक जाने वाली जिला परिषद् की सड़क को जंगल विभाग ने प्लान्टेशन में ले लिया है? यदि हां, तो उस क्षेत्र की जनता के आने जाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

सूचना उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत हलिया विकास खण्ड में हलिया से ग्राम कुशोमरा तक जाने वाली जिला परिषद् की किसी सड़क को वन विभाग ने प्लान्टेशन में नहीं लिया है। अतः उस क्षेत्र को जनता के आने जाने के लिये कोई व्यवस्था करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम निहोर राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क की लम्बाई और चौड़ाई क्या है?

श्री गुलाब सिंह—

सड़क है ही नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) —

इस सड़क के ऊपर आम जनता को आने जाने में वन विभाग के जो रक्षक रुकावट डालते हैं, क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है।

श्री गुलाब सिंह—

जी नहीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

सड़क तो खुली हुई है लेकिन जो पेड़ लगे हैं उनको क्या प्लान्टेशन विभाग ने अपने अधीन ले लिया है।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी नहीं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

चूंकि उस क्षेत्र के वनवासी और हरिजन समुदाय वहां बड़ी मात्रा में रहते हैं और वे इसी सड़क से जाते हैं तो क्या सरकार इस बात की जांच करने का आश्वासन देगी कि ऐसी सड़क निकलेगी तो वे उस सड़क को घोषित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

जब इन्कार कर दिया गया है तो प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार हमारी बात को सत्य मान कर इस चीज का आश्वासन देगी कि जो वन विभाग के रक्षक हैं जो रुकावट डालते हैं उसकी जांच करेगी।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां।

राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

**२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में आज के मूल्य सूचकांक के आधार पर क्या अन्तर है? सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिये वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पूर्व क्या उनकी आन्तरिक राहत में वृद्धि करेगी?

वत्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन मान अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि १९४९ में १०० के बराबर था, के आधार पर निर्धारित किए हुए हैं और इसमें हुई वृद्धि पर श्रेणी के अनुसार महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि स्वीकार की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन मान १९६०–६१ के मूल्य स्तर से सम्बद्ध हैं और महंगाई भत्ते की दरें उसके बाद हुई मूल्य स्तर में वृद्धि तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वीकार की गयी हैं। अतः मूल्य सूचकांक के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा या कार्यवाही सम्भव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतलायेंगे कि इस समय मूल्य सूचकांक के आधार पर आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो क्या इस समय सरकार यह बतायेगी कि राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते में विभिन्न श्रेणियों में वास्तविक अन्तर क्या है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जो केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन मान के प्रसंग में महंगाई भत्ता आदि देती है वह १९४९ में १०० प्राइस इन्डेक्स मान कर देती है। हमारे यहां जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह सन् १९६०–६१ के आधार पर दिया जाता है। इसलिये उसकी तुलना करना सम्भव नहीं है। जहां तक दोनों प्रकार के महंगाई भत्तों को मिला कर देने का सम्बन्ध है जितना १९४७ में महंगाई सूचकांक था उसके आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को तथा अन्य अध्यापकों को स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को शैक्षिक कर्मचारियों को उतना महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो अतिरिक्त व्यय वार्षिक ४५.१७ लाख होगा। इसके अलावा १३ करोड़ कर्मचारियों को अधिक देना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा जैसी कि घोषणा की गई है कि १५.७० लाख रुपये अधिक अन्तरिम सहायता देने का निर्णय किया गया है इसका परिणाम यह होगा कि जहां तक अन्तरिम सहायता का सवाल है वह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों, अध्यापकों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का सभी का बराबर हो जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वित्त मंत्री जी जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वास्तविक अन्तर है, तो उस वास्तविक अन्तर को समाप्त करने के सिद्धान्त को आपने स्वीकार किया है, तो यह मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि इस अन्तर को समाप्त करने के विषय में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, एक कदम तो कल ही उठाया है कि साल भर के अन्दर ३९ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त अध्यापकों, जो जिला परिषद्, म्यूनिसिपल बोर्ड तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारी, प्राइमरी स्कूल के कर्मचारी हैं, सभी को एक समान स्तर पर महंगाई भत्ता दिया है। इसके अतिरिक्त एक कदम यह उठाया गया है कि वेतन आयोग से जो सिफारिश मांगी गई है उसमें एक मुख्य सिफारिश यह भी है कि महंगाई भत्ते का सिद्धान्त क्या हो, उस महंगाई भत्ते के लिये संसाधन कहां से आयें और उनसे आग्रह किया गया है कि जुलाई तक अपनी संस्तुति दे दें। इसके अतिरिक्त केन्द्र से यह भी आग्रह किया गया है कि केन्द्रीय पे कमीशन एक राष्ट्रीय पे कमीशन के रूप में कार्य करे। वह न केवल अपने कर्मचारियों के लिये संस्तुति करे वरन् प्रदेशीय कर्मचारियों, अध्यापकों आदि सभी के लिये राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में विचार करे। इस संबंध में अभी हाल में प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष तथा केन्द्र के वित्त मंत्री श्री चव्हाण साहब से बातचीत हुई थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आई० ए० एस० सर्विसेज के व्यक्ति हैं उनको जो डिअरनेस अलाउन्स मिलता है, तो क्या उसी हिसाब से पी० सी० एस० सर्विसेज को देते हैं। यदि नहीं, तो इस अन्तर को कम करने के लिये क्या किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक पी० सी० एस० और आई० सी० एस० का सवाल है, उनको उस आधार पर महंगाई भत्ता नहीं मिलता जिस आधार पर आई० ए० एस० को मिलता है १०० रु० माहवार। इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और वेतन आयोग से कहा जायेगा कि इन पी० सी० एस० कर्मचारियों को, या जो पी० सी० एस० तरक्की पा चुके हैं. उनको महंगाई भत्ता मिलना चाहिये कि नहीं, और अगर मिलना चाहिये तो किस आधार पर मिलना चाहिये तथा आई० ए० एस० के समकक्ष मिलना चाहिये अथवा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइस इन्डेक्स जो सन् १९४९ का है और सन् १९६०-६१ का है, वह किस आधार पर चुना गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सन् १९६७ में जब एस० वी० डी० की सरकार थी उसने शर्मा कमेटी बनाई थी उसे वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों पर पुनः विचार करने के लिये कहा गया था। उसमें यह निर्णय हुआ था कि सन् १९६०-६१ का सूचकांक माना जाय जिसे तत्कालीन सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि सन् १९६०-६१ के सूचकांक को महंगाई भत्ते का आधार माना जाय। यह शर्मा कमेटी की भी रिपोर्ट थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

महंगाई भत्ते पर निर्णय करते समय, माननीय वित्त मंत्री जी क्या चौधरी चरण सिंह की इस टिप्पणी पर विचार करेंगे कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक तथा अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कम तथा एक निश्चित सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कुछ भी महंगाई भत्ता न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नीति संबंधी प्रश्न है और प्रस्तुत प्रश्न से कोई संबंध नहीं रखता। उन्होंने केवल वस्तु-स्थिति बताई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैंने तो केवल यह चाहा है कि वह इसको ध्यान में रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी इसको ध्यान में रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस विषय पर जो माननीय चरण सिंह जी के विचार हैं मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि वेतन आयोग से यह आग्रह किया गया है कि डियरनेस एलाउन्स पर जो १९६७ की रिपोर्ट है उस पर भी विचार कर ले।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, आपने यहां सदन म कई बार घोषणा की कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानता हो और इसको आपने स्वीकार भी कर लिया है। अब आप कहते हैं कि वेतन आयोग को यह प्रश्न सौंप दिया गया है कि महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाय। क्या आप अपने सिद्धांत पर अडिग हैं अथवा जो वेतन आयोग निश्चित करेगा उसके आधार पर आप यह देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और प्रदेशीय सरकार भी यही चाहती है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वही महंगाई भत्ता मिले जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। मैं तो उससे भी एक कदम आगे जा रहा हूं कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी उसी प्रकार महंगाई भत्ता दें, उन्हें हम यह दे भी रहे हैं। वेतन आयोग से कहा भी जा रहा है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, अध्यापकों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाय उस पर वे विचार करें।

श्री राम गोपाल संड--

माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि जुलाई, १९६६ से राज्य सरकार के कर्मचारियों का बराबर प्रदर्शन तथा आन्दोलन इसी प्रश्न को लेकर होता रहा है। अभी उन्होंने इसी प्रश्न को लेकर १४ व १५ मार्च को आकस्मिक हड़ताल भी की। उनके अन्दर व्यापक असंतोष है। यह कह देने से कि वह वेतन आयोग को सुपुर्द कर दिया गया है मालूम होता है कि राज्य सरकार इस मामले को टालना चाहती है। यदि वह सिद्धांत को मानती है तो वह तत्काल घोषणा करे कि वह अपने कर्मचारियों को भी उतना ही महंगाई भत्ता देगी जितना केंद्र के कर्मचारियों को मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस प्रकार का सुझाव दे दें। मैं इस प्रकार के प्रश्न को करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राम गोपाल संड---

मैं पुनः इस प्रकार से प्रश्न किये देता हूं। क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में २७ रु० से ६० रु० का अन्तर महंगाई भत्ते में है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिये उनको अभी और कितने महीने चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह नया प्रश्न है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

जितना महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया है, जो इन्टेरिम रिलीफ उनको दी गई है हम उतना भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं दे पाये हैं। उसको पूरा करने में वित्त मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस संबंध में जो कुछ भी सम्भव था उसकी कल घोषणा कर दी गई है।

ग्राम पंचायतों का चुनाव

**३---श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुनाव अनिश्चित काल के लिये टाल दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब तक सम्पन्न हो जायेंगे ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

जी नहीं। प्रदेश की गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन अप्रैल-जून, १९७२ में सम्पन्न कराये जायेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों के चुनाव अप्रैल से प्रारम्भ करने के संबंध में परिपत्र जिला अधिकारियों को भेज दिये गये हैं, उसका प्रारूप परिपत्र का क्या है ? साथ ही उसमें निश्चित तारीख की सूचना भी नहीं दी गई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लोकल बाडीज के साथ ही साथ क्षेत्र समितियों के भी आप एलेक्शन करवाने जा रहे हैं या उनको टाला जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, प्रश्न पंचायतों के चुनाव का था उसके बारे में रूप निश्चित है। उनके चुनाव ४ अप्रैल से ३० जून के बीच में करवा दिये जायेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में श्री रोहित सिन्हा की मां की डाक्टर की लापरवाही से मृत्यु की शिकायत

*१—चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर) तथा श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री रोहित सिन्हा, सिविल इंजीनियर, इलाहाबाद का दिनांक १५ सितम्बर, १९७१ का अपनी मां के प्रति किये गये अभद्र व्यवहार एवं लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु से संबंधित कोई पत्र इंचार्ज, मेडिकल कालेज (इमरजेंसी वार्ड), इलाहाबाद के विरुद्ध प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संबंधित डाक्टर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

श्री रोहित सिन्हा द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक १७ सितम्बर, १९७१ शासन को प्राप्त हुयी थी । इस शिकायत की जांच कराई गई और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित डाक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच किसने की और जो शिकायतें की गई थीं, उनमें कौन-कौन सी सही थीं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जांच स्वरूप रानी चिकित्सालय के सुपरिन्टेंडेंट ने की । यह शिकायत पाई गई कि उन्होंने लापरवाही दिखाई थी और जितनी केयर करना चाहिये थी, नहीं की ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

डाक्टर की लापरवाही के कारण एक मृत्यु हो गई । उसका व्यवहार तो एन्जेल जैसा होना चाहिये था । तो क्या कारण है कि जांच होने के फलस्वरूप भी आज तक उसके विरुद्ध कायवाही नहीं की गई है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

यह डाक्टर हमारे यहां मुस्तकिल नहीं थे, टैम्पोरेरी तौर पर इमरजेंसी मेडीकल आफिसर थे और चूंकि उनका टर्म ३१ दिसम्बर, १९७१ को समाप्त हो गया, वह वहां से हट गये ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी, कृपा कर बतलायेंगे कि प्रश्न में अभद्र व्यवहार लिखा हुआ है और उत्तर में लापरवाही का जिक्र है तो अभद्र व्यवहार और लापरवाही से ऐसा अर्थ निकलता है कि क्रूरता के साथ में लापरवाही की गई है। तो इसकी तफसील क्या है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

व्यक्ति जो आया, अपनी माता जी को लेकर आया। इमरजेंसी का मामला था परन्तु उसको तुरन्त भरती नहीं किया गया । मुमकिन है कि कुछ सख्त अल्फाज भी कह गये हों जिसका यहां जिक्र है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उन्होंने मरीज के साथ सही व्यवहार नहीं किया। इसको देखते हुये क्या इस बात का प्रश्न नहीं है कि इस तरह की शिकायतें पूरे प्रदेश में पाई जाती हैं और जो डाक्टर लापरवाही करे उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

सभी डाक्टरों को इस बात की हिदायत दी गई है कि मरीज के साथ सभ्यता और सहानुभूति का व्यवहार करें। अभी पिछले दिनों एक कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें सभी उत्तर प्रदेश के डाक्टर इकट्ठे हुये थे। उसमें मैंने विशेष रूप से उनसे कहा था कि आप लोग आने वाले मरीजों के साथ सहानुभूतिपूर्वक और अच्छा बरताव करें।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद मेडीकल कालेज में मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दीजिये। वह जांच करा देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रकट होता है कि डाक्टर टेम्पोरेरी था और उसको मौका दिया गया कि उसका पीरियड खतम हो जाय और सजा से बच जाय। इस बात को देखते हुये कि १५ सितम्बर, १९७१ का मामला था, काफी दिन हो गये और जब डाक्टर रिटायर हो गया और चला गया तब जांच हुई। तो जिन्होंने जांच की है उन्होंने यह मौका दिया कि रिटायर हो जाय, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

रिटायर होने का मौका नहीं दिया। वह हमारी सेवा में ३१ दिसम्बर तक के लिये ही थे। इसलिये जब वह समय खत्म हो गया तो वह चले गये।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और फिर सप्लीमेंट्री के उत्तर में यह कहा है कि वह सेवा निवृत हो चुके हैं। तो क्या कार्यवाही अब समाप्त कर दी है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे वे हमारे यहां से चले गये हैं, और दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने लिख दिया है कि उनका व्यवहार खराब था और उनके विरुद्ध जांच चल रही है, इसलिये उनको हटा दिया।

श्री राम किशोर शुक्ल—

क्या इन्हीं डाक्टर की देखरेख में १८ जुलाई को अशोक गोयल नामक एक लड़के की मृत्यु इन्हीं की लापरवाही की वजह से हो गयी और इन्हीं की लापरवाही से रोहित सिन्हा की मां मरी। क्या इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है कि इनकी लापरवाही से दो लोग मर गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब कैसे दे सकते हैं।

श्री राम किशोर शुक्ल--

बड़ी घपलेबाजी हुई है इलाहाबाद में ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है कि वह मेडिकल कालेज में रिसर्च कर रहे हैं और केवल ३१ दिसम्बर तक उनकी सेवायें थी, तो क्या इस डाक्टर, जोकि मेडिकल कौंसिल से रजिस्टर्ड हैं, और जो एम० एस० कर रहा है, का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कृपा करेंगे, क्योंकि उसके अभद्र व्यवहार से आदमियों के प्राण ले लिय जाना, एक गम्भीर आरोप है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मैंने बता दिया है कि वह जिस जगह काम कर रहा है, उनको लिखा जा चुका है कि उसे हटा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने लिख दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिये तो लिख दिया गया है किन्तु यदि ऐसी गम्भीर अनियमिततायें उसके खिलाफ पायी गयी हैं, तो क्या उसके एम० बी० बी० एस० के प्रमाण-पत्र तथा उसके प्रेक्टिसिंग लाइसेंस को समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

विकास अधिकारी, देवकली ब्लाक, गाजीपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास अधिकारी, देवकली ब्लाक, जिला गाजीपुर के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचर के आरोपों की जांच हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आरोपों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जी हां । आरोपों की जांच विभिन्न स्तरों पर चल रही है ।

अतः आरोपों की सूची न्याय तथा जनहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है ।

*३--श्री निर्भय नारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास अधिकारी, देवकली ब्लाक, जिला गाजीपुर का स्थानान्तरण आदेश शासन द्वारा पिछले एक साल में कितनी बार प्रसारित एवं निरस्त किया गया है और क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

विकास खंड देवकली, जिला गाजीपुर के वर्तमान खंड विकास अधिकारी का पिछले एक वर्ष में चार-बार स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये और बाद में जनहित में इन स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त किया गया।

राजकीय औषधालय लम्ब गांव, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण

*४—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय औषधालय लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है ? यह धनराशि कब से स्वीकृत पड़ी है और इसके उपयोग के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

लम्बगांव, जिला टेहरी गढ़वाल स्थित राजकीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कोई स्वीकृत नहीं दी गई । अतः धन के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह विदित है कि इस औषधालय के लिये भवन का अभाव है और पिछले ८ वर्षों से डाक्टर के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

यह बात ठीक हो सकती है । लेकिन इसके लिये अब माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे भूमि इत्यादि दिलवा दें तो भवन इत्यादि बनवा दिया जाय।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह औषधालय किराये के भवन में है, यदि हां, तो कितना किराया है और नये भवन के बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

पहले यह दिक्कत थी कि इसके लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी । अब भूमि उपलब्ध हुयी है जिसके लिये कागजात तैयार किये जा रहे हैं और जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी, भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या यह बात सही है कि जो भूमि अर्जित की जा रही है वह एक बड़े आदमी की है, लिहाजा सरकार कठिनाई महसूस कर रही है?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

सरकार कोई कठिनाई नहीं महसूस कर रही है ।

सामुदायिक विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*५—श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभागों में अलग-अलग ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की क्या संख्या है जो विभाग में एक वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं और नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कराया गया है, उनके नाम व पद भी बताये जावें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैं ६ महीने में 3 बार प्रश्न दे चुका हूं और हर बार सूचना एकत्रित कराने की व्यवस्था हो चुकी थी । तो कैसे कहते हैं मंत्री जी कि अभी सूचना एकत्र हो रही है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह सूचना कई विभागों मे एकत्र करनी हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगली बार सूचना अवश्य मिल जायेगी ।

उखरी ग्राम सभा की स्थिति सम्बन्धी जिला परिषद् एवं नगर महापालिका, आगरा में मतभेद

*६—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि आगरा जिले में उखरी नामक ग्राम सभा को जिला परिषद् अपने क्षेत्र में मानती है और नगर महापालिका अपने क्षेत्र में और इस ग्राम सभा पर दोनों क नियम लागू होते हैं ? क्या सरकार उपरोक्त ग्राम सभा पर एक ही संस्था का नियम लागू करने का उचित कदम उठावेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नगरपालिका आगरा ने ग्राम उर्खरा के कुछ मकानों को अपने क्षेत्र में मानते हुये उनके मकान मालिकों पर कर निर्धारित किया था परन्तु वसूल नहीं किया गया । नगर महापालिका को लिखा जा रहा है कि वह अपने नगर-योजना में संशोधन कर लें ।

ग्रामीण क्षेत्रों की निर्मित्त पक्की सड़कें

*७—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण अंचलों में गन्ना विकास विभाग तथा गन्ना समितियों द्वारा निर्मित पक्की सड़कों के देख-रेख एवं मरम्मत के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है । यदि हां, तो ये कब से लागू होंगी और यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

गन्ना विकास विभाग की कतिपय अंशदायी योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है । निर्माणोपरान्त यह सड़कें शासन की हो जाती हैं जिनकी देखरेख एवं मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती हैं ।

इन सड़कों के अतिरिक्त गन्ना समितियां अपने क्षेत्रों में स्वयं भी पक्की सड़कों का निर्माण कराती हैं जिनकी देखरेख एवं मरम्मत भी वे स्वयं ही करती हैं । इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इन सड़कों के सुधारे जाने की एक अंशदायी योजना भी प्रारम्भ की गई है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी ऐसी सड़कों को लिया गया और उनमें से कितनी सड़कों की मरम्मत सरकार ने करायी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कुल ५२ मील लम्बी सड़कें ली गयीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो सड़कें गन्ना विकास परिषद् द्वारा बनायी जाती हैं, क्या भविष्य में उन सड़कों के रख-रखाव का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जो सड़कें स्थायी होती हैं उनकी देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग करता ही है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

इस बात को देखते हुये कि जो भी सड़कें गन्ना विकास परिषदें या गन्ना समितियां बनाती हैं वे उचित देखरेख न होने के कारण दो तीन साल बाद खराब हो जाती हैं, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन सभी सड़कों की देखभाल पी० डब्लू० डी० द्वारा हुआ करे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसी को ध्यान में रख कर ही चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में कुछ सड़कें ली गयी हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरी जानकारी को सही मान कर कि गोंडा जिले में आज तक कोई भी सड़क गन्ना समिति या गन्ना विकास विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी, क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि वे त्वरित योजना के अन्तर्गत या अन्य योजना के अन्तर्गत वहां कुछ सड़कें बनवायेंगे ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इस समय निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि जितनी सड़कें भी गन्ना विकास परिषद् या गन्ना समितियों द्वारा बनायी जाती हैं, उनकी देखरेख पी० डब्लू० डी० नहीं करता, वे किसी ऐसी सड़क का नाम बतायेंगे जिसकी देखभाल इस विभाग ने की हो ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

गन्ना विकास विभाग की जो हैं और जिनमें शासन का अंश रहता है, उसकी देखरेख पी० डब्लू० डी० करता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

५२ किलोमीटर जो ली जा रही है, इसका निर्णय कौन करेगा ? और कब तक वह ली जायेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह गन्ना आयुक्त जब चाहेंगे लेंगे और उस पर गन्ना आयुक्त विचार कर रहे हैं ।

जिला अस्पताल, आगरा में पानी का अभाव

*८—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला अस्पताल आगरा में पानी का नलकूप न होने के कारण मरीजों तथा स्टाफ के कर्मचारियों को पानी का अभाव है । यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अस्पताल में नलकूप बनाने का विचार कर रही है? अगर हां, तो ये नलकूप कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जी हां ।

इस कार्य के आगणन बन जाने तथा उसकी स्वीकृति के बाद यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

पहले से इसका प्राविधान था और पिछली बार भी मुझे उत्तर दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

स्थिति यह है कि सन् १९६६–६७ में इसके लिये ७२ हजार रुपया स्वीकृत हुआ था, परन्तु धनाभाव के कारण यह कार्य शुरू ही नहीं किया जा सका । उसके बाद मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि हो गई । अब नये मूल्यों के आधार पर आकलन तैयार किये जा रहे हैं और आने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

फतेहाबाद अस्पताल, आगरा का प्रान्तीयकरण

*९—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार को मालूम है कि फतेहाबाद, जिला आगरा के अस्पताल में मरीजों के लिये ठहरने तथा भर्ती शुदा मरीजों के लिये चारपाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है और मरीजों के लिये दवा का भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है जो दवा का कोटा है वह बहुत पुराना है और बहुत कम है? क्या सरकार इस अस्पताल को अपने प्रबन्ध में लेने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो यह कार्यवाही कब तक होने की आशा है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

कथित अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिये चार शैय्यायें हैं । इस अस्पताल को पिछले वित्तीय वर्ष तक २,३०० रु० प्रतिवर्ष की औषधियां दी जाती थीं और अब १९७१–७२ से २,७०० रु० प्रति वर्ष की औषधियां दी जाती हैं । उक्त अस्पताल जिला परिषद् का है । यदि जिला परिषद् प्रांतीयकरण हेतु प्रस्ताव करती है, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मंत्री जी की यह सूचना गलत है । इसमें एक भी शैय्या नहीं है । दूसरी बात जो जिला परिषद् में लेने का सवाल है उस संबंध में पिछले बार भी मंत्री जी ने मुझ से वायदा किया था कि हम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं ली गई, तो क्यों नहीं ली गई मंत्री जी यह बताने की कृपा करें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जिला परिषद् प्रस्ताव करेगी तब तो लेंगे कि आपके कहने से लेंगे । शय्या के बारे में एक तथ्य की विभिन्नता है, इसके बारे में आप लिखकर दे दें ।

गन्ना सोसाइटी, तुलसीपुर, गोंडा के सचिव को प्राप्त काश्तकारों के शिकायती-पत्र

*१०—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना सोसाइटी के सचिव को १५ नवम्बर, १९७१ एवं उसके आस-पास की तिथियों में काश्तकारों के कुल कितने

शिकायती-पत्र इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि वर्ष १९७०–७१ के सीजन में जो गन्ना काश्तकारों ने मिल को दिया था तथा पर्चा किसी कारणवश खो गई थी अभी तक उनके नामों की न तो लिस्ट बन पाई है और न उन्हें भुगतान ही किया गया है? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर सीताराम—

तुलसीपुर गन्ना समिति के सचिव को १५ नवम्बर, १९७१ एवं उसके आसपास की तिथियों में केवल श्री कृष्ण देव ग्राम रतनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक १७–१२–७१ को प्राप्त हुआ था, जिसे शीघ्र भुगतान हेतु मिल को भेज दिया गया। मिल स्वयं गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है इसलिये गुमशुदा पर्चियों की लिस्ट भी वही बना रही है।

*११—श्री सूरजलाल गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि उक्त लिस्ट ३० जून, १९७१ तक बन जानी चाहिये? यदि हां, तो अब तक लिस्ट न बनाये जाने के अभियोग में मंत्री जी जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य मिल स्वयं ही कर रही है और वही खोई हुई पर्चियों की लिस्ट भी बना रही है। इस कार्य के लिये विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर जिला परिषद् के अकबरपुर, घाटमपुर तथा डेरापुर के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*१२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अकबरपुर, घाटमपुर, डेरापुर जिला परिषद् के अस्पतालों का प्रांतीयकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जी हां। आवश्यक शर्तें पूरी होने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

कानपुर जिले के अकबरपुर, घाटमपुर और डेरापुर के जिला परिषद् के अस्पतालों के प्रांतीयकरण के लिये कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं और कब-कब यह पूरी होंगी?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

इन दिनों अध्यक्ष, जिला परिषद्, जिला मजिस्ट्रेट हैं। वह अपनी तरफ से प्रस्ताव दें तो मैं अपनी तरफ से प्रांतीयकरण करने पर विचार कर सकता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यही पद्धति मंत्री जी जिला परिषद् के सारे अस्पतालों के लिये अपनाने की कृपा करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जो जिला परिषद् के अस्पताल हैं, जिन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिये जाते हैं यदि जिला परिषद् प्रस्ताव पास करके सरकार को प्रांतीयकरण के लिये दे, तो जितना बजट में स्वीकृत करते हैं उसके अनुसार उसके गुणावगुण पर विचार करके हम विचार कर लेते हैं।

रामराज गन्ना सहकारी समिति, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*१३—श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री व गन्ना आयुक्त को अप्रैल, मई, सन् १९७१ के महीनों में शिकायतें मिली हैं कि रामराज गन्ना सहकारी समिति, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने संबंधित गन्ना उत्पादकों के हस्ताक्षर कराये बिना कोरी शीट पर अपने हस्ताक्षर करके गत गन्ना सीजन की पर्चियों का लगभग ११,००० रुपया तथा गुमशुदा पर्चियों का लगभग १५,००० रुपये का पेमेंट स्वयं ही ले लिया है। जिसके खिलाफ गन्ना सोसाइटी ने अप्रैल, सन् १९७१ में प्रस्ताव भी पारित किया ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा शिकायतों की जांच कराई गई और क्या कार्यवाही अभी तक की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

रामराज गन्ना सहकारी समति की वर्ष १९६९–७० की पर्चियों के तथा गुमशुदा पर्चियों के भुगतान उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा स्वयं लिये जाने की शिकायतें गन्ना आयुक्त को प्राप्त हुयी थीं। इन शिकायतों की जांच जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा कराई गई। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक २२–४–७१ में केवल ११,००० रु० के गलत भुगतान का उल्लेख है। जांच के फलस्वरूप अनियमित रूप से भुगतान करने के लिए समिति के सीजनल खजांची को निलंबित कर दिया गया है तथा अवैतनिक मंत्री, मुख्य कोषाध्यक्ष व लेखाकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। समिति के अध्यक्ष को समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता से अपदस्त करने तथा तीन वर्ष की अवधि हेतु समिति में कोई पद धारण करन के लिए अनर्हित किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष ने गुमशुदा पर्चियों का कितना भुगतान लिया है कितने धन के गबन की सूचना उनके प्रकाश में आयी है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

गुमशुदा पर्चियों का कोई भुगतान नहीं लिया है। यह जांच में पाया गया है। अध्यक्ष के विरुद्ध रु० ११०४.६५ पैसे का गलत भुगतान लिये जाने का आरोप है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

अध्यक्ष ने जितने गलत रुपये का भुगतान लिया है क्या सारा रुपया जमा कर दिया है अथवा जमा होना शेष है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अध्यक्ष को आरोप-पत्र दिया गया है कि आपने ११०४ रु० ६५ पैसे का गलत भुगतान लिया है। इसके विरुद्ध जो कुछ कहना हो कहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या उसने रुपया जमा कर दिया है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अभी नहीं।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि आदेश जारी कर दिये हैं निलम्बित करने का और उनको तीन साल तक कोई पद न धारण करने क आदेश जारी कर दिय हैं तो फिर जो रुपया वाजिब होता है उसकी वसूलयाबी के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

आरोप-पत्र दिया गया है । उसका जवाब देंगे । जवाब देने के बाद उसका निर्णय किया जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने किस अधिकारी से जांच करवा कर उसके बाद आरोप-पत्र दिया है या सिर्फ एलीगशन पर आरोप-पत्र दिया है । अगर जांच नहीं करायी है तो जांच कराने में क्या रुकावट है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी से जांच करायी । उसमें आसाराम की पर्ची का मामला है । अध्यक्ष ने ठीक-ठीक से जवाब नहीं दिया है। इसलिय आरोप-पत्र दिया गया है । अब कानूनी दायरे के अन्दर लिखित आरोप-पत्र दे कर जांच की जा रही है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

जब कि बिलकुल स्पष्ट है कि बड़ी-बड़ी रकमें गबन की हैं, क्रिमिनल आफेंस बनता है, इस मामले को पुलिस में क्यों नहीं रजिस्टर करवाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

विभागीय जांच चल रही है । अभी पुलिस में देने का सवाल नहीं है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

माननीय कृषिमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल ११०४ रुपये का गबन का मामला प्रकाश में आया है जो अध्यक्ष से संबंधित है अथवा जो खजांची और और लोगों की जांच किया है, कुल कितना रुपया गबन का या गलत पेमेंट का उनके प्रकाश में आया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

११०४ रुपये का ही मामला प्रकाश में है और कोई मामला जांच में नहीं पाया गया । खजांची को इसी के अन्तर्गत किया गया है।

रामकृष्ण मिशन अस्पताल, लखनऊ को सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान तथा निर्देश

*१४---श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामकृष्ण मिशन अस्पताल निरालानगर, लखनऊ को अब तक कुल कितना रुपया अनुदान के रूप में और अन्य किस-किस सुविधा के रूप में सरकार द्वारा दिया गया है और उसका प्रयोग किस-किस काम के लिये किया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा रामकृष्ण मिशन अस्पताल लखनऊ को निरालानगर में बन रहे उनके विवेकानन्द पालिक्लीनिक अस्पताल के लिये अब तक भवन

निर्माण साज-सज्जा एवं रख रखाव आदि के लिये १,७०,८६,२७७ रु० का अनुदान दिया गया है। उपरोक्त नकद अनुदान के अतिरिक्त चिकित्सा विभाग द्वारा कोई सुविधा किसी अन्य रूप में नहीं दी गयी। अन्य विभागों द्वारा दी गई सुविधा के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। अस्पताल को जिस कार्य के लिये अनुदान दिया गया उसने उसका उसी काम में प्रयोग किया।

*१५—श्री मोतीलाल देहलवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रामकृष्ण मिशन अस्पताल, निरालानगर, लखनऊ के पूर्णरूप से बनने की अवधि, रूपरेखा, कार्यसंचालन पद्धति एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सरकार ने कोई निर्देश मिशन को दिया है? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य सरकार ने राम कृष्ण मिशन अस्पताल, निरालानगर लखनऊ के भवन निर्माण तथा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये हैं :—

१—यदि यह संस्था जनता को चिकित्सा सुविधा देना बंद कर देती है तो सरकारी अनुदान से बने हुये इस भवन को सरकार अपन अधीन कर लेगी। यह शर्त संस्था द्वारा लिखित रूप से मान ली गयी है।

२—(१) आयुक्त एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, (२) आयुक्त एवं सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन तथा (३) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ विवेकानन्द पालीक्लीनिक, रामकृष्ण मिशन के स्थानीय प्रबन्धक समिति के स्थायी पदेन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त डिप्टी डायरेक्टर, मेडिकल सर्विसेज, सेंट्रल कमांड लखनऊ भी उपरोक्त प्रबन्धक समिति के सदस्य होने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है यदि केंद्रीय सरकार के सुरक्षा विभाग की भी स्वीकृति हो। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आदेश नहीं दिये गये हैं।

राजकीय चिकित्सालय रसूलपुर, आजमगढ़ की स्थापना

*१६—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ विकास खंड दोहरीघाट के अन्तर्गत स्थित राजकीय चिकित्सालय रसूलपुर की स्थापना कब हुई थी और कब-कब इस चिकित्सालय में एम०बी०बी० एस० के डाक्टर की पोस्टिंग की गई थी और वहां डाक्टर न होने का कारण क्या है ?

श्री प्रेमचन्द शर्मा—

कथित अस्पताल की स्थापना १० मई, १९४० को हुई थी। एम०बी०बी०एस० डाक्टर ६ मई, १९६५ तक तैनात होते रहे। तदोपरान्त इस अस्पताल को इंटीग्रटेड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया। अतः तब से वहां मिश्रित कोर्स पास किये हुय आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा अधिकारी तैनात किये जाते हैं।

*१७—श्री लालसा—

क्या सरकार इस बात पर दोहरीघाट से मधुबन के बीच लगभग १५ मील की दूरी में केवल रसूलपुर ही एक चिकित्सालय है, को जनहित में प्रा० स्वास्थ्य केंद्र करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

रसूलपुर, जिला आजमगढ़ के एलोपैथिक चिकित्सालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करना संभव नहीं है क्योंकि एक विकास क्षेत्र में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है।

श्री लालसा—

रसूलपुर चिकित्सालय की स्थापना १० मई, ४९ को हुई और ९ मई, ६५ तक वहां एम० बी० बी० एस० डाक्टर तैनात था तो अब उसको पहले की भांति एलोपैथिक अस्पताल म परिवर्तित करके वहां एम० बी० बी० एस० डाक्टर तैनात करने में क्या कठिनाई है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

पिछले दिनों हमारे पास डाक्टरों की कमी थी। लिहाजा कुछ अस्पतालों को इंटिग्रेटेड अस्पतालों में परिवर्तित करके उनमें मिश्रित कोर्स वाले चिकित्सक नियुक्त कर दिये गये थे। अब स्थिति बदल गयी है, इसलिये इस सुझाव पर विचार कर लिया जायगा।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि नये एलोपैथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब डाक्टरों के अभाव में इस अस्पताल को इंटिग्रेटेड अस्पताल किया गया था तो अब उसको एलोपैथिक अस्पताल बनाने में प्राथमिकता देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

पहले इसी शक्ल में उसको इंटीग्रेटेड बनाया गया था जब डाक्टर उपलब्ध नहीं थे और अब डाक्टर उपलब्ध होने लगे हैं, इसलिये इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

कानपुर जिला परिषद् के कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड तथा ग्रेच्युटी

*१८—श्री उपेंद्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् के कितने कर्मचारी सन् १९६५ से रिटायर हुए और उनमें से कितने लोगों के प्राविडेंट फंड तथा ग्रेच्युटी का धन भुगतान किया गया और जिनको भुगतान नहीं किया गया तो क्यों ? क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उन्हें ६ माह के अन्दर भुगतान अवश्य करा दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला परिषद् कानपुर की सेवा में सन् १९६५ से १८५ अध्यापक और २७ अन्य कर्मचारी सेवा निवृत हुए। १८५ अध्यापकों में से ११९ अध्यापकों को प्राविडेंट फंड का भुगतान हो चुका है। ६६ अध्यापकों के प्राविडेंट फंड के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अध्यापकों को कोई ग्रेच्चुटी देय नहीं है।

२७ अन्य कर्मचारियों में से १९ कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड का भुगतान हो चुका है शेष ८ कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। जिला परिषद् कानपुर में ग्रेच्चुटी विनियम २१ नवम्बर, १९६८ से लागू हुए हैं, उसके आधार पर १४ कर्मचारियों को ग्रेच्चुटी देय हैं। एक सेवा निवृत्ति कर्मचारी को ग्रेच्चुटी स्वीकृत हो चुकी है। शेष १३ के गावों की जांच की जा रही है।

श्री उपेंद्र नाथ दीक्षित—

मेरे प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि 6 माह के अन्दर भुगतान अवश्य कर दिया जायगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

६ माह की अवधि निश्चित रूप से निर्धारित करना उचित नहीं होगा । मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि ६ माह के पहले ही प्रयत्न किया जायगा कि यह सारी कार्यवाही पूरी कर दी जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सन् ६५ में रिटायर हुए हैं और ७२ चल रहा है तो आज तक तो प्राविडेंट फंड का भुगतान नहीं हो सका उसका क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

६६ अध्यापकों के प्राविडेंट फंड के केस बाकी थे जिसमें से ३५ को दे दिया गया है और १५ अध्यापकों को परिषद् का धन देय है । उनके द्वारा परिषद् के धन को जमा कर देने पर उनका प्राविडेंट फंड दे दिया जायगा । १६ अध्यापक अब तक मर चुके हैं । इस प्रकार ६६ अध्यापकों की संख्या पूरी हो जाती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रश्न का उत्तर नहीं आया । आखिर कौन सी कठिनाइयां हैं जो सन् ६५ से प्राविडेंट फंड का भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो लिखा-पढ़ी की, कागज की कठिनाई है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राविडेंट फंड का निश्चित भुगतान करने के पहले जो जांच-पड़ताल की जाती है, उस व्यक्ति से संबंधित जो लेनदेन की कार्यवाही है वह सब पूरी करनी पड़ती है और जो एक लम्बी संख्या थी उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयत्न भी किया गया है । अब केवल १५ अध्यापक का प्राविडेंट फंड देना बाकी है और ऐसे अध्यापकों का देना बाकी है जिनसे परिषद् को धन लेना है । उनके द्वारा धन जमा करने के बाद तुरन्त दे दिया जायगा, उनके केस निर्णित हो चुके हैं ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

इस प्रश्न के पूछने के बाद कितने लोगों के प्राविडेंट फंड का भुगतान किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रश्न का उत्तर देने के बाद ३५ अध्यापकों को प्राविडेंट फंड दिया गया है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

जो बाकी रह गये हैं उनका प्राविडेंट फंड देने में कितने वर्ष लगेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

[२१ मार्च, १९७२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, नैनीताल द्वारा वन विकास हेतु वन विभाग की स्थापना

*१--श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में वन विकास के लिये वन विभाग कब से स्थापित किया गया है ? उसमें कितने

[श्री डूंगर सिंह बिष्ट]

कर्मचारी कार्यरत हैं ? और उन्हें क्या वेतन दिया जा रहा है ? क्या नगरपालिका, नैनीताल तथा इन कर्मचारियों ने अपने वेतन के बारे में दिनांक २५ नवम्बर, १९६६ व ३० मार्च, १९६७ तथा १९ जून, १९६९ और ४ नवम्बर, १९६९ तथा २९ अप्रैल, १९७० को राज्य सरकार को ज्ञापन तथा स्मृति-पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

नगरपालिका नैनीताल में वन विभाग १८५० में नगरपालिका के गठन के साथ स्थापित किया गया प्रतीत होता है । नगरपालिका नैनीताल के वन विभाग में एक फारेस्ट रेंजर, ८ फारेस्ट गार्ड तथा एक फिश गार्ड के पद स्वीकृत हैं । फारेस्ट रेंजर के पद के लिये १२०-८-२००-१०-३००, फारेस्ट गार्ड तथा फिश गार्ड के पदों के लिये ३०-१॥-४५ का वेतन क्रम स्वीकृत था । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन क्रम १ अक्तूबर, १९६६ से तथा १ अप्रैल, १९६७ से तदर्थ रूप से पुनरीक्षित किये गये थे किन्तु उसमें नगरपालिका, नैनीताल के वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन क्रम पुनरीक्षित होने से छूट गया था । इस संबंध में नगरपालिका, नैनीताल तथा कर्मचारियों से उनके वेतन क्रमों के बारे में कई ज्ञापन तथा प्रतिवेदन प्राप्त हुये । शासन ने फारेस्ट रेंजर के पद का वेतन क्रम १८०-१०-२२०-द०रो० १०-२६०-द० रो०-१२-३२०--द० रो०-१५-३८० तथा फारेस्ट गार्ड, फिश गार्ड के पद का वेतन क्रम ४०-२-५० द०रो०-२-६० पुनरीक्षित कर दिया है ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले तो मुझे शिकायत करनी है कि मुझे तो अभी तक प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला । भविष्य में ऐसा न हो तो अच्छा ही है ।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि रेंजर का वेतन स्केल तो ठीक विभाग के रेंजर के अनुसार कर दिया गया है, लेकिन जो फारेस्ट गार्ड हैं उनको ४०-६० का वेतन स्केल दिया जाता है जबकि वन विभाग वालों का ६०-८० है, तो क्या उनको भी उसी वेतन स्केल से बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वन विभाग के फारेस्ट गार्ड की योग्यता हाई स्कूल निर्धारित है । जो व्यक्ति इस समय कार्य कर रहे हैं वह इस योग्यता को पूरा नहीं करते हैं इसलिये उनको यह वेतन-क्रम दिया गया है । भविष्य में यदि और रखे जायेंगे जिनकी योग्यता हाई स्कूल होगी तो अवश्य शासन उस पर विचार करेगा कि उनको उनके समान वेतन दिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के कर्मचारियों का जो काम है वही काम नगरपालिका के इन कर्मचारियों का ? यदि हां, तो समान काम के लिये समान वेतन देने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री उपाध्यक्ष--

योग्यता अगर पूरी कर देंगे जो निर्धारित है जो उनको देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जब एक योग्यता निर्धारित कर दी गयी है तो कम योग्यता वालों को वही स्केल देना जो निर्धारित योग्यता वालों को दिया जाता है वह उचित नहीं लगता है ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वन विभाग के रेंजर और नगरपालिका के रेंजर का समान वतन-क्रम है लेकिन उनकी योग्यता में इस समय भी अन्तर है। जब उनका समान वेतन-क्रम रखा है तो क्या मंत्री जी फारेस्ट गार्ड के बेतनक्रम वन विभाग के फारेस्ट गार्ड के समान करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, पहले जो रेंजर नियुक्त हुये थे वह प्रशिक्षित नहीं थे किन्तु इस समय जो व्यक्ति हैं वे प्रशिक्षित है, इसलिये उनका समान वेतनक्रम निश्चित किया गया है । जहां तक उनका कहना है कि वन विभाग में ऐसे फारेस्ट गार्ड्स हैं जो हाई स्कूल की योग्यता नहीं रखते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उस पर विचार करेंगे ।

*२--श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

[२रे बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देहरादून के व्यापारियों पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम का लागू किया जाना

*४--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतावेंगे कि देहरादून के फुटकर दुकानदारों की समिति ने सरकार से कई बार पत्र भेजकर तथा प्रश्नकर्ता के माध्यम से यह मांग की कि उन दूकानदारों पर मंडी ऐक्ट न लागू किया जाय जो नीचे सीधे किसान से माल नहीं खरीदते और मामूली दूकानदार (फुटकर) है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस विषय में की है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जी हां, सरकार को देहरादून के फुटकर दूकानदारों की समिति के इस आशय के कई प्रतिवेदन प्राप्त हुय हैं कि फुटकर व्यापारियों पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी, अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली एवम् उपविधियों के कुछ प्राविधान लागू न किये जायं । राज्य सरकार विषय का गम्भीरता पूर्वक परीक्षण कर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छोटे बड़े किसी भी कोटि के व्यापारी को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, तदन्तर्गत निर्मित नियमावली अथवा उपविधियों के प्राविधानों से छूट देना जनहित में न होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उनसे प्रश्नकर्ता ने भेंट की और विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में यह बातचीत हुयी थी कि मंडी एक्ट किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये है और यह प्रश्न खरीदार के ऊपर लागू हो सकता है । इस राय को आपने स्वीकार किया था तो अब इस परिवर्तन का क्या कारण है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मंडी अधिनियम जहां पर लागू है और जितना क्षेत्र है उसके अन्तर्गत किसी प्रकार की खरीद फरोख्त होती है तो उस पर यह ऐक्ट लागू होगा । छोटे-बड़े व्यापारियों का फर्क करना जनहित में नहीं होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा प्रश्न है कि मंडी ऐक्ट प्रथम खरीदार के ऊपर लागू हो सकता है, छोटे-बड़े व्यापारियों का फर्क करने का सवाल नहीं है । मेरे इस प्रश्न पर विभाग से परामर्श हुआ और उसने यह राय दी कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, चाहे एक बार खरीद हो या दो बार हो इसका कोई फर्क अधिनियम में नहीं है ।

श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस मंडी ऐक्ट को जिलाधीश के माध्यम से एनफोर्स कराया जा रहा है तो मंडी के मालिक आपके कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दे रहे हैं ? जिसके लिये यह लागू किया गया है उनके द्वारा शिकायत होने पर आप कार्यवाही करेंगे?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुयी हैं । यदि आप लिखकर देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० के० शर्मा, प्रिंसिपल, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*५—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या ७१ नत्थी (ग) दिनांक ४ जनवरी, १९७२ के लिखित उत्तर में श्री बी० के० शर्मा, प्रिंसिपल, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध विजिलेन्स जांच की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि श्री शर्मा का केस प्रशासनिक न्यायालय में भेजने पर विचार किया जाय, तो क्या सरकार ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को भेजा ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जांच रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि शासन इस मामले को जांच के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल को सौंपने की वांछनीयता पर विचार कर ले । शासन ने इस मामले को ट्रिबुनल को भेजना वांछनीय नहीं समझा ।

श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार फर्जी यात्रा भत्ता वसूल करने को गंभीर आरोप समझती है या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों और अगर समझती है तो उसने आज तक उनके विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह तो प्रत्येक केस पर अलग-अलग डिपेंड करता है, एक राय सब के लिये कैसे दी जा सकती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विजिलेन्स संस्थान ने प्रिंसिपल के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें अपनी रिपोर्ट में दी थी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

शिकायतें तो यही थीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि प्रिन्सिपल ने आई० सी० एम० आर० की मीटिंग में प्रथम श्रेणी की यात्रा का किराया वसूल करके तीसरी श्रेणी की तीन टिकट खरीदीं, अपनी बिरादरी के कुन्दनसिंह को लेब असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की हड़ताल के एक वर्ष के लिये ये प्रिंसिपल ही जिम्मेदार हैं, थोड़े समय में इन्होंने लाखों रुपया एकत्र कर लिया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन-कौन शिकायतें सही पायीं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

शिकायतें तो यही थीं जिनके संबंध में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करके विभागीय जांच करें अथवा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। अभी डूंगर सिंह विशष्ट जी ने कहा था कि उनको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन हमारे पास सूचना यह है कि उनके उत्तर पाने के हस्ताक्षर हैं।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

भीमताल टाउन एरिया के पेयजल के बारे में मेरे पास उत्तर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह क्या उत्तर है यह इस समय हम नहीं जानते केवल इतना जानते हैं कि आपको उत्तर मिल गया है।

*६—श्री राम रतन पांडेय—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

नोटः [तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

*७—श्री सियाराम—

[३रे गुरुवार के लिये प्र० स० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कटका राजकीय बीज गोदाम, मिर्जापुर के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत

*८—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत मझवा विकास खंड के कटका राजकीय बीज गोदाम के इन्चार्ज के खिलाफ भ्रष्टाचार का शिकायती-पत्र दिनांक ११ जनवरी, १९७२ को प्राप्त हुआ है और उस पर दो विधायकों की संस्तुति भी है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, उक्त शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायतों की विस्तृत जांच करने के लिये उक्त पत्र की प्राप्ति पर कृषि निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं एवं साथ ही साथ गृह विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि वह इन शिकायतों के विषय में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करें।

*९—श्री रामनिहोर राय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

नगरपालिका अतरौली, अलीगढ़ के सदस्यों का रोड ग्रांट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को नगरपालिका अतरौली, जिला अलीगढ़ के कुछ सदस्यगणों के हस्ताक्षर से युक्त दिनांक १३ नवम्बर, १९७१ का कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उपरोक्त नगरपालिका को वर्ष १९६९–७० और १९७०–७१ में "रोड ग्रान्ट" के रूप में शासन द्वारा प्रदत्त १,६८,००० रु० की धनराशि में से लगभग १,५०,००० रु० अन्य मदों में व्यय कर दिया गया है और क्या यह सच है कि जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा उपरोक्त मामले की जांच से यह सिद्ध हो गया है कि उक्त नगरपालिका ने "रोड ग्रान्ट" की उक्त धनराशि में से १,३१,००० रु० वास्तव में अन्य मदों में व्यय कर लिये हैं ? यदि हां, तो धन के उपरोक्त दुरुपयोग के बावजूद भी क्या सरकार उक्त नगरपालिका को वर्ष १९७१–७२ के लिये पुनः "रोड ग्रान्ट" स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नगरपालिका, अतरोली के कुछ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक १३ नवम्बर, १९७१ का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनका एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र ८ नवम्बर, १९७१ को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि नगरपालिका ने गत वर्षों में स्वीकृत सड़क अनुदान १,६६,००० रु० में से १,५०,००० रु० की धनराशि अन्य मदों में व्यय कर दिया है। इस शिकायत पर जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा जांच की जा रही है। नगरपालिका, अतरौली को वर्ष १९७१–७२ में कोई सड़क अनुदान नहीं दिया गया है।

प्रदेश में फसलों का बीमा

*११—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या प्रदेश में फसलों का बीमा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जायेगी और यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। फसलों का बीमा केन्द्रीय विषय है।

क्षेत्र समिति हाथरस के लिपिकों का स्थानान्तरण

*१२—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र समिति हाथरस में कितने लिपिक ५ साल से काम कर रहे हैं और नियमानुसार उनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

५ वर्ष की अवधि से अधिक का कोई लिपिक कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१३—श्री राम प्रसाद देशमुख—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

*१४—श्री इन्द्रलाल—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

भूमि संरक्षण अधिकारी कुण्डा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*१५—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़), श्री जयराम यादव, श्री गया प्रसाद व श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़), कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़), तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मन्त्री अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २, दिनांक ४ जनवरी, १९७२ के उत्तर के सन्दर्भ में बतान की कृपा करेंग कि भूमि संरक्षण अधिकारी कुन्डा, जन पद प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच रिपोर्ट सतर्कता विभाग से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और तथा क्या सरकार वर्ष १९७०–७१ के कार्य एवं अनुदान मद की काश्तकारों से गलत वसूली से संबंधित कोई कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

भूमि संरक्षण अधिकारी कुण्डा (प्रतापगढ़), के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रोंके संबंध में सतर्कता विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है। अतः वर्ष १९७०–७१ के "कार्य एवं अनुदान" मद में तथा कथित गलत वसूली के संबंध में फिलहाल कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

भूमि एवं जल संरक्षण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का अनुमानित व्यय

*१६—श्री राम देव, श्री जयराम यादव, श्री गया प्रसाद, श्री राम किंकर, कुंवर तेजभान सिंह तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि एवं जल संरक्षण समिति प्रतापगढ़ द्वारा भूमि संरक्षण अधिनियम व नियम के अनुकूल भूमिसंरक्षण इकाई कुन्डा के वर्ष १९७०–७१ के कार्य एवं अनुदान मद से संबंधित अनुमानित लागत व्यय, कितनी बार कब-कब और क्यों पास किए गए हैं ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९७०–७१ में उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक १९–६–७० व २९–७–७० को क्रमशः २८ व ६ परियोजनाओं का अनुमोदन कराया गया जिसका अनुमानित व्यय ६,२६,७६४ रु० व १,२३,३५२ रु० क्रमशः था ।

उपरोक्त ३४ परियोजनाओं में से १२ के लिए २,३५१.२१ रु० का अनुमानित अतिरिक्त व्यय समिति द्वारा २३–६–७१ को अनुमोदित किया गया । इसका मुख्य कारण उक्त वर्ष में अतिवृष्टि का होना था ।

फैजाबाद मण्डल में कृषि विभाग के निलम्बित कर्मचारी

*१७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद मन्डल के कृषि विभाग में कितने कर्मचारी निलम्बित हैं, क्या उनको चार्ज शीट दी गई ? यदि नहीं, तो बिलम्ब क्यों किया जा रहा है और कितने मामलों की पुलिस जांच कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

इस समय कृषि विभाग के ८२ कर्मचारी निलम्बित हैं ।

जी हां ४६ निलम्बित कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई है ।

३६ निलम्बित कर्मचारियों को अभी चार्ज-शीट इस कारण नहीं दी जा सकी क्यों कि उनके मामलों में विभागीय जांच पड़ताल और लेखा पुस्तकों का सम्प्रेक्षण किया जा रहा है । ३८ मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तथा कृषि सेवा वर्ग दो क. विलीनीकरण

*१८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की सेवाओं को कृषि विभाग में विलीनीकरण तथा उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री को २० जनवरी, १९७१ का प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग दो के सदस्यों की आपस की सम्मिलित ज्यष्ठता सूची बनाने में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और उक्त ज्येष्ठता सूची अब तक तैयार न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था । सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—२ के सदस्यों की आपस की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में आवश्यक औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

उक्त शासनादेश के अनुसार कृषि निर्देशालय में ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है । रिकार्ड्स की छान बीन की आवश्यकता होने के कारण कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को विशेष पारिश्रमिक

*१९—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला निर्वाचन कार्यालय के जिन कर्मचारियों ने सन् १९७१ के लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में रात दिन कार्य किया है उनको कोई विशेष पारिश्रमिक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मामला सरकार के विचाराधीन है ।

अलीगढ़ के ऋणी शीतगृह (कोल्ड स्टोर्स)

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार जिला अलीगढ़ के उन कोल्ड स्टोर्स के नाम बतायेगी कि जिनको शासन ने तथा फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने ऋण दिया है और क्या ये ऋणों की किस्तों को समय के अन्दर सूद सहित लौटा रहे हैं ? यदि नहीं, तो शासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

अलीगढ़ जिले में श्रीराम कोल्ड स्टोरेज, हाथरस को यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन के माध्यम से कृषि विभाग के धन में से १,४८,००० रु० ऋण दिया गया । उक्त धन के मूल-धन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान उक्त कोल्ड स्टोरेज द्वारा समय से नहीं किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप फाइनेन्शियल कारपोरेशन द्वारा २७–१२–७१ को उक्त शीत गृह के नीलाम करने की तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु न्यायालय द्वारा २३–१२–७१ को स्थगन आदेश पारित किया गया । अतः जब तक कि यह मामला न्यायालय के अन्तर्गत है तब तक किसी प्रकार की उक्त कार्यवाही शीत-गृह के विरुद्ध नहीं की जा सकती ।

फाइनेंशियल कारपोरेशन के धन से जो ऋण उन्होंने इस जनपद में अन्य शीत-गृहों को दिया उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२१—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

जनपद बदायूं में सरकारी जच्चा-बच्चा केन्द्र

*२२—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं में कितने सरकारी जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं और किन-किन स्थानों पर तथा वर्ष १९७२ में कितने नये केन्द्र खोले जा रहे हैं एवं इन्हें किन स्थानों पर खोला जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद बदायूं में ६३ जच्चा बच्चा केन्द्र हैं जिनकी सूची संलग्न है । वर्ष १९७२ में ९ नये जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिनकी सूची भी संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६० पर)

प्रदेश में केन्द्रीय बहुफसली योजना

*२३—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की बहुफसली योजना प्रदेश के कितने एवं किन-किन जिलों में चालू है तथा जिलों के किस-किस विकास खंड में यह लागू की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित बहुफसली कार्यक्रम की अग्रगामी योजनायें प्रदेश के निम्नांकित ३ जिलों में, उनके सामने अंकित विकास खंडों में, नवम्बर, १९७१ से चालू हैं :

बदायूं	बिसौली
गोंडा	झंझरी
अलीगढ़	धानीपुर

श्री अमीरउद्दीन उर्फ बादशाह की कोर्ट में अपील

*२४—श्री शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

प्रश्नकर्त्ता के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १, दिसम्बर ३० अगस्त, १९७१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमीरुद्दीन उर्फ बादशाह ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी तिथि को अपील दायर की ? हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इनकी सम्बन्धित अपील कब खारिज की थी ? इन दोनों तिथियों के बीच इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई या नहीं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री अमीरउद्दीन उर्फ बादशाह ने दिनांक २९ मई, १९६९ को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। श्री अमीरउद्दीन द्वारा दायर की गई संबंधित अपील को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक १६ मई, १९६९ को खारिज कर दिया था।

प्रश्न के शेष भाग का विषय राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को चिकित्सा का अभाव

*२५—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के ग्रामीण, अंचलों में महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था का घोर अभाव है ? यदि हां, तो इस अभाव की पूर्ति की ओर सरकार निकट भविष्य में क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है। इस अभाव की पूर्ति हेतु सरकार निकट भविष्य में कुछ अस्पताल खोलने जा रही है।

राजकीय होम्योपैथिक औषधालय अगवानपुर, मुरादाबाद के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*२६—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जन पद मुरादाबाद के राजकीय होम्योपैथिक औषधालय अगवानपुर को गत तीन वर्षों से न तो कोई दवाई दी गई है और न कर्मचारियों का वेतन ? यदि हां, तो इनका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला मुरादाबाद के ग्राम अगवानपुर में कोई राजकीय होम्योपैथिक औषधालय नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ड्योढ़ी उर्फ हादीपुर मुरादाबाद का भवन निर्माण

*२७—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में ग्राम ड्योढ़ी उर्फ हादीपुर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के भवन निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक १४ अप्रैल, १९७०, २९ अप्रैल, १९७०, १५ जुलाई, १९७०, २८ दिसम्बर, १९७० व १८ मई, १९७१, स्वास्थ्य मन्त्री को सम्बोधित पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चार पत्र प्राप्त हुए हैं। दिनांक २८ दिसम्बर, १९७० का पत्र नहीं मिला। प्राप्त पत्रों पर आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशक से रिपोर्ट मांगी गयी। निदेशक ने बताया कि प्रश्नगत स्थान में भवन निर्माण के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*२८–२९—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[३रे मंगलवार के लिय स्थगित]

स्वर्गीय श्री लिविस्टन गार्डन, ग्राम मनोटा, एटा की नसबन्दी

*३०—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि वर्ष १९६८ में जान गार्डन, निवासी ग्राम मनोटा विकास क्षेत्र कास गंज जिला एटा की नसबन्दी की गई थी ? क्या यह भी सच है कि उक्त नसबन्दी के कारण उक्त व्यक्ति की मत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त नसबन्दी के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। वर्ष १९६८ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज जिला एटा में लिविस्टन गार्डन नाम के व्यक्ति की नसबन्दी की गई थी। उनकी मृत्यु नसबन्दी के कारण नहीं हुई थी। चूंकि उनकी मृत्यु नसबन्दी के कारण नहीं हुई थी अतः किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में मसालों का कथित अनुसंधान केन्द्र

*३१—दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या यह सही है कि कृषि मन्त्री देवरिया नगर में अवस्थित बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिग्री कालेज में वनस्पति विभाग द्वारा मसालों का अनुसन्धान केन्द्र संचालित करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस योजना के स्वरूप का विस्तृत विवरण देंगे ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारी

१—श्री रामनिहोर राय —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७० से अब तक कितने परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् १९७० से प्रदेश में ८५७ परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई जिनमें स ११५ अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे ।

तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद्, गोंडा द्वारा निर्मित पुलियां

२—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् द्वारा १ जनवरी, १९६७ से ३० दिसम्बर, १९६८ तक कुल कितने रुपयों की लागत से नई पुलियों का निर्माण कराया गया था ? क्या कृपया यह भी बतावेंगे कि उक्त कार्य करने वाले सभी ठेकेदारों के पैसों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—

१ जनवरी ६७ से ३० दिसम्बर, ६८ तक कुल ३०,३८३.९८ रुपये की लागत से नई पुलियों का निर्माण कराया गया था और सभी ठेकेदारोंके पैसोंका भुगतान कर दिया गया है । किसी भी ठेकेदार का बकाया नहीं है ।

टिहरी गढ़वाल सिविल अस्पताल का एक्सरे संयंत्र

३—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी, टिहरी-गढ़वाल, सिविल अस्पताल का एक्सरे संयंत्र कब से बेकार पड़ा है और क्या शासन इस संयंत्र में कब संचालन की व्यवस्था करने की सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

टिहरी गढ़वाल सिविल अस्पताल की एक्स-रे मशीन लगभग सन् १९६५ से खराब थी ।

सिविल सर्जन, टेहरी गढ़वाल ने सूचित किया है कि उक्त मशीन की मरम्मत हो गई है तथा अब चालू है ।

विकास क्षेत्र कप्तानगंज, बस्ती के हरिजनों में हैण्डपम्प वितरण

४—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६८–६९, १९६९–७०, तथा १९७०–७१ में जो हैन्ड पम्प विकास क्षेत्र कप्तानगंज, जिला बस्ती में ५६ व्यक्तियों को दिये गये हैं उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला बस्ती में विकास क्षेत्र कप्तानगंज में वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ में जिन ५६ व्यक्तियों को हैण्ड पम्प दिये गये थे उनमें से तीन हरिजन हैं ।

आगरा मण्डल के विकास खण्ड अधिकारी का स्थायीकरण

५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा मंडल, आगरा में किस-किस विकास खन्ड के विकास अधिकारी ऐसे हैं जो वर्ष १९५९ अथवा इससे पूर्व से उपरोक्त पद पर निरन्तर कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी (अक्तूबर, १९७१) तक उन्हें खन्ड विकास अधिकारी के पद पर स्थायी नहीं किया गया है ? उनके स्थायीकरण के आदेश पारित न करने के क्या कारण हैं ? और उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जावेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६२ पर)

पचांयत राज अधिनियम में संशोधनार्थ पंचायत राज समिति का गठन तथा उसके पदाधिकारी व सदस्य

६—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ में संशोधन करने हेतु कोई समिति गठित की है ? यदि हां तो कब और उसके अध्यक्ष और सदस्यगण कौन-कौन हैं और उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रदान कर देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । पंचायतीराज संस्थाओं के संगठन आर्थिक साधन, कृत्य व कर्त्तव्यों तथा अधिनियम में संशोधन के प्रश्न पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिये पंचायत राज समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप दिनांक १३ दिसम्बर, १९७१ द्वारा किया गया है । इस समिति की कार्य अवधि उक्त दिनांक से ७ मास के लिये है । समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों क नाम निम्न हैं:—

१—श्री जगन प्रसाद रावत, सदस्य विधान सभा अध्यक्ष,
२—श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य विधान सभा सदस्य,
३—श्री हरिप्रसाद शाही, सदस्य विधान सभा, सदस्य,
४—श्री अतीसुर रहमान शेरवानी, सदस्य विधान सभा, सदस्य,
५—श्री छेदा लाल, सदस्य विधान सभा, सदस्य,

६—श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा, सदस्य,
७—श्री ईश्वर शरण सिंह, सदस्य विधान परिषद्, सदस्य,
८—श्री एस० एम० जाफर लोरेन्स टैसेस, लखनऊ, सदस्य,
९—श्री कैलाश प्रकाश सदस्य विधान परिषद्, सदस्य,
१०—श्री डी० पी० सिंह इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, सदस्य,
११—कृषि उत्पादन आयुक्त,
१२—विशेष सचिव पंचायती राज,
१३—राजस्व सचिव या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी,
१४—वित्त सचिव या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी,
१५—नियोजन सचिव या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी,
१६—श्री आर० सी० सक्सेना, संयुक्त सचिव (न्याय),
१७—निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
१८—उप सचिव, पंचायती राज।

प्रदेश का परिवार नियोजन कार्य-क्रम

७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन विभाग के लिये कितना रुपया मन्जूर था और केन्द्रीय सरकार से कितना मिला उसमें से अब तक कतना खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा जो धन व्यय किया जाता है उसे भारत सरकार पूर्णतया वहन करती है। चालू वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में इस प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय करने के लिये भारत सरकार ने ६,६३,९५,००० रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ माह में किये गये व्यय तथा अन्तिम तीन माह में होने वाले व्यय के अनुमान के आधार पर भारत सरकार वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि का अन्तिम समायोजन बाद में व्यय के सम्प्रेक्षित आंकड़ों के उपलब्ध होने पर किया जाता है। ३१ जनवरी, १९७२ तक इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा ३,८८,६०,२०० रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

प्रदेश में त्वरित योजना

८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेकारी दूर करने के लिये अपनायी गई त्वरित योजना में राज्य सरकार को अब तक कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला अथवा सैन्क्शन हुआ और उसमें से अभी तक कितना खर्च हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत १५ मार्च, १९७२ तक केन्द्र सरकार से ६ करोड़ ७३ लाख रुपय की स्वीकृति मिल चुकी है जिसमें से जनवरी, १९७२ तक ८,०५,८५,९६३ रु० व्यय हो चुका था।

प्रदेश में गृह निर्माण योजना

९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से गृह निर्माण योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन प्राप्त हुआ और उनमें से अब तक कितना खर्च हुआ ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से गृह निर्माण योजना के लिये अलग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है बल्कि राज्य आयोजना में ही विभिन्न आवास योजनाओं के लिये प्राविधान कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में आवास योजनाओं के लिये २८० लाख रुपये का प्लान परिव्यय रखा गया है जिसमें से अब तक (१८ मार्च, १९७२) २७०.८४ लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

भीमताल, नैनीताल में कुचला देवी श्रोत पेयजल योजना का सर्वेक्षण

१०—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के अन्तर्गत भीमताल टाउन एरिया तथा आस पास के ग्राम समूहों की एक मात्र पेयजल योजना कचिलादेवी का कब सर्वेक्षण हुआ, उस पर कितनी लागत आई है ? कब से कार्य शुरू किया जा रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

भीमताल टाउन एरिया कमेटी तथा आस पास के ग्राम समूहों, जिसमें 11 ग्राम भी सम्मिलित हैं की एक योजना वर्ष १९६९–७० में बनायी गयी थी। इस योजना की अनुमानित लागत ९.०० लाख रु० है। इस योजना के सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन बनाने हेतु १२,००० रु० खर्च होंगे। योजना में कुचला देवी श्रोत को पेय जल योजना के लिए चुना गया है। चूंकि अभी तक श्रोत से कितना जल प्राप्त हो सकेगा इसका सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका, इस लिए योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। श्रोत में जल की मात्रा केवल मई तथा जून के महीनों में ही नापी जा सकती है क्योंकि शेष महीनों में श्रोत ताल के अन्दर डूबा रहता है पिछले ग्रीष्म ऋतु में भी समय से पहले वर्षा होने के कारण श्रोत से उपलब्ध जल की नाप नहीं की जा सकी। इस ग्रीष्म ऋतु के जल की नाप करने के बाद ही योजना पर कार्य करना संभव हो सकेगा।

11—श्री राम दुबे, श्री जयराम यादव, श्री गया प्रसाद, श्री राम किंकर, कुंवर तेजभान सिंह तथा श्री राम करन सिंह—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

बदायूं जिले में पौष्टिक आहार योजना

१२—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के किस-किस विकास खंड के क्षेत्र में पौष्टिक आहार योजना चालू की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

बदायूं जिले के आसफपुर, बिसौली तथा राजपुर विकास खंडों में पौष्टिक आहार योजना क्रमशः वर्ष १९६३–६४, १९६६–६७ तथा १९६८–६९ में चालू की गई थी। आसफपुर तथा बिसौली विकास खंडों में इस योजना का कार्यकाल, जो पांच वर्ष का होता है, पूरा हो चुका है। राजपुर विकास खंड में यह योजना चल रही है।

१३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[निरस्त]

जिला परिषद् के अभियन्ताओं का सेन्ट्रल ट्रांसफर कैडर

१४—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् अधिकारियों का सेन्ट्रल ट्रांसफर कैडर १९६६ में बनना तय हुआ था परन्तु पांच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक अभियन्ताओं का उपरोक्त कैडर क्यों नहीं बन सका ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् के अभियन्ताओं का सेन्ट्रल ट्रांसफर कैडर बनाने तथा उसमें नियुक्तियां करने के बारे में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा रहा है। परिषदों से अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त होने में देर लगी है।

कृषि विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का अनुमोदन न किया जाना

१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि कृषि विभाग में ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारीगण (पद व नाम सहित) दिनांक ३१ जनवरी, १९७२ को थे जिनको अपने पद पर कार्य करते हुये एक वर्ष से अधिक हो गया था और नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन तब तक नहीं कराया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

खाद्य उपलब्ध सूचना के अनुसार ३१–१–७२ को कृषि विभाग के तीन अंगों (१) कृषि निदेशालय, (२) कृषि विज्ञान संस्थान तथा (३) फल उपयोग निदेशालय में क्रमशः ११३,२५ तथा 10, ऐसे राजपत्रित अधिकारी थे जिनको अपने पदों पर कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था और वे तब तक लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं थे। इन अधिकारियों के नाम तथा पदों के विषय में वांछित विवरण संलग्न सूची 'क' 'ख' तथा 'ग' में दिया जा रहा है।

१६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[2रे मंगलवार के लिये स्थगित]

१७—श्री कल्याण सिंह—

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

वित्त एवं विनियोजन लेखे १९६९–७० तथा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष १९६९–७० की रिपोर्ट †

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त एवं विनियोजन लेखे १९६९–७० तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष १९६९–७० की रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद १५१ के खंड (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न नत्थी (ख) के नम्बर ५ पर है। इसके संबंध में माननीय सामुदायिक विकास मंत्री ने कहा है कि वांछनीय सूचना एकत्रित की जा रही है। यही प्रश्न नत्थी (घ) पर भी है जो अतारांकित कर दिया गया है। और नम्बर १६ पर यह है कि दूसरे, मंगलवार के लिये स्थगित कर दिया गया और अब इसके लिये वह कहते हैं कि वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

वही अभिप्राय उस का भी है कि जब तक उत्तर नहीं आयेगा तब तक हर १५ दिन पर वह आता रहेगा। आप लिख कर दें तो इसको देखेंगे। लेकिन जो उत्तर यह प्रश्न का दिया गया है वह ठीक है कि वह वांछित सूचना एकत्र कर रहे हैं। वह १५ दिन बाद फिर आयेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

लेकिन उन्होंने फिर उस को स्थगित कर दिया है। आप नत्थी (घ) में नंबर १६ पर देखें . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्थगित किया है, दोनों बातें ठीक हैं वह एक ही हैं। सूचना एकत्र की जा रही है उसका आशय भी वही है। इसलिये यह दोनों सवाल १५ दिन बाद आयेंगे, जब तक उत्तर नहीं आते यह अपनी जगह पर हैं और १५ दिन बाद प्रश्न आते रहेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, हम को जो उत्तर मिले हैं उनको न पढ़ा ही जा सकता है और न देखा ही जा सकता है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप हमें दिखा दें, आप को पठनीय प्रति दे दी जायगी।

श्री सुखपाल पांडेय—

आप कृपया आदेश दें कि उत्तर स्पष्ट और साफ साफ टाइप कर के भेजे जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर तो साफ ही आने चाहिये लेकिन साफ उत्तर आने के बाद भी यदि वह साफ न हों तो आप मुझसे मिल सकते हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

इनका टाइप बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है और इस लिये वह बिलकुल अस्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज के कार्यक्रम की सूची के अनुसार क्रम ४ पर यह विशेषाधिकार. . . .

विरोधी पक्ष के माइक काटने के संबंध में शिकायत

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, विरोधी पक्ष के सब माइक काट दिये गये हैं, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप, आपके नेता और विरोधी पक्ष के अन्य नेता जिस चीज की अपेक्षा करेंगें वह कर दी जायगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

आप सदन के अध्यक्ष पद पर हैं तो हम आप से ही कहेंगे....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सामने तो माइक है ही....

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या इस बात को हम अपने नेता से कहें, हम आप से भी कह सकते हैं, आप ही यहां की व्यवस्था के जिम्मेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आप कह चुके, कहने से नहीं कार्य से मतलब है और इसके लिये विधान सभा सचिवालय में व्यवस्था करानी होती है। जो यह व्यवस्था की बात उठाई जा रही है अच्छा हो और अधिक उचित हो कि नेताओं से कह दें तो आसानी से यह व्यवस्था हो जायगी।

जिला नियोजन अधिकारी तथा जिलाधिकारी गोंडा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न विशेषाधिकार की सूचना का २१ मार्च, सन् १९७२ का श्री त्रिवेणी सहाय का मिला है। इसे मैं पढ़े देता हूं: "महोदय, दिनांक १८ मार्च, सन् ७२ को सोनबरसा मदुवा सोमबंशी तथा कपिसा ग्राम के लगभग १०० किसानों को लेकर मैं जिला नियोजन अधिकारी श्री अमरनाथ सिंह से मिलने गया। श्री अमरनाथ सिंह जिलाधिकारी रामचन्द्र टकरू के पास उनके कार्यालय में उपस्थित थे। उक्त ग्राम के किसानों की यह शिकायत थी कि कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई सड़क पुरानी सड़क पर न बना कर उनके खेतों से नई सड़क निकाली जा रही है जिसके कारण खड़ी फसल को मजदूर बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन लोगों का यह भी कहना था कि उक्त सड़क जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला सहायक अधिकारी श्री शिव मूर्ति सिंह अपने निकटतम सम्बन्धी श्री सूर्यनाथ सिंह एडवोकेट गोंडा के फार्म को जोड़ने के लिये उस सड़क का निर्माण करवा रहे हैं जिसके कारण फार्म को निशाना बना कर सड़क का स्थान बदल दिया गया है। उनकी इस शिकायत को मैं जिलाधिकारी श्री राम चन्द्र टकरू से कहना चाहता था। परन्तु चूंकि सितम्बर, सन् १९७१ में बाढ़ पीड़ितों के प्रदर्शन के समय उन्होंने मुझे बुरी तरह अकारण झाड़ सुनाई और आंख दिखाई थी जिसकी शिकायत मैंने मुख्य मंत्री महोदय से कर रखी है इस कारण उनके पास किसी काम को लेकर जाना बन्द कर रखा है। अतः इसके लिए डी० पी० ओ० महोदय से बात करने के लिए भीतर से बुलवाया उनके बाहर आने पर किसानों ने उपरोक्त शिकायतें कीं। और यह मांग की कि आप २०–२२ दिन रुक जायं ताकि फसल कट जाय। और पुरानी सड़क पर जो नई सड़क से मिली हुई सड़क है, पर सड़क बनायें तो अच्छा रहेगा। परन्तु उन्होंने कहा कि अब तो कार्य प्रारम्भ हो गया है काम बन्द होने का सवाल नहीं खड़ा होता। कुछ फसल का नुक्सान होगा ही। पुरानी सड़क को लेने का सवाल नहीं खड़ा होता। कारण सड़क को सीधी दिशा में ले जाया जायगा। चाहे किसी का खेत पड़े या चाहे किसी का घर। उनके इतना कहने पर किसानों में से एक किसान ने यह कह दिया कि बाबू

सूर्यनाथ सिंह के फार्म तक सड़क बनाई जा रही है। शिवमूर्ति सिंह उनके रिश्तेदार हैं उसे कौन रोक सकता है। इतना कहने पर श्री डी० पी० ओ० साहब एक दम आग बबूला हो गये और उसे डांटने लगे। तब मैंने भी कहा उसमें असत्य क्या है। इस सड़क के सम्बन्ध में न तो मैंने कभी राय दी और न बैठकों में ही तय की गयी थी। और आपने भी इस सड़क को बनाने का कभी जिक्र नहीं किया। हमेशा मुझसे दूसरी सड़क बनाई जायगी। यही बताते रहे इस सड़क के निर्माण को जान बूझ कर निश्चय छिपाया गया है। मेरे इतना कहने पर वे मेरे ऊपर बौखला उठे और आंखें निकाल कर जोर-जोर से कहा कि इस सड़क के लिए आपने भी तो हस्ताक्षर किये हैं। आप लोग हस्ताक्षर बना कर भूल जाते हैं। एम० एल० ए० साहबान का कोई ठिकाना नहीं है। जब देखो तो तब उल्टा सीधा काम लेकर चले आते हैं और हम लोगों पर नाजायज दबाव डालते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने कहा कि यह गलत है। मैंने कभी भी हस्ताक्षर नहीं बनाए हैं और न मेरी राय ही थी और आपने मुझे बताया था और किया चुपचाप कुछ और ही आपसे मैंने हमेशा बरूआ चक से खडासा तक की सड़क बनाई जाने की मांग की है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता आप लोग जो भी चाहें करें। सड़क का काम नहीं बन्द हो सकता। आप ऐसे एम० एल० ए० हमने बहुत देखे हैं। चूंकि जोर जोर से बात हो रही थी इसलिये श्रीराम चन्द्र टकरू ने उन्हें अन्दर बुला लिया और बाद में चपरासी भेज कर चार पांच लोगों को अन्दर आने के लिए कहलाया। मैं उनके बुलाने पर अकेला वहां मिलने गया। वहां जाकर मैंने सारी बातें उनके समक्ष रखीं और किसानों की मांगों को मान लेने का आग्रह किया। इस से वे नाराज हो गये और आप तो हम लोगों की झूठी शिकायतें मिनिस्टरों से करते ही रहते हैं। जाकर उन्हीं से यदि कराया करें तो अच्छा रहता फिर आप को सूचना दी जाय और आपकी राय ली जाय यह कोई जरूरी नहीं है। एम० एल० ए० साहबान का क्या ठिकाना। आज कुछ कहते हैं कल कुछ। नेता गीरी का चक्कर हमेशा सवार रहता है। उनकी इस तरह की बातें हमें बुरी लगी। तब मैंने कहा कि मैं एक शिकायत कर रहा हूं आप उसे सुन लें जो भी आवश्यक कार्यवाही हो करें। उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके कहने से सड़क का काम रोक दूंगा। सड़क का काम नहीं रुकेगा। मुझे आपकी कोई चिन्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का ट्रांसफर ही तो आप करवा देंगे। इसी बीच में श्री डी० पी० ओ० महोदय ने कहा कि साहब इसमें मेरे तथा शिव मूरत सिंह के ऊपर लांछन लग रहा है। इसलिए आप इस सड़क को इसी समय कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा कि कैंसिल करने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। जो मैंने कर दिया ह, वह होगा। इस पर मैंने पुनः इस बात पर आग्रह किया कि आप पुरानी सड़क पर निर्माण क्यों नहीं करवाते, नई सड़क पर निर्माण कराने से सैकड़ों किसान उजड़ जायेंगे और उनकी खड़ी फसल को घोर नुक्सान पहुंचेगा। तब वे मेरे ऊपर बिगड़ उठे और गुस्से में आंख निकाल कर कहा। जाइय-ओ मुझे करना है वह कर रहा हूं। मुझे आपकी राय से काम नहीं करना है। आप जैसे एम० एल० ए० मैंने बहुत देखे हैं। इस तरह मुझे बुरी तरह अपने कमरे में झाड़ा। इसी बीच में श्री लालता सिंह, ब्लाक प्रमुख, बमनजोत, को बुला लिया। मैं वहां से चला आया। जिलाधिकारी तथा नियोजन अधिकारी ने मुझे इस तरह से अपमानित कर विशेषाधिकार की अवहलना की है। अतः मैं नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

त्रिवेणी सहाय, एम० एल० ए०

यह विशेषाधिकार का प्रश्न तो नहीं बनता लेकिन मैं इसे गम्भीरता से जरूर लेता हूं क्योंकि यह प्रश्न कई बार माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है और इसमें क्या तथ्य हैं इसकी जांच होनी चाहिये। अगर ऐसी बात है, जैसा कि इसमें कहा गया है, तो इस अपराधी को

[श्री उपाध्यक्ष]

दंडित करने की कोशिश की जाय। प्रथमतः यह आवेदन-पत्र में माननीय मुख्य मंत्री के पास जांच एवं उचित कार्यवाही के लिए और उनसे यह बताने के लिए कि इसमें क्या कार्यवाही हुयी है, भेज रहा हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इसके पहले भी बाढ़ पीड़ितों के प्रदर्शन के समय की शिकायत भी मैं मुख्य मंत्री जी से कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये तो पुरानी भी शिकायत और यह शिकायत भेज रहा हूं। आपने यह भी लिखा है कि पहले भी वह बिगड़े थे, इसीलिये आप उनसे नहीं मिलना चाहते थे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस संदर्भ में एक बड़े महत्व की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इधर कई बार आकृष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी, चाहे वह एस० पी० हों या डी० एम०, बहुतों का व्यवहार एम० एल० एज० के प्रति न तो शिष्ट रहता है और न तो जो वजन उनकी बात को देना चाहिये वह देते हैं और जो आदर देना चाहिये वह नहीं देते हैं। अगर कोई एम० एल० ए० शासनारूढ़ दल का नहीं है तो फिर उसकी कोई कद्र नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस सारे सदन का मान मर्यादा रखने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई ऐसा सर्कुलर निकालना चाहिये कि कम से कम व्यवहार तो उनका शिष्ट हो। जो लाखों के प्रतिनिधि बन कर उनके सामने जाते हैं उनको आदर तो मिले, उनकी बात तो सुनी जाय। मुझसे यह कहा गया—माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत होऊं—कि एक सर्कुलर निकाल दिया गया है कि जो माननीय सदस्य वहां जायें उन्हें आदर पूर्वक अन्दर बिठाना चाहिये और जब वे वहां से चलने लगें तो उन्हें बाहर ले जाना चाहिये या उनकी बात पूरी सुननी चाहिये। लेकिन इस सर्कुलर का वैसा ही निरादर है जैसा कि आज हिन्दी का निरादर है बड़े-बड़े आफिसर्स के आफिसेज में। तो मैं बड़ी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कि अगर वह समझते हैं कि हमारा और उनका आदर बराबर हो तो इस प्रकार का कोई सर्कुलर निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दफा नहीं, कई दफे परिपत्र गये हैं और यह भी कई बार देखा गया है कि उन परिपत्रों का अनुपालन नहीं होता है। आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं कि सरकारी पक्ष के विधायकों की भी कथित अवमानना करने की चेष्टा की जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

बिल्कुल परवाह नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी भावना से मैं पूर्णतया सहमत हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। शायद इससे भी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो कह दिया कि जांच करायेंगे और आपको सूचना देंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे मुख्य मंत्री जी को इस पर कुछ तो ध्यान देना चाहिये । यह सारे सदन के मान मर्यादा की बात है और मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

मैंने इतनी महत्वपूर्ण बात की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की । मुझे लगता है कि जो मेरी शंका पहले से थी वह और पूरी हो गयी कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो आप ही की भावना को भेज रहा हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है कि आपकी बात यहां न सुने ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जब आप राजेन्द्रकुमारी जी से बात कर रहे हैं तो सुनेंगे कैसे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह आपके गण खड़े हो गये, अब मैं बोलूं कैसे ?

ऐसा दुस्साहस मैं नहीं कर सकता कि आपकी बात को न सुनूं । आपने एक सर्कुलर की बात कही और यह कहा कि एस० पी० और डी० एम० वगैरह को ऐसा सर्कुलर जाना चाहिये कि कम से कम भलमन्सी के साथ एम० एल० ए० की बात पर विचार किया करें और उनको इस तरह का उत्तर न दिया करें और जैसा कि उत्तर इस में आया है यह बात मैंने सुन ली । मैं इस बात से सहमत हूं । कई दिन पहले मैं आदेश दे चुका हूं । यदि सर्कुलर नहीं गया होगा तो जारी हो जायेगा और सर्कुलर के बाद भी शिकायतें आयेंगी तो उनकी जांच की जायेगी और उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसको विशेषाधिकार के लिये स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको औचित्य के भंग का या हनन का प्रश्न मानता हूं । इस पर कार्यवाही होनी चाहिये । विशेषाधिकार समिति में जो आप करेंगे उससे अधिक मैंने उपयुक्त समझा दंड की दृष्टि से । ऐसे लोगों को आखिर स्वयं शासन ही तो नियन्त्रित करता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप एक दो बार पहले भी भेज चुके हैं और उस पर आवश्यक कार्यवाही नहीं होती है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय । उसमें डी० एम० आयेंगे और फिर उस सम्बन्ध में वे कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि सम्मानित सदस्यों के समक्ष जो कार्यवाही हो उसको रख दिया जाय।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक २१ मार्च, १९७२ की बैठक में सदन में दिनांक २२ मार्च, १९७२ के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या आपके सामने निर्णय लिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं था।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इतना कहना चाहता था कि जो आपकी कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हुई उसका मैंने अनुभव किया। मैं व्यंग्य के रूप में नहीं कह रहा हूं लेकिन जैसा कि रवैया चल रहा है केवल इस नाते कि आवश्यकता से बहुत अधिक बहुमत है, यह पहला प्रमाण है गलाघोंटू प्रासेस का, वहां भी यह प्रासेस निकाल लिया गया। कार्य-मन्त्रणा समिति का विचार नहीं है वोट आन अकाउन्ट लेना था तो पन्द्रह दिन का ले लिया। ऐसी व्यूह रचना की कि आगे ये बढ़ने न पायें। ऐक्ट ही बनाकर समाप्त हो जाय। ये पन्द्रह दिन के घेरे में आ जायं। हम लोग अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, चौबीस रोज लिखा हुआ है। जबकि डिस्कशन के लिये मिलने चाहिये पांच रोज साधारण डिस्कशन के लिये मिलने चाहिये कम से कम चार रोज, राज्यपाल के अभिभाषण में मिलना चाहिये, और महत्वपूर्ण विभाग आ रहे हैं उनमें समय मिलना चाहिये। गैर सरकारी दिवसों को छोड़कर। इतने दिन हमें मिलने चाहिये। आपने सदन बुलाया है और सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी आपने आदर नहीं किया। समय अपनी मर्जी से आपने लिया। बहुमत आपके पास था। आपने गलाघोटू प्रासेस का ही काम किया है। इसलिये कार्य-मन्त्रणा समिति बहुमत के बल पर असहाय है। मैं जानता हूं कि सारे सदस्यों ने एक मत से ही इसे कहा था। इसके विपरीत अगर हो रहा है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि इसका कोई सोलूशन निकालें और इसका समाधान कर दें कि हम कोई चीज नहीं कर पाये। आपने हमें पन्द्रह रोज के घेरे में डाल दिया। मैं मानते हुए कि बहुमत को ही मान्य था समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया, वे पास करा लेंगे। मैं लोकतंत्र के इन्टरेस्ट में मुख्य मंत्री से अपील करूंगा कि वे इसको मानें। हमको जितना समय मिलना चाहिये वह मिले। जो वोट आन अकाउन्ट दिया गया है वह संशोधन हो सकता है। उसमें संशोधन कर दें। क्यों पन्द्रह दिन लिये। क्यों नहीं ३१ मई तक लिया। कोई ऐसी बात नहीं थी कि वोट आन अकाउन्ट ले लें नहीं तो सरकार गिर जायेगी। हम तो देने के लिये तैयार हैं। ये ले लें ३१ मई तक। पास कराना है तो पास करा लीजिये। पास तो हर चीज हो जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय आप भी नियमों को देख लीजिये और नियमों के अनुसार जितना समय सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलना चाहिये उतना अवश्य चलना चाहिये। नियमों के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए चार रोज की बहस होती है ५ रोज सामान्य चर्चा होती ह और कम से कम २४ रोज अलग-अलग ग्रान्ट पर विचार होता है। नियमों में स्थिति इसलिये रखी गई है ताकि विरोधी पक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिले और सरकार को भी विरोधी पक्ष की बात सुनने का मौका मिले। प्रश्न यह ह कि कल हजारों लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने आ रहे हैं और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी न होंगे तो उनको निराशा होगी। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कल न भी हों तो किसी एक मंत्री को इसकी जिम्मेदारी सौंप दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो दूसरा प्रश्न है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

मान्यवर, यह बात तो मैंने कल विधान सभा चले उस पर कहा है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आपने कसे यह समझ लिया कि कल नहीं चलेगी ?

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

मेरा तो अनुरोध केवल इतना ही है कि नियमों में जो स्थिति हो उससे हमें सुरक्षा प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे इसमें थोड़ा संशय है। चूंकि मैं वहां नहीं था, विधान सभा के सचिव भी नहीं थे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मान्यवर, थोड़ा मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप मेरी बात सुन लें, तब कहें। आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री---

मान्यवर, जब मेरे एक मित्र ने अपनी बात कह ली तो उनके बाद मुझे समय देना चाहिये था। मुझे तो बहुत कम समय मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य थे। आप पहले मेरी बात सुन लें और तब भी आप बोलना जरूरी समझें, तो बोलें। चूंकि मैं भी वहां नहीं था, सचिव विधान सभा भी नहीं थे, इसलिय मैं ज्यादा स्पष्टीकरण करने की स्थिति में नहीं हूं। बेहतर यह होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी बतावें कि क्या तय हुआ क्योंकि वह वहां उपस्थित थे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें न तो आप थे, न सचिव थे, और न मेम्बर ही थे तो क्या तय हुआ ? पहले आप इस पर प्रकाश डाल दें कि वहां क्या तय हुआ, तो उस पर हमें अपनी राय देने में आसानी होगी। पहले सामने बात तो आवे कि क्या तय हुई, उसके बाद तभी तो पता चल सकेगा कि वह तय हुआ कि नहीं और क्या तय हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई आधिकारिक रूप से नहीं बता सकता कि क्या तय हुआ, लेकिन जो नोट हमारे पास आया है उसमें यह है कि—

(१) उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ पर विचार एवं उसका पारण हो;

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिन उपबंध) (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार एवं उसका पारण हो; तथा

(३) यदि समय बचे तो अन्य विधेयक यदि कोई पुरःस्थापित हो जाय पर विचार एवं उनका पारण हो।

यह २२ तारीख के लिये था। सवाल यह है कि आज जो बिल इन्ट्रोडयूस किये जायेंगे तभी तो कल लिये जा सकेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बात सामने आई। कल कार्य-मंत्रणा समिति में यह बात आई कि केवल एक बिल लिया जाय—सिर्फ एक बिल। अब उनकी जो राय हो कार्य-मंत्रणा समिति के नाम पर, लेकिन कल केवल एक बिल की बात आई थी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका मतलब यह हुआ कि कल यह तय हुआ था कि कल यानी २२ तारीख को हम बैठेंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय नेता जनसंघ ने इतनी बात कही। कल नेता जनसंघ ने जो कुछ कहा था उसे स्वीकार कर लिया गया था।

कल २२ तारीख को सदन बैठे अथवा छुट्टी हो जाय के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि २२ तारीख को सदन जरूर बैठेगा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और यह सर्वसम्मति से पास हुआ कि २२ तारीख को सदन की बैठक होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं तो था नहीं क्योंकि मैं उसी बीच में उठकर चला गया था। मुझको कोई एतराज नहीं है उसके बैठने में अथवा न बैठने में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो कुछ लिखा है वह सर्वसम्मति से तय हुआ था। यह भी तय हुआ था कि एक दिन में दो ही विधयक होने चाहिये जो लिखे हुये हैं। वे विधेयक बहुत साधारण विधेयक हैं और उनमें कोई पेचीदगी नहीं है। जब इसको हमने सर्वसम्मत से स्वीकार किया तो फिर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैंने यह भी पूछा था कि वोट आन एकाउन्ट डेढ़ महीने के लिये ही लेना आवश्यक है। मैंने यह भी कहा कि जो दिन बढ़ाने के लिये आप कहें वह हो जाय। उसको बढ़ाकर ११ मई की तारीख बढ़ाने के लिये तैयार हूं। जितना समय हो सकता है उसको देने के लिये मैं तैयार हूं। कल के विषय में तो तय हो गया था कि कल क्या होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ एसी बात सदन के सामने कहनी हैं जिनको कहने की मेरी इच्छा होती है।

में अपनी राय का इजहार उसमें करना चाहता हूं । यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिलसिलेवार सभी चीजों को कहूं परन्तु मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो नियमों से संबंधित है । नियम की बातें यहां पर अक्सर कही जाती रही हैं और आपसे अधिक नियमों को चलाने वाला और उसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहां पर दूसरा नहीं है । क्या यह मुनासिब है कि जब कोई एक सदस्य, जो पुराने तजुर्बे का है, कोई बात रखना चाहता है तो उसको वह बात कहने भी नहीं दी जाती है । वह कुछ कह भी न पावे और आप विषयान्तर चले जायें । माननीय सदस्यों का जितना आदर होना चाहिये वह हो नहीं पा रहा है । उससे मैं भी संबंधित था ।

श्री उपाध्यक्ष--

उस वक्त तो मैंने ठीक ही किया क्योंकि यह मेरा विवेक है कि जब उचित अवसर हो तब आपको मौका दूं । उस वक्त मैंने उपयुक्त नहीं समझा ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मान्यवर, यदि आपको विवेक है तो अन्य दूसरे सदस्यों को भी विवेक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उस समय अधीर हो गये थे ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

आप स्वयं अधीर हो गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको दिखाई पड़ता होऊंगा परन्तु मैं अधीर कभी नहीं होता ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

ऐसा ही आपको भी मालूम हुआ परन्तु मैं अधीर नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो समय आपको दिया गया है उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि मैं दो, एक बातों को रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव था जिसमें मैं स्वयं नहीं था और मैंने यह भी बताया कि मेरे सचिव भी नहीं थे । प्रश्न उसी का चल रहा था इसीलिये मैंने यह कहा था और उस पर आप अधीर हो गये ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मान्यवर, आप अच्छे स्थान पर बैठे हैं जो चाहें कहें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो चाहें कह सकते हैं, परन्तु मैं जो चाहूं वह नहीं कह सकता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैं कोई अश्लील बात नहीं करूंगा । मुझे इस बात के कहने का अधिकार है कि किस प्रकार से कार्यक्रम चले । मैं इस पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष--

करना चाहते थे लेकिन अब नहीं करना चाहते हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

नहीं मालूम, समय कौन नष्ट कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिसको बात नहीं कहनी होती है, ऐसी बात कहता है ।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो प्रश्न नेता, जनसंघ दल ने उठाया, उस पर बहस मंत्रणा समिति में भी हुई थी । यह सही है कि हम लोगों का खयाल है कि सरकार को जितना समय बजट डिस्कशन पर देना चाहिये, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी ३१ मई तक वोट आन एकाउन्ट लेने की व्यवस्था कर सकें तो कर लें और कल विधेयकों के साथ-साथ वोट आन एकाउन्ट भी पास हो जाय, क्योंकि उस पर बहस की बात नहीं है । डेढ़ महीने की जगह पर दो महीने कर लें लेकिन जितना समय मिल सकता है उतना देने की कृपा करें, क्योंकि इससे न कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों को संतोष हो रहा है और न नियमों का पालन हो रहा है । इसलिये श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा सदन के सम्मानित सदस्यों और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है । अभी जो प्रस्ताव आया उसमें एक बात और कही गयी जो मैं किसी तरह से नहीं समझता कि ऐसा भी प्रस्ताव होगा कि अगर कोई सम्भावित बिल भी आये तो पास होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर समय हो ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

कोई सम्भावित प्रश्न हो तो सदन कैसे पास करेगा ? आप उसको रोकें । अगर कोई सम्भावित बात लेते हैं तो मैं उसको समझने में अपने को असमर्थ पाता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने जब अपनी बात कही तो उसका जिक्र किया । तो मेरा आपसे और वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि मेहरबानी करके वह कृपया इस बात को देखें । यह भी चर्चा आयी कि दो बिल आपके सामने आयेंगे । वह दोनों बिल आज के अजेन्डा में हैं । एक राजस्व मंत्री का है और एक सामुदायिक विकास मंत्री का है । हम लोगों की यह राय थी कि एक बिल कल लिया जाय । सही बात तो यह है कि हम लोग यह चाहते थे कि बजट के सिलसिले में जो कार्यक्रम है कल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, उस पर चर्चा हो लेकिन उसको हटाकर विधायी कार्य करने को प्राथमिकता यह दी जा रही है । तो वैसे ही दिन कम हैं और उसमें भी कुछ दिन काटे जा रहे हैं तो यह बात जाहिर करती है कि सरकार वित्तीय कामों के लिये कितने दिन देना चाहती है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप डेढ़ महीने के बजाय दो महीने का वोट आन एकाउन्ट कल पेश कर दें । अगर कोई सप्लीमेंटरी पेश नहीं हो सकता तो जो पिछला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राविधान है उसको विदड्रा करके नया बजट पेश कर दें और कल वोट आन एकाउन्ट पास करा लें ताकि हम लोगों को उतने दिन मिल सकें जितने की नियम में व्यवस्था है और जितने दिनों की आवश्यकता है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

कार्य-मंत्रणा समिति का जिक्र आ गया । पहले तो इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि क्यों न ५ रे मई भर के लिये लेखा अनुदान आ जाय और सदन और सरकार तथा सभी माननीय सदस्यों को सुविधा मिले । हमको ३३ दिन चाहिये । ४ दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के लिये, ५ दिन बजट पर सामान्य चर्चा के लिये, २४ दिन आगणन पर मतदान के लिये, ३३ दिन ये दे दें । उसके अलावा जो विधायी कार्य के लिये चाहिये, यदि ऐसा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है । १५ मई तक लेखा अनुदान है । इसीलिये यह आया कि यह समय बढ़ा दें । इतनी सारी बातें हुईं । लेकिन यह बात तय नहीं हो सकी तो कल समिति के बैठने का निश्चय किया गया । कल हम लोग उठकर चले आये । कल्पनाथ सिंह और त्रिपाठी जी भी थे । दो विधेयक ले लिये जायं, यह तय नहीं हुआ । जैसा कि कहा गया, ९ अध्यादेश हैं जिनको पास करना एक मई के पहले जरूरी है । यह कहा गया कि ९ के लिये ९ दिन आवश्यक होंगे । हम लोग इसलिये चले आये कि अगर यह तय हो कि केवल विधायी कार्यक्रम हो तो एक विधेयक ले लिया जाये । उसके अलावा और कोई हो तो न करें । श्रीमन्, प्रश्नों के घंटों में जो यह बैठक हुयी, उसको सर्वसम्मति से कहने का निर्णय न कहा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे खेद है कि जो वहां निर्णय हुआ, उसके बारे में वे सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, जो चले आये हैं । जो लोग वहां थे, वे प्रस्ताव से सहमत थे । जो प्रस्ताव था, वह पारित हुआ कि २२ को चलेया न चले । विरोधी पक्ष ने जब यह कहा था कि २२ को चले तो यह स्वीकार हुआ । अब श्रीमन्, जो सुझाव श्री कल्पनाथ सिंह, माननीय उप नेता, विरोधी दल ने दिया है अगर यह बात निकाल दी जाय तो उनके सुझाव को मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस मामले में सरकार की भी कठिनाई है और विरोधी पक्ष की कठिनाई है, इनके साथ मेरी भी कठिनाई है और वह है नियमों की । इसमें हमें यह तय करना है कि कल सुबह करेंगे या शाम को । २८ तारीख के बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रातः कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल सुबह करना है तो हम कल सुबह बात कर लें कि क्या लिया जाय और क्या न लिया जाय । दूसरी कठिनाई जो विरोधी पक्ष की होगी वह मैं पढ़े देता हूं जो नियम १२३(२) है—"यदि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे।

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा

[श्री उपाध्यक्ष]

की अनुज्ञा दे सकेंगे।" तो नियम की स्थिति को भी देखना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सहमत हो जायं तो किसी नियम को भी निलम्बित करने की क्षमता आप में है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुये मैं समझता हूं कि कल सुबह कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो जाय और उसमें कल के लिये भी कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो विधेयक पुरःस्थापित हो गये हैं तथा जिन पर कल चर्चा के लिये प्रश्न है उन पर तो कल ही चर्चा हो जाय, कल तो २८ तारीख को क्या कार्य हो इस पर ही विचार हो जाय। कल तो विधेयक ही ले लिये जायं, यह मेरा निवेदन है। कल के लिये तो निर्णय हो चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

यह निर्णय तो अभी वैधानिक नहीं है। कल के लिये भी आप तय करेंगे। कल के लिये अभी कुछ तय नहीं हुआ है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, यह जो हमारे माननीय मित्र सामने बैठे हैं यह इतना तो मानते हैं कि कल एक बिल लेने के लिये तय हुआ है और स्वामी जी महाराज यह कहते हैं कि कल के लिये भी अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो अभी आपस में भी इन लोगों ने तय नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि कल विधायी कार्य ले लिया जाय। दो छोटे-छोटे जो बिल हैं यह ले लिये जायं। २८ के लिये क्या कार्य हो यह आप कल मीटिंग में तय कर लें। काफी समय आज सदन का इसमें चला गया। कल विधायी कार्यक्रम आप ले लें, यह विधेयक आज पुरःस्थापित हो जाय और इनका नोटिस आप लें लें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, तो कल ये दोनों विधेयक रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६३ पर)

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६५ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज जितने कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है राजकीय कला विद्यालय के विद्यार्थियों के संबंध में। वे पिछली फरवरी से आन्दोलन कर रहे हैं। उनको नेशनल डिप्लोमा मिलता था जिसे सरकार ने वापस ले लिया है और पता नहीं अब उनको कौन-सा डिप्लोमा मिलेगा। १७ फरवरी को उनका फार्म दाखिल होने को था वह दाखिल नहीं हुआ। २७ फरवरी को प्रैक्टिकल्स नहीं हो पायेंगे। २ अप्रैल से उनके प्रैक्टिकल्स होने जा रहे हैं। विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उनको नेशनल डिप्लोमा दिलाने की व्यवस्था की जाय। इस सदन के अन्दर इस विषय को मुझे उठाने दिया जाय और पुरानी परम्परा से हट कर आज इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, नित्यानन्द जी ने जो कला विद्यालय के विद्यार्थियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। १५ दिन से विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों के जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मुख्य मंत्री जी से हम लोग मिले लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। साथ ही साथ एक और कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरा है कि प्रदेश में संस्कृत पढ़ाने वाले हजारों अध्यापकों ने प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की और शिक्षा मंत्री जी उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला और कहा कि संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाय, ग्रेच्युइटी दी जाय, उनके लिये पेन्शन के नियम बनाये जायं। मेरा निवेदन है कि सारा कार्य आज रोका जाय और कला संकाय तथा संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों की स्थिति के बारे में सदन विचार करे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, कला के विद्यार्थियों के बारे में स्वामी जी ने····

श्री उपाध्यक्ष—

स्वामी जी स्वयं सामर्थ्यवान हैं, वह आपकी सहायता की अपेक्षा नहीं करते। आप बैठ जायं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा एक कामरोको प्रस्ताव है । स्टेपिल सूत की कीमत इतनी बढ़ गयी है जिसके कारण बुनकरों का धंधा ठप्प पड़ गया है। राज्य मंत्री विभव जी ने स्वयं कहा है कि स्टेपिल सूत के दामों में वृद्धि के कारण हथकरघा अलाभकर हो गया है और बुनकर भूखों मरने की स्थिति में आ गया है । राज्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है लाखों बुनकर भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय और इस पर चर्चा चलाई जाय। सरकार स्वीकार करती है, मिल मालिक मुनाफाखोरी कर रहे हैं यह विभव जी ने वक्तव्य में स्वीकार किया है, इसलिये स्टेपिल सूत के दाम बढ़ गये हैं । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । आप अवश्य उठाने की स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री गोविन्दसिंह नेगी के खड़े होने पर) आपका नाम नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आपके बारे में कह रहा हूं बुनकरों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर बहस की जब इजाजत दे देंगे तो मौका मिलेगा । आपका नाम नहीं है । जिन्होंने सूचना दी है नियम ५६ के अन्तर्गत वह मैं सुना रहा हूं । श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा और श्री अनन्तराम जायसवाल ने स्टेपिल सूत की कीमतों में वृद्धि के कारण बुनकरों में असंतोष की बात कही है । श्री नित्यानन्द स्वामी ने उत्तर प्रदेश में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों को नेशनल डिप्लोमा न देने के कारण छात्रों में असंतोष, की बात कही है । श्री रामगोपाल संड और श्री राजितराम पांडेय ने प्रदेश के संस्कृत पाठ-शालाओं के अध्यापक एवं शिल्प कला महाविद्यालय के छात्रों द्वारा हड़ताल की बात कही है। उप चुनाव में सरकार द्वारा अनियमितताओं तथा पक्षपातपूर्ण कार्य के कारण जनता में असंतोष, यह श्री कल्पनाथ सिंह, श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेंद्र विक्रम तथा श्री रामबिलास पांडेय की ओर से है । एक माननीय हुकुम सिंह परिहार की ओर से है आगरा जिला ब्लाक फतेहाबाद वन्ना गांव में आग लग जाने से जन-जीवन आपत्ति में है ।

ये जितने प्रश्न हैं जो आपने नियम ५६ के अन्तर्गत उठाये हैं, मैं आपका ध्यान आज कार्य सूची में नम्बर १३ की ओर दिलाऊंगा, जिसमें (१) से लेकर (३८) तक इन सारी बातों का समावेश है, जो बहस आप चाहते हैं, इन मांगों के अन्तर्गत आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन सुन लें । अनुपूरक अनुदानों पर मांगों स जिन विषयों का संबंध होगा उन्हीं विषयों तक सीमित चर्चा हो सकती है। अगर आप यह व्यवस्था करते हैं कि अन्य प्रश्न भी उठाये जा सकते हैं तो दूसरी बात है । मेरा निश्चित अभियोग है सरकार पर....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कौन नहीं उठाया जा सकता । आपका सवाल पांच में उठ सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर आप व्यवस्था देते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर है तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

दूसरी बात भी निवेदन कर दूं । मेरे पक्ष से जो बातें कही जायं उनका भी उत्तर आ जाय । लेकिन फिर आप कहेंगे कि किसी को खास उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । स्थिति यह हो जाती है कि उस पक्ष से कोई उत्तर न आये इसलिये एक निश्चित घटना है दसों पिछले चुनावों में सरकार के सरकारी मशीन और सरकारी साधनों का खुलकर जिस प्रकार प्रयोग किया है, जनतंत्र के लिये वह कलंक है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पर बहस करने की इजाजत दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहस कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय ही नहीं है, चुनाव आयोग . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर ये सारी चीजें साबित हो जायं तो एलेक्शन ट्राइबुनल इनके सारे सदस्यों को डिबार कर देगा । लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं । मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे सदस्यों को अनसीट करा दीजिये । यह काम एलेक्शन ट्राइबुनल का है । इस प्रदेश में रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है सरकारी मशीन और सरकारी कार्यों के द्वारा उस पर चर्चा करना चाहते हैं । केवल हमारा विषय इतना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह हम कहां उठायेंगे स्टेपिल सूत के बारे में ? लोग भूखों मर रहे हैं सरकार स्वीकार भी कर चुकी है । इस पर भी आप कार्य-स्थगन नहीं देंगे तो कब देंगे । यह कब उठाया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव में जो विषय उठाये गये हैं, वे कार्यसूची की मद १३ के अन्तर्गत सब आ जाते हैं । कार्यसूची की मद १३ में इनके लिये समय उपलब्ध है । इस समय यों नियमों की स्थिति यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो आपने नियमों की परिभाषा की है कि बजट के दिनों में कोई विषय इस तरह नहीं उठाया जायेगा, वह आपने उसी तरह से व्याख्या की है—शैवलाक की कहानी याद आती है कि कत्ल हो लेकिन खून का एक कतरा भी न गिरे . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आज ही आपको उपचार उपलब्ध है । आप अपनी बात को, जो मद हैं उनके अन्तर्गत उपयुक्त जगह पर कह सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, सूचना मंत्री जी बैठे हुये हैं...

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगवीर सिंह (जिला मेरठ)---

आपने यहां पर स्टेपिल सूत के मामले को नहीं लिया है और मुझे भी आप समय नहीं देना चाहते हैं, आपने कार्य-स्थगन स्वीकार नहीं किया है। आपके इस निर्णय के विरोध में मैं अपना असंतोष प्रकट करने के लिये सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री जगवीर सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, यह सदन, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं आर्ट-कालेज के छात्रों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आप सूचना मंत्री जी से इतना आश्वासन दिला दें कि वह बच्चों को बुलाकर बातचीत कर लें। मैं इस पर डिबेट के लिये इंट्रस्टेड नहीं हूं, केवल उनके भविष्य के बारे में। २७ को प्रैक्टिकल होने को है।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी को मैं सीधे लिखे देता हूं कि इस पर इस बीच वह जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत कर लें। इसे मैं उनके पास भेज दूंगा।

श्री रामगोपाल संड--

कृपया आप शिक्षा मंत्री को भी निर्देश दे दें कि वह संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को जो हड़ताल और आन्दोलन और भूख हड़ताल कर रहे हैं, बाहर की भी बात शांति से सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

उचित कार्यवाही के लिये आपका भी भेज दूंगा।

१९७१-७२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री उपाध्यक्ष---

मैं जानना चाहता हूं कि इन मांगों पर जनरल बहस हो जाये या एक-एक को लेकर बहस हो जाये?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

बहस हो जाये फिर एक साथ ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में विरोध पक्ष वाले अपनी राय दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

बहस हो जाये तथा बाद में रखकर पास करा लिया जाये एक साथ में।

श्री उपाध्यक्ष--

तो ३ बजे तक इस पर सामान्य चर्चा हो जाये?

श्री कल्पनाथ सिंह--

४ बजे तक रखिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ३८ मदें हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप जैसा मुनासिब समझें वैसा कर लें।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पूरक बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया है। मैं केवल इस बजट के माध्यम से प्रदेश के अन्दर जो असन्तोष व्याप्त है और सदन के सामने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के जो लोग सत्याग्रह और भूख हड़ताल कर रहे हैं और जिसके बारे में मैंने एक कार्य-स्थगन का भी प्रस्ताव आपके पास भेज दिया था, उसको संक्षेप में सदन के सामने रखूंगा। मान्यवर, इलाहाबाद में एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज है जिसका सम्बन्ध चिकित्सा विभाग से हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि इस अवसर पर यहां माननीय राज्य चिकित्सा मंत्री भी उपस्थित है। तीन महीने हो गये हैं वहां के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। राज्य चिकित्सा मंत्री ने इलाहाबाद और मुरादाबाद में यह वक्तव्य दिया था और माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने भी १८ सितम्बर, १९७१ को एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में सुधार लाने के लिये और वहां पर हो रही अव्यवस्था और मनमानी को रोकने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय में डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किये जायेंगे। जो स्वास्थ्य निदेशक और प्रबन्धकों की मनमानी रोकने के लिये तथा इसके लिये जो अनुदान सरकार देती है उसको देखने के लिये कि यह अनुदान सही रूप में उपयोग हो रहा है या नहीं, इसको भी देखेगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगभग १ लाख रुपया लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक चिकित्सालय की बिल्डिंग बनवाने के लिये दिया गया था। उसका वहां के व्यवस्थापकों ने दुरुपयोग किया। २६ हजार रुपया वहां के विद्यार्थियों को ५०–५५ रुपया छात्र वृत्ति देने के लिये प्रावधान किया गया था किन्तु वहां के प्रबन्धकों ने उसका गोलमाल किया है। ये होम्योपैथिक ३ महीने से बन्द है और विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। अभी ४–५ रोज पहले श्री पी० सी० शर्मा ने मुरादाबाद में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस भ्रष्टाचार को रोकन के लिये सरकार शीघ्र ही प्रशासक नियुक्त करेगी। इलाहाबाद के एक होम्योपैथिक कालेज में ६०० और दूसरे में २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं और स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री के नाम पर चलने वाला यह होम्योपैथिक कालेज आज एक कलंक बन रहा है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इसी सामान्य बहस के रूप में संस्कृत के अध्यापकों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो कि ३६ घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे बहुत मामूली हैं। पहली मांग यह है कि उनको प्राविडेन्ट फंड की सुविधा दी जाय, दूसरी यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामगोपाल संड]

उनके अवकाश के नियम वहीं हों जो कि इन्टरमीडियेट और हाई स्कूल के अध्यापकों को दिये जाते हैं और तीसरी यह कि जो महंगाई भत्ता माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को दिया जाता है वही उन्हें भी दिया जाय तथा उनका वेतन-क्रम वही हो जो कि इन्टरमीडियेट और हाई स्कूल तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों को मिलता है। वे लोग कल माननीय शिक्षा मंत्री जी को मिले भी थे किन्तु उन्होंने उनको कोरा आश्वासन दे दिया है।

अभी मैंने एक प्रश्न कला संकाय के विद्यार्थियों, जो कि यही लखनऊ में गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनकी मांग है कि उनका सम्बद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से हो, उनको डिग्री दी जाय। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ नेता के प्रतिनिधि तथा उनका एक शिष्ट मंडल फरवरी के महीने में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मिला था और उन पर मंत्री जी ने आश्चर्य भी प्रकट किया था और कहा था कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, आप तो स्वयं एक अध्यापक रहे हैं। आज आप यहां पर उपाध्यक्ष के रूप में पीठासीन हैं, आपको उनकी कठिनाइयों का ज्ञान है। अतः आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दें और उनसे आग्रह करें कि सरकार से ये जो छात्र भूख हड़ताल में बैठे हैं उनके साथ न्याय हो। उनको डिग्री मिलनी ही चाहिये। उनके प्रैक्टिकल्स २७ तारीख को होना ही चाहिए, इनके फार्म भरे जाने चाहिये और सचमुच आप अगर गरीबी और बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं, छात्रों को अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं तो उसका यह मार्ग नहीं है जिसको कि सरकार ने अपनाया है कि कला संकाय को डिप्लोमा ही दिया जायगा डिग्री नहीं दी जायगी, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किये जायंगे। तो मैं चाहता हूं कि सूचना मंत्री बड़े प्रभावी मंत्री हैं, आशा है वह कुछ न कुछ अवश्य इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

तीसरी चीज मुझे वित्त मंत्री जी को याद दिलानी है कि वह सचिवालय कर्मचारी परिषद् के अध्यक्ष थे, इलाहाबाद गये थे और पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में बोले भी थे। वह आज सशक्त हैं, उनके पास बड़ी ताकत है। बीच में लक्ष्मीरमण आचार्य या कैलाश प्रकाश आये। वह जब-जब वित्त मंत्री बने कभी कर्मचारियों की समस्याओं को हल नहीं कर सके। संविद काल में जब दुर्भाग्य या सौभाग्य से हम उधर बैठते थे, कैलाश प्रकाश जी मंत्री थे तो यहीं पर नारायणदत्त जी ने ही मांग उठायी थी राज्य कर्मचारियों की ओर से कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिये और उधर के वित्त मंत्री जो कैलाश प्रकाश थे वह उत्तर नहीं दे पाये थे। मैं उनसे भी असंतुष्ट था। आज मुझे बड़ा खेद है कि एक समाजवादी हृदय रखने वाले नवयुवक जो हमेशा गरीबों के हित के लिए लड़े हैं, नेतृत्व किया है अब यह उत्तर देते हैं कि केन्द्र से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। यही उत्तर सन् १९६६ से मिल रहा है। बीच में सुचेता कृपालानी ने, चरण सिंह ने, टी० एन० सिंह ने यही उत्तर दिया। यही कमलापति त्रिपाठी दे रहे हैं और दिसम्बर, जनवरी में दिया। जब यह सवाल उठाया जाता है केन्द्र के आधार पर महंगाई भत्ता देने का और यही कर्मचारियों को, अध्यापकों को नगरपालिका के कर्मचारियों को तो बड़ी मासूमियत से बताया जाता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं। मैं बताता हूं साधन। बिक्री-कर का ३८ करोड़ रुपया प्रदेश में बकाया पड़ा है, वित्त मंत्री ने बताया है। क्या कारण है कि उसे वसूल न किया जाय और यह आग, यह ज्वाला जो लग रही है, फैल रही है और १४–१५ तारीख को न केवल इलाहाबाद में मुकम्मिल हड़ताल हुई, यहां भी हुई होगी जिसमें ६ लाख कर्मचारी, लाखों अध्यापक, गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया, मैं चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री अपने बजट को रखें तो उत्तर दें, ठोस बातें बतायें कि सन् १९६६ की जुलाई से चलने वाले इस आन्दोलन को कब तक चलायेंगे ? ६२ दिन की हड़ताल पुरानी नहीं हुई, कब तक राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन जारी रहेगा और नगरपालिका के कर्मचारी और अध्यापकगण कब तक सड़कों, चौराहों पर मारे-मारे फिरते रहेंगे और जलूस उठाते रहेंगे ?

आज प्रदेश क अन्दर चीनी ४ रुपया किलो इलाहाबाद के अन्दर बिक रही है। मैंने इस संबंध में नियम ५१ भी दिया है और सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी आधी चली जाती है चोरबाजार में, कार्ड-होल्डरों को नहीं मिलती। मैं इलाहाबाद के मध्य से चुनकर आया हूं, राजेन्द्र कुमारी भी वहीं से चुनकर आयी हैं। बड़ी परेशानी है। रोज वक्तव्य निकलते हैं।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

पूर्व विधायक नौनिहाल सिंह ने डी० एम० पर आरोप लगाया कि वह मिल गये हैं, फूड अधिकारी मिल गये हैं और चीनी में सूजी मिलायी जाती है। गीली चीनी दी जाती है। मैंने गीली चीनी का नमूना रखा था और जिलापूर्ति अधिकारी ने लिखित क्षमा मांगी थी। सब सस्ते गल्ले की दूकानों पर गीली चीनी थी। इस प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे कि पूरा नियंत्रण किया जाय। गुड़ की मंडी में तीन रुपये ९० पैसे चीनी और सरकारी गल्ला की दूकानों पर २ रुपया किलो है जबकि आधी चीनी गायब हो जाती है। इस प्रकार से पूर्ति विभाग के भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं।

इन तीन चार चीजों की ओर ध्यान दिलाते हुए कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के आधार पर भत्ता दिया जाय। इलाहाबाद के होम्योपैथी के छात्रों के लिये एक बिल बनाया जाय और गैर-जिम्मेदार प्रबन्धकों से उनको मुक्ति दिलाई जाय और इसके साथ ही साथ कला के विद्यार्थियों को डिग्री दी जाय। चीनी तथा खाद्यान्न की समस्या को सरकार हल करे। खाद्य मंत्री, सूचना मंत्री, शिक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे मेरी बातों का वैज्ञानिक उत्तर देंगे।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों के संबंध में कुछ कहना चहूंगा कि हमारे प्रदेश में १० चुनाव हुये और उन सब में हमारी शासकीय कांग्रेस विजयी हुई। परन्तु उसकी विजय जनता की भावना का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। इन चुनावों में सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारियों तथा सत्ता का बड़े व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं बल्कि जो विरोधी दल इन चुनावों में भाग ले रहे थे, उनको अपने अधिकार चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। मेरे जिले में दातागंज क्षेत्र में चुनाव हुआ था और उसमें शासकीय कांग्रेस विजयी हुई थी। उसका थोड़ा-सा मैं उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

दातागंज में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों में जहां चुनाव हुआ है वहां की अजीब लीला है। यह कहा जाता है कि चुनावों में लाखों रुपया पानी की तरह बहाया गया है और शराब उसमें मुख्य चीज थी। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्रिगण जो चुनाव के दौरे पर गये उन्होंने सरकारी अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर सहयोग प्राप्त किया। यहां तक कि मुख्य मन्त्री जी जब वहां गये और दातागंज में जब सभा थी तो जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों ने दूसरे दलों को चुनाव प्रचार करने से रोका और कहा कि आज मुख्य मन्त्री जी आ रहे हैं इसलिये आज यह सब कार्य बन्द रहेगा। शुक्रवार का दिन था और तीन तारीख को वे वहां पहुंचे थे। दातागंज एक बहुत छोटा-सा कस्बा है जिसकी आबादी चार हजार है, वहां एक बाजार लगता है जिसमें हजारों आदमी आते हैं। विरोधी दल जो माइक पर प्रचार कर रहे थे और पर्चे बांट रहे थे उनको यह कहकर रोका कि आज मुख्य मन्त्री जी आ रहे हैं इसलिये वे प्रचार न करें। इतना ही नहीं बल्कि उनको डराया, धमकाया गया और ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा जनता से अपनी बात कहने से रोका गया।

दातागंज में जो चुनाव सभा हुई उसमें सरकारी ट्रांसफार्मर से बिजली ली गई। यदि विरोधी दल के नेता सभा करते तो क्या उनको उस सरकारी ट्रांसफार्मर से बिजली मिल सकती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

थी ? कदापि नहीं । माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी वहां पर एक सप्ताह तक रहे । इतना ही नहीं जिस बदायूं नगरपालिका का अध्यक्ष जिसके खिलाफ सरकार के पास मामला विचाराधीन है वह उनके दायें-बायें रहकर चुनाव में प्रचार कार्य करता रहा । इतना ही नहीं उनकी इच्छा पर सभी नगरपालिका के कर्मचारियों की दो दिन पहले छुट्टी करदी तथा सैकड़ों प्राइमरी मास्टरों को बुलाया गया । अकेले बदायूं नगरपालिका के ५० कर्मचारी और सैकड़ों अध्यापकों को चुनाव के दिन मतदान कन्द्रों पर लगाया गया जितने टाउन एरिया और नोटिफाइड एरियाज हैं उनके कर्मचारियों को चुनाव कार्य में लगाया गया । स्वायत्त शासन मन्त्री जी न अपनें पद का दुरुपयोग किया उन्होंने सत्ता में रहने के कारण नगरपालिकाओं की मशीनरी का उपयोग किया इतना ही नहीं बल्कि जितने कांग्रेस के चुनाव कार्यालय थे, वहां एस० ओ०, डी०एस०पी० और सी०ओ० जाकर बैठते थे । मैं नहीं समझ सकता कि अगर कोई मन्त्री महोदय चुनाव के एयाम में उस क्षेत्र में गये तो वह राजकीय दौरा था या संस्थागत दौरे में दौरा था । अगर वे संस्थागत दौरे पर गये थे तो यह ठीक है कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये लेकिन यह क्या बात है कि पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी कांग्रेस के चुनाव दफ्तर में जाकर बैठें तो यह मतदाताओं को प्रभावित करने का तरीका नहीं तो और क्या है । इस प्रकार से चुनाव के अन्दर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

इतना ही नहीं जिलाधिकारी महोदय ने चुनाव के दो दिन पहले उस क्षेत्र का दौरा किया । कहा जा सकता है कि वे कानून व्यवस्था देखने के लिये दौरे पर गये थे तथा त्वरित रोजगार देने की जो एक योजना वहां पर चल रही है उसका निरीक्षण करने के लिये गये थे । वे एक सेंजनी गांव में गये । वहां एक सज्जन से जिलाधिकारी ने पूछा तुम किस पार्टी में काम कर रहे हो । उसने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं लेकिन इस क्षेत्र के श्री जगमोहन सिंह जो प्रत्याशी हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनका काम कर रहा हूं । जिलाधिकारी ने उनसे तुरन्त कहा कि तुम्हारा बन्दूक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, बन्दूक को तुरन्त ही तुम दाखिल कर दो । मैं पूछना चाहता हूं कि उनको यह पूछने का क्या अधिकार था कि तुम किस पार्टी में काम कर रहे हो । चुनाव के दिनों में किसी भी जिलाधिकारी को यह क्या पड़ा था कि वह किसी से पूछे कि तुम किस पार्टी में काम कर रहे हो । हो सकता है उसका यह जवाब दे दिया जाय कि बन्दूक का लाइसेन्स इसलिये कैंसिल कर दिया गया कि त्वरित योजना में जो सड़क बन रही थी, उसमें वे बाधा डाल रहे थे जबकि ऐसी बात न थी । लेकिन यह क्या बात थी कि चुनाव के ऐन १–२ दिन पूर्व ही जिलाधिकारी को वहां जाने की फुरसत मिली और बन्दूक को दाखिल करवाया । क्या चुनाव के दिनों में यह जनता को प्रभावित करने का एक तरीका नहीं है ? क्या इससे जनतंत्र पर कुठाराघात नहीं होता ? जनतंत्र में विरोधी दलों को एक महत्ता है लेकिन यदि जो एक बार शासन में आ गया, एक बार कुर्सी पर बैठ गया, वह चाहे कि हम सदा ही शासनतंत्र का दुरुपयोग करके कुर्सी पर बैठे रहेंगे । यदि ऐसा होता है तो क्या वह जनता को आतंकित करने का तरीका नहीं है । यह लोकतन्त्र के लिये बिलकुल ठीक नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी ने लोकतन्त्र की जो कल्पना की थी वह साकार नहीं हो रही है । यह इससे स्पष्ट है कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी दौरे पर गये तो सारे जिलाधिकारी—डी० एम०, एस० पी०, डी० पी० ओ० और तहसीलदार आदि सब लोग उस क्षेत्र के दौरे पर निकले । यह कहा जा सकता है कि शासन के काम से गये थे, सुरक्षा की दृष्टि से गये, लेकिन क्या इससे पूर्व भी कभी वे लोग दातागंज गये थे ।

एक मन्त्री हैं—श्री ओम प्रकाश सिंह, वे भी अपने दौरे पर वहां पहुंचे और उस दौरे पर वे पूछते फिरे कि यहां कांग्रेस का काम कौन-कौन कर रहा है । हो सकता है कि वे कांग्रेस संगठन के ख्याल से गये हों लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मतदान केन्द्रों पर उनका यह मालूम करना कि कांग्रेस का काम यहां कौन-कौन कर रहा है, क्या मतलब रखता है ? यानी जो कांग्रेस

के विरोध में काम कर रहे हैं उनका आप क्या करेंगे। यह लोकतन्त्रीय तरीका नहीं है। यह लोकतंत्रीय परम्पराओं और मान्यताओं के विरुद्ध है और इसका इन चुनावों में खुल कर प्रयोग किया गया है। सत्ता, पैसा और शराब का प्रयोग करके जनतंत्र का दम घोंटा गया है और इन्हीं तरीकों से १० सीटों का चुनाव जीता गया है।

मिर्जापुर में तो यह चीज चरम सीमा पर ही पहुंच गयी। मैं ही नहीं, सारे समाचार-पत्रों में इसकी बड़ी भारी चर्चा है कि इस चुनाव में वहां पर कम से कम ३–४ लाख रुपया खर्च किया गया है और इसी चुनाव के बीच वहां पर करीब १–डेढ़ करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य हुए। सार्वजनिक कार्य हों, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चुनाव के दिन ही कांस्टी-टुएन्टी विशेष में अपना प्रभाव डालने के लिये कोई कार्य किया जाय, यह लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध है। सदन को ऐसी सरकार के ऊपर कोई अंकुश लगाना होगा जो इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। १२ तारीख को दातागंज में चुनाव हो रहे थे, ९ तारीख को जिला चुनाव कार्यालय से हमें एक पत्र मिला कि वहां के लिये जो बैलट पेपर राजकीय मुद्रणालय में छपे थे, उनमें से १८ से ७५ तक के बैलेट पेपर्स गुम हो गये हैं और १ से १७ तक नहीं मालूम क्या हुए, ४४४ का बैलेट पेपर हैं, कोई ९५५ का है, और इस तरह से अनेक सीरीज से बैलट पेपर गुम हैं। यह एक पहला उदाहरण है कि कितनी बड़ी मात्रा में बैलट पेपर गुम हैं। आप जानते हैं कि गणना का कार्य अलग-अलग मेजों पर होता है और किस तरह से उनको मिलाया जाय यह बहुत कठिन कार्य है। इस तरह की जब सरकार की कार्य विधि चले, जब चुनाव में इस तरह की नीति अपनाई जाय और गणना की इस तरह की विधि चलायी जाय तो जनता के मन में एक शंका पैदा होती है और एक भ्रम पैदा होता है कि चुनाव ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रमाणिकता के साथ नहीं होते और उनमें सरकार अपनी मनमानी और अपना गोरखधन्धा चलाती है और उसके फलस्वरूप शासकीय दल बिजयी होता है। इसलिये मैं सदन से और प्रदेश की जनता से कहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि सरकार पर और उसकी इस प्रकार की गति विधियों पर अंकुश लगाया जाय क्योंकि अपनी सत्ता को कायम रखने के लिये और उसको चलाने के लिये यह कोई भी निकृष्ट कार्य कर सकते हैं। यह बात तो मैं इतनी सी बात कहकर यहीं समाप्त करता हूं।

कुछ बात मैं बदायूं नगरपालिका के सम्बन्ध में भी इसी सिलसिले में कह देना चाहता हूं। वहां के कर्मचारी पिछली १६ तारीख से हड़ताल पर हैं। कलमबन्द हड़ताल पर हैं और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के नोटिस में यह बात होगी कि वहां पर वहां के मेम्बर ही चेयरमैन के विरुद्ध एफ० आई० आर० लिखा रहे हैं और पिछले दिनों में २ बार सफाई कर्मचारी विभिन्न अवसरों पर हड़ताल कर चुके हैं और उन अवसरों पर स्वायत्त शासन मन्त्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं कि जो महंगाई भत्ता अन्य जिलों में दिया गया है वही बदायूं नगर-पालिका के कर्मचारियों को भी दिलाया जायगा। मन्त्री जी स्वयं बरेली के रहने वाले हैं और पड़ोस का जिला होने के कारण उन्हें समय-समय पर वहां जाने का अवसर मिला है और कर्म-चारीगण उनसे मिले हैं और उन्होंने उनको अपना ज्ञापन भी दिया है लेकिन यह सब होने पर भी यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस दिन माननीय मुख्य मन्त्री जी बदायूं जायं और जिनको वहां के २०० कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से एक ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन उनको ज्ञापन नहीं देने दिया गया और उनको हटा दिया गया। उनकी मांग वर्दी और जरसी के बारे में थी और वह ५–१० रुपया महंगाई भत्ता बढ़वाना चाहते थे। वहां के नगरपालिका अध्यक्ष की दशा यह है कि वह कहते हैं कि अब हम शासक दल में आ गये हैं, अब हम धर्मदत्त जी वद्य के यहां हो आये हैं और अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और हम जो चाहेंगे वह करेंगे। मैं नहीं जानता कि इस तरह के जब नगरपालिकाओं के अध्यक्षों का व्यवहार होगा तो किस तरह से प्रदेश की नगरपालिकाओं के संचालन में ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन आ सकेगा। जिस

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितताओं और गलत कार्यों का ढेर लगा है और अम्बार लगा हुआ है और बराबर सारे जिले में उसकी चर्चा जनता के बीच हो रही है। सारी चीजें शासन के पास आ चुकी हैं और आशा की जाती थी कि उन अनियमितताओं की जांच करायी जायगी लेकिन शासक कांग्रेस में आने से और दातागंज के चुनाव में अपने नगरपालिका के कर्मचारियों की सहायता देने के कारण उनके लिये हजार खून माफ हो गये और उनको मनमानी करने की पूरी छूट दे दी गई है। हद तो यह है कि नगरपालिका की एक बैठक में उनसे एक सदस्य ने प्रश्न किया कि नगरपालिका की आय फरवरी, सन् ६७ में कितनी हुई और सन् ६८ में कितनी हुई, और सन् ७० में कितनी हुई और ७१ में कितनी हुई। इस पर वह बिगड़ पड़े और उन्होंने कहा कि यह पूछने को तुमको किसने इजाजत दी, मैं सारी नगरपालिका का मालिक हूं जहां चाहूंगा वहां जितनी चुंगी ली जायगी या नहीं ली जायगी, तुम पूछने वाले कौन होते हो, तुम निकल जाओ। जितने वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे नगरपालिका की बैठक में और वहां बैठकर ऐसे अध्यक्ष से उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करा सकते। अगर यह सत्य है तो मुझे खेद है कि ऐसा अध्यक्ष मन्त्री जी का सहारा ले। मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा और नम्र निवेदन करूंगा कि वह आज ही सदन में इस बात की घोषणा करें कि उनके खिलाफ सारी अनियमितताओं की जांच करायी जायगी और जो सत्तारूढ़ दल का और मंत्री जी का सहारा लेकर नियमों का उल्लंघन और अनियमित कर रहा हो ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष को बक्शा नहीं जायगा। इतनी दृढ़ता मन्त्री जी में और शासन में होना चाहिये। जो रोज कहते हैं कि मैं शासक दल में आ गया हूं और मैंने दातागंज के चुनाव के लिये कार्यकर्ता भेजे हैं और मैं जो चाहूंगा वह करूंगा और इसलिये उनको सात खून माफ हो गये। इस तरह के भ्रष्टाचार और धांधली को वहां की और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कर्मचारी और दलित वर्ग जिस के शासन में त्रस्त हों, जहां पर सड़कों की दुर्दशा हो और हर प्रकार की अनियमिततायें चल रही हों वहां के अध्यक्ष के विषय में इस तरह के घोर भ्रष्टाचार और अन्याय के आरोपों का या तो मन्त्री जी खंडन करें या ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध उचित और कड़ी कार्यवाही करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

अध्यक्ष महोदय, भाई श्री कृष्ण स्वरूप जी ने दातागंज चुनाव के साथ-साथ कुछ नगर पालिकाओं की भी चर्चा कर डाली। दातागंज उप-चुनाव में मुझे भी दो बार जाने का अवसर मिला। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को एक लम्बे अर्से तक रहने की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, मैं तो इस प्रदेश में भी नहीं था, गुजरात में गया था। थोड़ा समय मिला तो मैं वहां गया। जितने आरोप उन्होंने लगाये हैं उनमें बहुत सी बातें तो ऐसी हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है और न श्रीमन्, उनका कोई उत्तर ही है। कहा गया कि शासन ने हस्तक्षेप किया, लोगों को डराया और धमकाया गया। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना उचित समझता हूं कि जो वहां पर शासकीय कांग्रेस की कैन्डिडेट थीं वह एक महिला, थीं। उसकी ओर से कोई आतंक पैदा करना या उसके कार्यकर्ताओं की ओर से डराया, धमकाया जाना संभव ही नहीं था। जो लोग दूसरे प्रत्याशी थे, वे वहां के प्रभावशाली व्यक्ति थे और यह सही है कि उन्होंने लोगों को डराया धमकाया। छोटी जाति के लोगों को बाध्य किया कि अमुक व्यक्ति को वोट दें अन्यथा उनसे कहा गया कि तुम्हें वोट डालने नहीं जाने दिया जायगा। मेरे सामने बीसियों व्यक्ति आये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमें जनसंघ के प्रत्याशी और अन्य दलों के प्रत्याशी डराते हैं, धमकाते हैं कि हम को वोट नहीं डालने दिया जायगा। मैंने वहां के अधिकारियों से यह अवश्य कहा कि जहां गांवों में इतना आतंक है, जहां लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, उनको वे देखें।

जहां तक मेरे या मेरे साथियों के जाने का प्रश्न है, हम लोगों ने किसी भी सरकारी साधन का उपयोग नहीं किया, हमने किसी भी अधिकारी को साथ नहीं लिया। यह भी असत्य है कि

मेरे साथ चेयरमैन कभी गये हों। लेकिन अगर किसी जगह अध्यक्ष या चेयरमैन बैठे हों तो यह मेरे लिये उचित नहीं कि मैं उनसे यह कहता कि आप यहां से चले जाइये।

जहां तक किसी भी नगरपालिका के अध्यक्ष का प्रश्न है प्रथम तो किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का प्रश्न नहीं उठता। टाउन एरिया के अध्यक्ष और प्रत्याशी के पिता का निकट का सम्बन्ध था।

जहां तक बदायूं नगरपालिका के अध्यक्ष का प्रश्न है न वे मेरे साथ कभी गये और न मैंने इस सम्बन्ध में कभी उनसे बात की, न कभी उनकी गाड़ी में बैठा और न मैं उनके घर गया। केवल शंका मात्र से तो काम नहीं चलता।

दातागंज के चुनाव में जिस प्रकार से नियमानुसार काम किया है वह अनुकरणीय है। उन्होंने शराब का भी आरोप लगाया है। जिस समय मैं इस क्षेत्र में था मुझे एक भी व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोई अनियमित कार्य इस चुनाव में हुआ है या किसी व्यक्ति को कोई मादक चीज दी गयी हो। प्रत्याशी स्वयं एक लड़की है और इस प्रकार का दोष देना और साथ ही साथ शासकीय कांग्रेस को इसमें उलझाना, उचित नहीं है।

जहां तक नगरपालिका का सम्बन्ध है, अगर वहां पर कोई अनियमिततायें हैं, तो मैंने कहा था उन पर कार्यवाही की जायगी। उसी नगर के बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि अध्यक्ष एक भले आदमी हैं, कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा कि वे अच्छे आदमी नहीं हैं। जितनी उनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनके बारे में इन्क्वायरी करायी जा रही है। वह पहले भी चेयरमैन थे। पिछली इन्क्वायरी में उनके विरुद्ध जो आरोप थे, जब ला डिपार्टमेन्ट से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी तो उन्होंने कहा कि बोर्ड का नया चुनाव हो चुका है दूसरे अध्यक्ष चुने गये हैं, अब इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जो शिकायतें थीं उन पर पुनः जानकारी प्राप्त की जा रही है और शासन इस मामले में उचित कार्यवाही करने के पक्ष में है। वह अपने कर्तव्य को समझता है। यदि किसी भी चेयरमैन के खिलाफ कोई अनियमितता का प्रमाण सिद्ध हो गया तो निश्चय उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसमें शंका का कोई प्रश्न नहीं है। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और दातागंज के चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता, किसी प्रकार से शासन के साधनों का उपयोग, किसी प्रकार के अधिकारियों का उपयोग किया हो यह बिल्कुल असत्य है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

सफाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में भी बता दें।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सफाई कर्मचारियों का जहां तक प्रश्न है, मेरे सामने यह मसला आया था और मैंने यह निर्णय दे दिया था कि जो उनकी मांगें वर्दी की और वेतन की हैं वह सब पूरी होंगी और सम्भवतः कुछ पूरी हो भी चुकी होंगी और यदि अध्यक्ष आदेशों का पालन नहीं करेंगे और उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो निश्चय ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। सदन में इस बात का मिथ्या आरोप लगाना और भ्रामक बात कहना उचित नहीं है। माननीय सदस्य किसी समय सरकार में भी रह चुके हैं। वह जब कोई भाषण करें तो जरा संयम से करें जो बात कहें अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहें, न कि सुनी हुई बात के आधार पर। मुझे आशा है कि कृष्ण स्वरूप जी इस विचार से सहमत होंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या यह सत्य नहीं है कि बदायूं नगरपालिका के कर्मचारियों और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने पोलिंग के दिन और एक दिन पहले वहां काम किया?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिले के चुनाव में शहर के आदमियों के जाने का अभिप्राय ही क्या है। जहां तक मुझे जानकारी है उनके पास इधर उधर के बाहर के इतने व्यक्ति थे कि दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि अध्यक्ष ने किसी कर्मचारी को कहीं भेजा है और माननीय सदस्य मुझे लिख कर देंगे तो मैं अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेगी जी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

जब सरकारी पक्ष के एक आदमी.....

श्री अध्यक्ष---

वह सरकारी पक्ष के कहां हैं?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

सरकार समर्थक तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनको भी जानता हूं और आपको भी जानता हूं। आप कृपा कर के बैठ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, चुनाव के बारे में मेरे मित्रों की ओर से कुछ शिकायतें की गईं। माननीय मन्त्री जी नाहक म उसका जवाब दन खड़ हो गये। जो पक्ष हारता है वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना लगायेगा। सन् ७२ में चुनाव हुआ। उस समय यह बहाना लगाया गया कि कोई रासायनिक स्याही थी जो उस समय प्रकट हो गयी। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष नाहक परेशान है उतर देने के लिये। मैं तो इस अनुदान पर इसलिये बोलना चाहता हूं ताकि मुख्य मुख्य बात जो इस प्रदेश के अन्दर हो रही हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं।

कल वित्त मन्त्री महोदय ने बहुत से आश्वासन अपने बजट भाषण के अन्दर दिये। आज भी आप अनुपूरक मांग लेकर आये हैं। यह मांगें स्वीकार हो ही जायंगी। लेकिन प्रश्न यह होता है कि सरकारी नीतियों को जिन्होंने कार्यान्वित करना है वह मशीन आज आपकी कहां खड़ी है। आज आपको इस बात का फैसला करना है कि क्या इस प्रदेश का शासन स्वयं मुख्य मन्त्री जी करेंगे या नौकरशाही करगी। मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज प्रशासन के अन्दर जितना बड़ा शिकन्जा नौकरशाही का हो चुका है इतना बड़ा शिकन्जा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मिसाल के लिये मन्त्रि-मण्डल का सदस्य कैबिनट मिनिस्टर आर्डर करता है, सेक्रेटरी उस आर्डर को कैरी आउट नहीं करता है। फाइल बनाकर माननीय मुख्य मन्त्री के पास ले जाता है और माननीय मन्त्री के आर्डर को निरस्त करा देता है। इतना ही नहीं माननीय मन्त्रियों को अपनी हैसियत मालूम हो। फिर उनके पास चिट्ठी आ जाती है कि आपके आदेश को माननीय मुख्य मन्त्री ने निरस्त कर दिया है। इस तरह से मन्त्री को अपनी हैसियत मालूम हो। यह तो कैबिनेट मिनिस्टर का हाल है। राज्य मन्त्रियों की बात देखिये। उप मन्त्रियों की बात देखिये। राज्य मन्त्री कोई आदेश देगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अव्वल तो बदकिस्मती यह है कि कार्य का कोई बंटवारा नहीं है। उनके पास केवल टेलीफोन रक्खे हुए हैं। उनकी मेज पर एक भी फाइल नहीं है। यदि राज्य मन्त्री न कोई आदेश दिया तो वह फाइल सेक्रेटरी दबा कर मन्त्री के पास ले जायगा फिर उनको सूचना दे दी जायगी कि आपके आदेशों को माननीय मन्त्री जी ने निरस्त कर दिया है।

दूसरी मिसाल बताता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री की घोषित नीतियां जो उन्होंने पर्वतीय विकास परिषद् में घोषित की जिनकी सदन के अन्दर भी घोषणा की गई है उन नीतियों के बारे में लगातार रोड़ा अटकाया जा रहा है और वह रोड़ा नौकरशाही अटका रही है। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि पर्वतीय जिलों के अन्दर जो विकास की योजनायें चल रही हैं, यमुना पर जो विकास योजना चल रही है और यह कि अनस्किल्ड वर्कर्स स्थानीय व्यक्तियों को ही रक्खा जायगा बड़े-बड़ ठेकेदारों को नहीं रक्खा जायगा। जो सेक्रेटेरिएट के अन्दर मौजूदा नौकरशाही है चीफ इन्जीनियर आदि वे उन घोषित नीतियों क विरुद्ध लगातार काम कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री के आदेश जाते हैं तो उनका पालन नहीं होता है तरह तरह के बहान लगाये जाते हैं। मान्यवर, मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि पर्वतीय विकास परिषद् के अन्दर और पर्वतीय जिलों के नेताओं को बुलाकर यह कहा था कि जिस तरीके का प्रशासनिक ढांचा तीन जिलों क अन्दर है उसके लिये वहां का स्थानीय कार्य मुख्य मन्त्री की शाखा के अन्दर गठित किया जायगा ताकि विकास योजनायें अच्छी तरह से चल सकें। मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी। लेकिन आपके सचिवालय के सचिव हैं वे उन नीतियों को अमल में नहीं लाने देना चाहते हैं व लगातार रोड़ा अटका रहे हैं। बड़ी मजबूरी है। आप जानते हैं कि नौकरशाही अपनी शक्तियों को अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगी और आप आदेश दें कुछ करें लेकिन आप उनक सामने हथियार डाल रहे हैं। लाभ क्या हुआ मुख्य मन्त्री के आदेश का, नौकरशाही द्वारा उसका पालन नहीं हो रहा है। सचिव लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

मान्यवर, वही हाल जिलों के अन्दर होने जा रहा है। आपकी त्वरित योजनायें हैं। जिला परिषद् गठित नहीं हुए हैं। आपने वहां भी नौकरशाही रख दी है। किस तरह से लाखों और करोड़ों रुपये इस त्वरित योजनाओं में बरबाद हो रहा है। क्योंकि आपने पूरा प्रशासन पूरी योजना बजाय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के नौकरशाही के हाथों में दे दी है और इस तरीके से आपके जिलों के अन्दर धन का दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, मैं मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीर परिस्थिति प्रदेश के अन्दर है कि आज नौकरशाही मन्त्रि-मण्डल के ऊपर हावी हो चुकी है। प्रदेश का मन्त्रि-मण्डल शासन नहीं चला रहा है चन्द मुट्ठी भर नौकरशाह शासन को चला रहे हैं। आपकी योजनाओं का अमल नहीं हो रहा है। घोषित नीतियों का पालन नहीं हो रहा है। उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह अनुपालन नहीं हो सकता अगर आप नौकरशाही के हाथों में खेलेंगे। अगर सेक्रेटेरिएट के हाथों में कठपुतली बनोगे। तो उन नीतियों के बारे में जिनके बारे में जो इन्दिरा गांधी कहती चली जा रही है जिन नीतियों का समर्थन तमाम हिन्दुस्तान की जनता ने किया है, जब तक हम नौकरशाही ढांचे पर कसकर चोट नहीं करते।

दूसरी चीज, मान्यवर, जिसकी तरफ मैं मन्त्रि-मण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि आपने प्रदेश के अन्दर खेती के बाद जो सबसे बड़ा उद्योग है वह हथकरघा उद्योग और पावर-लूम। हथकरघा इन्डस्ट्री के बारे में जो सरकार की योजना थी उस पर अमल नहीं किया गया जिसके कारण आज ४० लाख हैंडलूम वर्कर्स परेशान हैं और आप समाजवाद की बात कहते हैं। सूती मिल मालिकों ने तिगुने और चौगुने सूत के दाम बढ़ा दिये हैं और इससे इन्डस्ट्री में एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन बड़े-बड़े कारखानेदारों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जैसे बिड़ला हैं, जयपुरिया हैं, या उन छोटे-छोटे कारखानेदारों को। आज तमाम प्रदेश में इन वर्कर्स के सामन रोजी और

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

रोटी का सवाल है। कल उनका प्रदर्शन होने वाला है और वे व्यक्ति मुख्य मन्त्री जी से मिलना चाहते हैं। कल मुख्य मन्त्री जी यहां होंगे नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक मन्त्री की नियुक्ति कर दें तो इन बेचारे लोगों की जो प्रदेश के कोने-कोने से आयेंगे, उनसे मिलकर उनको आश्वस्त कर सकें।

अन्त में, मान्यवर, केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप कितना ही देश के अन्दर नये-नये परिवर्तन लाना चाहें, लेकिन वह परिवर्तन तब तक न आ सकेगा जब तक आप इस मशीन के ऊपर जिसे अंग्रेजों न देश में शोषण करन के लिये बनाया था, ठोकर न लगावें और उनका फिर से पुनर्गठन न करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष जी, जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट माननीय मन्त्री जी ने रखी है, उनका समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे दोस्त श्री कृष्ण स्वरूप जी ने अपना सारा गुस्सा उनके जिले के इलेक्शन के ऊपर उतार दिया और सारी शक्ति उसमें खर्च कर दी। ठीक है। उनके जिले में इलेक्शन हुआ, उनकी अपनी दृष्टि से जो चुनाव हुआ उससे इस नतीजे पर पहुंचे कि गलत हुआ। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर क अन्दर जो चुनाव हुआ था जिसमें इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री टी० एन० सिंह लड़े थे और उस चुनाव में जो ज्यादती हुई थी जिसकी शिकायत प्राइम मिनिस्टर से भी हुई थी, उस चुनाव में सारी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद भी जनता न उन्हें स्वीकार नहीं किया इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री को और दूसरी तरफ आप दातागंज के अन्दर जो चुनाव हुआ उसके अन्दर आपको शिकायत हुई कि शासन न अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर जनता समाजवाद के लक्ष्य को सामने रखकर उन नीतियों को नहीं अपनाती तो जिस तरह से श्री टी० एन० सिंह हार सकते थे उसी तरह से दातागंज से संतोष कुमारी की भी हार हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जीत जनता की उन भावनाओं की जीत हुई जिसे जनता ने यह समझा कि आज देश के अन्दर इसलिये चुनाव हो रहे हैं ताकि जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और जिसकी वजह से शासक दल ने कान्स्टीट्यूशन को भी अमेंड कर दिया केवल जनता के हित के लिये और आज जब वह वोट मांगने के लिये आये हैं तो उन्हें क्यों न वोट दिया जाय और इसीलिये दातागंज के हजारों की जनता ने वोट दिया शासक दल के उम्मीदवार को और वह जीता। उन्हें अफसोस जरूर होगा और मुझे उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन यह कहने का तरीका नहीं है और न ही इस तरीके से कुछ मिलेगा। एक मौका मिला है इस प्रदेश के अन्दर पूरी राजनीति को दो जगह बंटने का।

एक तरफ प्रगतिशील विचारधारा के लोग एक नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे के नीचे आये हैं। उनको मौका है कि जितने भी रीऐक्शनरी फोर्सेस हैं, स्टेट्स में यकीन रखने वाले लोग हैं उन सभी को एक झंडे के नीचे एकत्र करें बजाय इसके कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, पार्टियां हैं और जिनका लक्ष्य एक ही है, वह अपनी शक्ति को इस तरह से लगावें जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला है तो इससे उनको भी कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। बदायूं और सहसवां नगर-पालिका हैं। मैं स्वयं इस प्रश्न को सन् ६९ से आज तक इस सदन में कई बार उठाता रहा हूं। बार-बार उसकी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ चुकी है। वहां के जो चेयरमैन हैं, चाहे वे बदायूं के चेयरमैन हों या फिर सहसवां के हों, उन्होंने जो गैर-कानूनी कार्यों को किया है उसके तो फाइलों के अन्दर पुलिन्दे भी बन गये हैं। रिपोर्टों की कोई कमी नहीं है। परन्तु यह देखिये कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई वह सिर्फ इसलिय कि दोनों ही चेयरमैन बहुत ही होशियार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी हैं । वे यह जानते हैं कि किस तरह की सरकार है उसी रंग में वे अपने को रंग लेते हैं, वे फौरन ही गिरगिटान की तरह से उसी तरह का रंग बदल लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि बी० के० डी० की सरकार है तो वे उसी तरह के हो गये। उसी सरकार के एक मन्त्री को वे पहले बेइज्जती करके चपरासी से निकलवा चुके थे परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में शक्ति आ गई तो वे उसी रंग में हो गये । उनको उसने राजी कर लिया। इसमें वह बहुत ही कामयाब निकले । बाद में वह चेयरमैन साहब एक मन कच्चे पेड़े अपनी कार में लेकर यहां आये और बी० के० डी० के दल के सदस्यों को उसको बटवाया। सारे ही विधायकों ने पेड़े खाये । वह चेयरमैन अपना कार्य सिद्ध करने में कामयाब हो गया। वह इतना हुनरमन्द हैं ।

श्री अध्यक्ष---

बदायूं के पेड़े तो अच्छे होते ही हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि जांच करवा लूंगा और कार्यवाही करूंगा । मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि सन् ६९ से आज तक जो आश्वासन इस दिन में दिये गये हैं उन आश्वासनों का क्या हुआ? उसकी जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है । अगर उन चेयरमैनों की फाइल को आप देखें तो फिर किसी को कोई सिफारिश करन की जरूरत नहीं रह जायगी और न किसी के बयान लेने की जरूरत होगी। फाइल खुद ही सारा बयान दे देगी । आपके पास इसी समय सारी चीजें मौजूद हैं इसलिये मन्त्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि आगे के लिये जांच-पड़ताल और इन्क्वायरी करवा के रिपोर्ट मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आपको तुरन्त ही कार्यवाही करना है तो उसको आप करें । जैसा कि भाई कृष्ण स्वरूप वैश्य ने कहा कि दो-दो महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई है और जब कि उनकी पंचायत में मन्त्री जी ने कहा कि हड़ताल समाप्त कर दो और तुम्हारी मांगें पूरी होंगी परन्तु फिर भी वह चीजें पूरी नहीं हुई । कोई भी इन्क्वायरी करवाने की जरूरत नहीं है । मन्त्री जी तो स्वयं ही इसके विटनेस हैं ।

दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि कल से सेशन आरम्भ हुआ है और १२ मई तक इसके चलने का प्रोग्राम है। सरकार को और मन्त्रियों को बहुत-सी बातें सुननी पड़ेंगी बर्दास्त भी करना पड़ेगी ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

काम भी करना पड़ेगा ।

श्री रियासत हुसैन---

पिछले सेशन में कुछ मूल बातें सामने आईं जिनके लिये आश्वासन इस सदन में मिले। प्रदेश की जनता को और माननीय विधायकों को इस बात पर यकीन हुआ कि अब अगले सेशन से पहले इन चीजों पर कार्यवाही होगी । आज जब देखते हैं तो पता लगता है कि उन चीजों पर कार्यवाही नहीं हुई और उन लोगों ने गलत बातें जारी रक्खीं हैं जो कि अब सामने आयेंगी । पांच दिन का समय मिला है । २८ से जनरल डिशकशन होगा । जिन चीजों की ओर संकेत किया जाय उन पर फौरन ऐक्शन होना चाहिये । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुरादाबाद क बारे में जब बिजली पर बहस हुई थी तो कहा गया था कि१७ साल से एक अधिकारी उस जिले में हैं । यहां सवाल में भी यह बात आई थी और माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि साधारणतया ३ साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहना चाहिय और यह सारी चीजें ठीक हो जावेंगी । लेकिन खेद की बात है कि मुरादाबाद में श्री जोशी, एस० डी० ओ० १७ साल से हैं और श्री अरोरा, सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर ७ साल से हैं। उनके

[श्री रियासत हुसैन]

खिलाफ पन्ने के पन्ने भरे हुए हैं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। तो कम से कम इनको फौरन वहां से हटा दीजिये। कौन सा मुरादाबाद का नाम ऐसा है जिसको यह लोग ठीक से होने देते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। श्री टी०एन० श्रीवास्तव, डिपुटी, सेक्रेट्री, हाइ-डिल हैं। उन्होंने एक आदेश निकाला। गांव कनपुर का क्शर की बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसका मीटर फेल हो गया था और उसने इस बात की दरख्वास्त भी दी थी। उस दौरान का उसके ऊपर २,८०० रुपया निकाला गया। मन्त्री जी ने आदेश दिया कि २,८०० रुपये की इन्क्वायरी हो रही है इसलिये बाकी रुपया जो ४,००० है, का आधा फौरन जमा करा लिया जाय और बाकी आधा ३१मार्च तक जमा करा लिया जाय और कनेक्शन दे दिया जाय। उस आदमी ने आधा रुपया जमा कर दिया। कनेक्शन मिल गया लेकिन उस आदेश के बाद में जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ३१मार्च तक बाकी आधा रुपया जमा करने की अन्डरटेकिंग ले ली जाय,श्री अरोरा न ३ मार्च को आदेश जारी किया कि बिजली का डिस्कनेक्शन कर दिया जाय और ५ मार्च को वह हो गया। ३१ मार्च के लिये मिनिस्टर का आदेश है कि उससे अन्डरटेकिंग ले ली जाय और उसके २७ दिन पहले डिस्कनेक्शन कर दिया गया जिसके कारण हजारों मन गन्ना सूख गया। यह क्यों हुआ? एस० ई० साहब समझते हैं कि महीलाल जी या यादव जी कुछ भी कर लें मगर उससे कुछ नहीं होता है।

इन तमाम बातों को सीरियसली आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो ५ दिन का समय है, उसमें सारे सवाल पूरे होंगे। ११-११ आदमियों को रात के डेढ़ बजे गोली से मार दिया जाय, पिपरिया गांव में, सितारगंज, नैनीताल जिले में। लेकिन वहां के थाने के जो मौजूदा अधिकारी हैं, उनका कोई ट्रांसफर सस्पेंशन, या इन्क्वायरी नहीं। अखबार में भी छपा है। तहलका मच गया है। इसी तरह सीतापुर में ११ आदमी जलकर मर गये। कितने दिनों तक तहलका मचा रहा। बाद में उन्हें फूंक दिया गया। सम्बन्धित थाने के इंचार्ज को तुरन्त लाइन-हाजिर होना चाहिये था, एस० पी० से जवाब मांगा जाना चाहिये था, तीन दिन के अन्दर और कहा जाना चाहिये था कि लखनऊ आयें और अगर जवाब वे नहीं देते तो उनके खिलाफ ऐक्शन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती के साथ चलाना पड़ेगा और चाहिये। अगर प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी समाजवाद के सत्य को पूरा करने के लिये कान्स्टीट्यूशन को अमेण्ड कर सकती हैं, जनता की स्वीकृति ले सकती हैं तो उत्तर प्रदेश शासन को उस समाजवाद को पूरा करने के लिये सारी बातें मजबूती के साथ करना पड़ेगा वरना ये शिकायतें सुननी पड़ेंगी और अगर सरकार ये सारी बातें करती है, तो एक शक्ति मिलेगी और इंदिरा की पालिसी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये बातें कहकर मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक अनुदान के विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट सेशन है, जबसे मुल्क आजाद हुआ, हमेशा चलता है, चाहे पार्लियामेन्ट का बजट सेशन हो या विधान सभा का। लेकिन इस साल फरवरी में बजट सेशन नहीं चला। उसके कुछ मूल कारण होते हैं उसको भी हम सब लोग समझते हैं। यह इसलिये किया गया कि इसका प्रभाव चुनाव पर न पड़े। जो टैक्स बढ़ाये गये हैं, जो जनता पर बोझ पड़ा है, वह चुनाव के बाद पड़े ताकि हम चुनाव जीत जायें। बंगला देश की लड़ाई के विषय में प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का नाम ही लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आप को यह भी सोचना पड़ेगा। उसके जो सिद्धांत हैं, उनको भी पकड़ना होगा। बंगला देश की लड़ाई क्यों हुई। उसका मूल कारण आमदनी की नाबराबरी है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की आमदनी की नाबराबरी इसका कारण है। पूर्वी पाकिस्तान में एक व्यक्ति की सालाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आमदनी साढ़े तीन सौ रुपये और पश्चिमी पाकिस्तान में, साढ़े सात सौ रुपये थी। इस मामले को लेकर लड़ाई हुई। यही बात आज इस कांग्रेस के सत्तारूढ़ शासन में आज मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, आजमगढ़ जिले में सालाना एक व्यक्ति की आमदनी १७५ रुपये है और दिल्ली और बाम्बे में एक व्यक्ति को सालाना आमदनी डेढ़ हजार रुपये है।

बंगला देश की जनता ने जिस प्रकार से नाबराबरी को मिटाने के लिये लड़ाई लड़ी वह ऐसी घटना है जिससे आप सब को सबक सीखना चाहिये। आपके यहां तो १० गुने का अन्तर है। चाहे इन्द्रा गांधी जी हो, चाहे कमलापति जी हों, चाहे कोई मन्त्री हो, सभी को शेख-मुजीबुर्रहमान से सबक लेना चाहिये न कि याहिया खां और भुट्टो से। आप सब दुहाई तो शेख मुजीबुर्रहमान की देते हैं लेकिन काम वह करते हैं जो भुट्टो और याहिया खां ने किये। यह उत्तर प्रदेश की सरकार दल बदलुओं की सरकार है जो मजबूत सरकार नहीं कही जा सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को शेख मुजीबुर्रहमान के उसूल, सिद्धांत और उनके कार्यक्रमों के अनुसार चलना चाहिये। जनता को बंगला देश की जनता से सबक लेना चाहिये जिसने अपने नेता के जेल में होते हुए, बिना नेता के खुद लड़ाई लड़ी। हमें और हमारे मुल्क को इस बात पर नाज है कि जब कभी किसी मुल्क ने हमारे देश पर हमला किया उस समय हम सभी एक हो गये। विरोधी दल के लोग बराबर यह कहते रहे कि बंगला देश को मान्यता दो, मगर इस सरकार ने मान्यता तब दी जब लाखों लोग बेघरबार हो गये और पाकिस्तान का बम हमारे देश पर गिरा। बम गिरने पर हमारी नींद टूटी। उसके पूर्व विरोधी दलों की आवाज पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर २३-२४ वर्ष से यही सरकार तो रही है, कौन सी नयी बात हो गयी है जो आज यह ढिंडोरा पीटा जा रहा है।

आप कहते हैं कि जनता ने हमें बहुमत में बिठा दिया। मैं कहता हूं कि क्या आप १०० फीसदी जीत गये? अरे भाई, जो जीतता है वह हारता भी है, जो हारता है वह जीतता भी है, इस जीत पर आपको घमन्ड नहीं करना चाहिये। आज सत्ता जब आपके हाथों में है तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ गयी है। आपका कोई कारनामा ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे जनता को कहने का मौका मिले। जनता ने समझा कि अब समाजवाद आयेगा, गरीबी मिटेगी, बेकारी मिटेगी, हमारे सारे अरमान पूरे होंगे, उसने आपको मौका दिया। अब आप कुछ करके तो दिखाइये। संसद में भी आपको बहुमत मिला, विधान सभाओं में भी आपको बहुमत मिला, आपके लिये मौका है, कुछ करिये तो। गोवा में आप क्यों हार गये? अध्यक्ष महोदय, हम जितने लोग हैं उन सबको उसूल जनता की सेवा करना होना चाहिये।

जब से देश आजाद हुआ, पुलिस का जुल्म और रिश्वत क्या कम हुई है? इंजीनियर और ओवरसियर्स की रिश्वत क्या कम हुई है? सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त रिश्वत क्या कम हुई है? क्या आपको इस विषय की जानकारी नहीं है? मन्त्रिगण, माननीय सदस्य और जनता के सभी वर्गों के आदमी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में जो ऐब था वह कम नहीं हुआ है काफी बढ़ा ही है। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि उनका ऐब बढ़ा है, रिश्वत बढ़ी है। मन्त्रियों के पुराने जमाने में इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, लोग उनके पैरों पर अपना सिर नवाते थे। किन्तु आज मन्त्रियों के यहां भी वही अन्याय हो रहे हैं, जो कर्मचारियों क यहां पहले से होत आए हैं। मन्त्रियों के यहां भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। आप समाजवाद पर कलंक न लगाना। इन्दिरा गांधी का नाम हमेशा जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति का यह भारत वर्ष नहीं है, किसी आदमी का यह देश और प्रदेश नहीं है। यह हम सबका है और हमें सबको मिलकर अपनी त्याग तपस्या से इसे विकसित करना है। आपको अपने उसूल और सिद्धांत पर चलना है और इस पर पूरी शक्ति से चलना पड़ेगा। आप सोचें, कहां गये हिटलर और मुसोलिनी, कहां गये कामराज और गुलजारी लाल नन्दा, कहां गये मोरार जी देसाई और चन्द्रभानु गुप्ता....

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था दें कि इन बातों का अनुपूरक अनुदानों से क्या सम्बन्ध है, आप इन्हें रोकें।

श्री भाभी यादव—

मैं अपने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपकी समझ में यह बात आनी चाहिये? उन लोगों का पतन क्यों हुआ इसे आप हमेशा मद्देनजर रखें। आप वह दिन याद करें जब कि पूरे प्रदेश की जनता ने यह कहा था कि इनकी तकदीर में (मु० मन्त्री) मुख्य मंत्री पद नहीं लिखा है। आपको बाद मुद्दत एक सुअवसर मिला है, इसलिये आपको बड़ी ईमानदारी से इस प्रदेश को चलाना है। हमारे बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर बहुत पुराने हैं, जिनका इतिहास हम बहुत पहले से जानते हैं, कुछ लोग नये हैं, उनको समझबूझ कर चलना है। मैं बताना चाहता हूं हमारे आजमगढ़ जिले की बड़ी दुर्दशा है। पुलिस का अत्याचार और भ्रष्टाचार अपनी सीमा पर पहुंच गया है। हमारे त्रिवेनी राय जो बैठे हैं बताएं कि भाभी यादव क्या यह गलत कहते हैं या सही कहते हैं? हमारे यहां चिरैया-कोटा के सब इंस्पेक्टर चित्रकूठ हैं, वह जनता पर बड़ा अत्याचार, अनाचार ढाये हैं। उनके बारे में जाने कितने लिखित और मौखिक शिकायतें डी० आई० जी० तक को की गयीं। जिले की आधी जनता ने उनके खिलाफ शिकायत की हैं, लेकिन वह जमे हुए हैं, उनका बाल नहीं बांका हुआ है। पुलिस कप्तान, आजमगढ़ अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं क्या करूं यह डी० आई० जी० का आदमी है। सोचें फिर कैसे काम चलेगा?

इतना ही नहीं कोआपरेटिव संस्थाओं में भी बड़ा भ्रष्टाचार मचा है। हमारे यहां कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी ऐसी नहीं है, जिसमें गबन न हो। मैं आपको क्या क्या बातें गिनाऊं और कहां तक गिनाऊं। सारे लोग जानते हैं चाहे उस दल में बैठे हों चाहे इस दल में बैठे हों। एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक सूबे के प्रशासन का सवाल है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की कोई परवाह नहीं करता है। सारे अफसर और कर्मचारी जनता के चुने हुए पदाधिकारियों की परवाह नहीं करते। जब लखनऊ में जहां सरकार है वहां परवाह नहीं करते तो दूसरे जगह की क्या बात। साथी लोग तो उबाये गये हैं। उबाने की बात नहीं है। दिल को थाम कर सुनना पड़ेगा। इस नाते पुनः कहूंगा हायरे सत्तारूढ़ कांग्रेसी सरकार और उसम शामिल होन वाल लोग दया करो, समाजवाद ले आना है, पूंजीवाद को पनपने नहीं देना है।

*श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है, भाभीराम जी चले गये, हम को एक शेर याद आया—"अगर हम न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शरमाइयेगा।" आज इंदिरा गांधी की यह तपस्या ह, जो देवी के रूप में नारा दिया, जो हम २०–२५ साल से लगातार उसकी कल्पना करते थे। जरा भाभीराम को याद दिलाना चाहता हूं। जिसके लिए आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश जी, डाक्टर राममनोहर लोहिया हमेशा लड़ते रहे कि समाजवाद आना चाहिए, उस समाजवाद की क्रिया को इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। उस इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर, मसोलिनी से करते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती। इंदिरा गांधी ने सारी दुनिया को दिखा करक सिद्ध कर दिया। जब बंगला देश की मान्यता का सवाल आया तो आप लोगों ने नारा लगाया कि इंदिरा गांधी बंगला देश को मान्यता दें। इंदिरा गांधी ने केवल उस बंगला देश को मान्यता नहीं दी सारे दशों से उसको मान्यता दिलवायी। आप लोग तो कहा करते थे कि मान्यता दीजिये। इंदिरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांधी का मुकाबिला भाभी जी, आप जैसे कर्मठ आदमी, जिसको समाजवाद में निष्ठा है, आप समाजवाद के प्रेरक हैं, ऐसे लोगों से करते हैं। उन्होंने संविधान को चेंज किया। अरबन सीलिंग ल आ रही है। जो इसका शोर आप कर रहे हैं, इंदिरा जी ऐसी देवी हैं जिसको ऐसी सूझ आयी है। जो आप ने चुनाव की बात की, तो पार्लियामेंट के चुनाव में मैं आपके साथ था, प्रभुनारायण सिंह जो कि राजस्व मंत्री थे उन्होंने क्या घटना बनारस में नहीं किया। लेखपाल तक चेंज करवाया। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने क्या नसीहत दी। वही हालत है आपकी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। जो मैं आपके सामने कह रहा हूं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप उसूलों पर विरोध करें। इस बजट पर विरोध न करके इन्दिरा जी की बात कहना छोटा मुंह बड़ी बात करना है। (व्यवधान) आप राजनारायण जी को देखिये राज्य सभा से भगा दिये गये, उनको दुबारा टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे आपके नेता हैं। (व्यवधान) इंदिरा जी भगवती हैं। आपने नारा दिया था इंदिरा भगाओ। इंदिरा जी ने कहा गरीबी भगाओ और सारे देश के गरीबों ने इस बात का प्रदर्शन किया और उनका साथ दिया और इन १० चुनावों में उसका नतीजा आपने देख ही लिया। मुझे भी मिर्जापुर जाने का इत्तिफाक हुआ। वहां के लोगों ने बी० के० डी० तथा संगठन कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कारण यह है कि आज जनता के दिल में गरीबी दूर करने की बात है और सभी का रुख इस कारण इंदिरा जी की तरफ है। इंदिरा गांधी को भगवती के रूप में सारे देश में पूजा जाता है।

बांगला देश की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। लोग कहते थे कि इन्दिरा गांधी बांगला देश को कसे मान्यता दिलायेंगी? लेकिन जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी फौज पर अटक किया और बंगला देश को विजय दिलवाई और जैसे ही बांगला देश की विजय हुई इन्दिरा गांधी ने लड़ाई खत्म कर दी। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो वह कत्ल करता चला जाता और आगे बढ़ता चला जाता लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात की पक्की हैं। उनकी लड़ाई सिद्धान्त की लड़ाई थी, गरीबी की लड़ाई थी, प्रजातंत्र को मजबूत करने की लड़ाई थी। देश के अन्दर अगर कोई प्रजातंत्र कायम रख सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है इसके लिये कोई जीती जागती मिसाल है तो इंदिरा गांधी हैं और इससे हमारे मित्रों को नसीहत लेनी चाहिये जैसा कि हमारे मित्र नेगी जी ने भी कहा। इंदिरा गांधी ने गरीबों का साथ दिया है, उनकी गरीबी हटाने का आवाहन दिया है। वह देश में समाजवाद लाना चाहती हैं। भ्रष्टाचार और गरीबी को दूर करना चाहती हैं और उस पर हम सबको अमल करना है। इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक बजट का अनुमोदन करता हूं।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट के विरोध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने बड़े जोश खरोश के साथ इस सदन के वातावरण को इंदिरामय बनाने का प्रयत्न किया। केवल बहुमत और स्थायी शासन ही किसी देश का निर्माण नहीं कर सकता है बल्कि मेरा ऐसा विचार है कि देश या प्रदेश के निर्माण के लिये जहां एक स्थायी शासन चाहिये वहां शासन में रहने वाले लोगों के पास व्यक्तिगत चरित्र, कार्यकुशलता, क्षमता तथा अनुभव की भी आवश्यकता है। और जब तक स्थायी शासन, व्यक्तिगत चारित्र और कार्यक्षमता नहीं रहेगी, तब तक देश और प्रदेश की कदापि उन्नति नहीं हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी देश नारे से नहीं बना है और न बनेगा। हमारे शासनारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने अपने विचार इस सभा में प्रस्तुत किये हैं चाहे वे रियासत हुसेन साहब हों, चाहे मेरे पूर्व वक्ता पांडेयजी हों और चाहे इन्दिराजी का दामन पकड़कर चलने वाले हमारे कम्युनिस्ट नेता माननीय नेगी जी ही क्यों न हों उन्होंने सभी ने इस बात पर प्रहार किया है कि शासन में जो लोग हैं वे जितने ईमानदार होने चाहिए, वे जितने कार्यकुशल और योग्य होने चाहिए, उनमें जितनी कार्यक्षमता होनी चाहिए वह आज उनमें नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं शासनारूढ़ दल के विधायकों से यह बात कहना चाहता हूं कि शासन में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिन लोगों ने इधर भी इशारा किया कि केवल नारों के बल पर नहीं बल्कि आप काम करके दिखायें, इसकी सफाई दी है, उनका साफ मतलब यह है कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। आप केवल नारों पर जिन्दा हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जो इधर से उधर चले जाया करते हैं और हमारे भाई साहब उनको खड़ा करके मजा लिया करते हैं। मैं उनकी बात नहीं दुहराऊंगा किन्तु यह कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिये जहां स्थायी शासन आवश्यक है वहां पर उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत चारित्र उनकी योग्यता और कार्यकुशलता भी अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु दुर्भाग्य है कि आज अपने मंत्रि-मंडल में इन सभी बातों की कमियां हैं और जब तक ये कमियां दूर नहीं होंगी तब तक देश और प्रदेश का शासन इसी प्रकार चलता रहेगा। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि आपके मंत्रि-मंडल में जो ऐसे मंत्री हों उनको कैसे निकाला जाय। इस सम्बन्ध में विचार मुख्य मंत्री जी को करना है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद और आज तक की समीक्षा देखने के बाद कि पार्लियामेंट में विरोधी दल हारा है, इस बात को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं जनसंघ का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता कि इस निर्वाचन में हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, सीटों के सम्बन्ध में, उतनी सफलता मुझे नहीं मिली। यह बात अलग है कि हमने काम किया है। जनता का प्रतिशत वोट हमारे पक्ष में ज्यादे हुआ है। दिल्ली में हमने १२/१२ सीटें बढ़ाई हैं। इन्दिरा का समर्थन बढ़ जाने के कारण, दलों के टूट जाने के कारण, सीटों के बंट जाने के कारण कांग्रेस (आर्गनाइजेशन) को अधिक सीटें मिल गईं किन्तु फिर भी मुझे अपने नेतृत्व पर अपने सिद्धान्तों पर और अपनी पवित्र कार्य पद्धति पर पूर्ण विश्वास है। इस नाते मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम आप से हमेशा हमेशा लड़ेंगे और विरोधी दल की नीतियों से लड़ते हुये शासनारूढ़ रूप में इस देश का संचालन करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति नीति में निष्ठा रखते हैं उनकी सफलता होती है। शासक तो बहुतायत में हैं जो नीति का नाम लेते हैं किन्तु उनमें निष्ठा भी होनी चाहिए। आपकी खुद अपने नेता में निष्ठा नहीं है। आये दिन आप अपने मुख्य मंत्री के ऊपर फुलझड़ियां छोड़ा करते हैं और कांग्रेस (आर्गनाइजेशन) आये दिन आप को हटाने के लिये गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं कैसे कहूं कि आपका अपने नेता पर विश्वास है? कार्यक्रम पर, विधायक आपको कहते हैं कि विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य आपका क्या है, आप स्वयं विचार करें। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा, यह कहा नहीं जा सकता। आप विचार करें कि पार्लियामेंट और चुनावों में आपने क्या वादे किये थे। आपने कहा कि महंगाई मिटायेंगे, गरीबी, बेकारी मिटायेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव से आज तक की स्थिति में क्या महंगाई मिटी? आप ईमानदारी से अपने अपने दिलों पर हाथ रख कर पूछिये कि क्या महंगाई बढ़ी नहीं। अगर बढ़ी तो आपने अपनी घोषणा को कैसे कार्यान्वित किया। बेकारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी और आप कहें कि हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं तो वह कौन सी योजनाएं थीं जिनके कारण महंगाई, भुखमरी, बेकारी के वाद से अलग हो गये।

भ्रष्टाचार तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस अत्याचार हो अथवा विधायकों का भ्रष्टाचार हो, आज ईमानदार परेशान हो रहा है, ईमानदार कर्मचारी परेशान हो रहा है। चाहे वह सचिवालय का ही क्यों न हो, जिला इकाइयों में क्यों न हो। जो थोड़े से ईमानदार कर्मचारी हैं वह इसलिए दबाये जा रहे हैं क्योंकि वह ईमानदार हैं। आज बेईमानों का राज्य हो गया है। उनको प्रोमोशन और उत्साह मिल रहा है, क्योंकि किसी के साथ वह

अपने को नत्थी करके शासन में बेईमानी कर रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता, लेकिन विचार करें।

हमारे एक बन्धु ने टी० एन० सिंह के चुनाव का नाम ले लिया। चुनाव की ऐसी चर्चा है जिसमें व्यक्ति जहां खड़ा हो वहां से भी ऊंचा उठकर बोलना शुरू कर देता है। एक सज्जन ने कहा कि टी० एन० सिंह के चुनाव में गोरखपुर में ज्यादती हुई। जो इस सदन में नहीं है और इस माने में शत-प्रतिशत ईमानदार थे उनके प्रति इस प्रकार का गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। आज कोई डा० संपूर्णानन्द के बारे में कहे, मैं समझता हूं वह बात भद्दी होगी। डा० सम्पूर्णानन्द, पन्त जी, कृपालानी, टी० एन० सिंह और जहां तक गुप्ता के चुनावों का संबंध है इस प्रदेश के अन्दर ऐसे ५ मुख्य मंत्री हैं जिनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने अपने चुनावों में गुंडागर्दी का सहारा नहीं लिया, अधिनायकता का, प्रशासन का सहारा नहीं लिया। लेकिन कोई यह कहे कि चौधरी चरण सिंह--मैं बनारस जिले का रहने वाला हूं, मुख्य मंत्री जी इसको सुन लें--कोई यह कहे कि चौधरी चरण सिंह अथवा पं० कमलापति त्रिपाठी ने अपने चुनाव में ज्यादतियों से अलग रहे तो गलती होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादतियां हुई हैं और मुख्य मंत्रियों ने ज्यादतियां की हैं, अन्यथा जो दशा टी० एन० सिंह की हुई थी वही तत्काली मुख्य मंत्रियों की होती।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने दातागंज के चुनाव के बारे में कहा। वहां एक विधायक की लड़की खड़ी थी। उसकी ओर से क्या ज्यादती हो सकती थी, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं उस पर आक्षेप नहीं करता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह कह कर काम नहीं चलगा कि दातागंज में विधायक की लड़की थी और राजगढ़ में मुख्य मंत्री का लड़का था तो क्या गुंडागिरी की होगी? यदि गुंडागिरी हुई है, यदि राजगढ़ में, मिर्जापुर के चुनाव में जिलाधीश कांग्रेस का झंडा लेकर घूमा है तो कैसे कह सकते हैं कि वह चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों से बचा रह गया? आप कैसे कह सकते हैं कि इस राजगढ़ चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई है। आप कहते हैं कि किसी विधायक की लड़की थी...

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--
वैज्ञानिक रोशनाई का इस्तेमाल नहीं किया गया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--
मैं पहले देवताओं का उत्तर दे लूं तब बंदरों का उत्तर दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
मैं मानता हूं कि दातागंज चुनाव का जिक्र छेड़ना नहीं चाहिये था।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

वहां का जिलाधीश जीप पर कांग्रेस का झंडा लगा कर घूमा हो और जो ट्रक्स गई थीं सामान वगैरा ले जाने में उनका इस्तेमाल वोटरों को ढोने में किया गया। उनके ऊपर सुबह कागज चिपका दिया गया और उनके ऊपर दूसरा नम्बर डालकर उनका उपयोग वोटरों को ढोने में किया गया और शाम को कागज हटा दिया गया और उन पर बैलट बक्स गये। यह क्या दुरुपयोग नहीं है? हिन्डालको की ट्रक्स और गाड़ियां बराबर वहां पर लगी हुई थीं। मैं कहना चाहता हूं कि उनसे कौन सा संबंध था टैक्सी यू० पी० एल० ३५३६ और यू०पी०एल० ३६८० नम्बर थे जिनको काम में लाया गया। एक पेट्रोल पम्प से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिये दस हजार रुपये से ज्यादा का पेट्रोल लिया तो गाड़ियों पर एक दिन में कितना व्यय हुआ होगा। यह सोचने की बात है। कृष्णा सर्विस स्टेशन, राबर्ट्सगंज से जो पेट्रोल लिया गया वह ४०० गाड़ियों में भरा गया। क्या यह जायज था? राजगढ़ का जो लाखों का चुनाव हो गया वह

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

किस के बल पर हो गया। क्या यह १२ हजार के अन्दर हुआ? आप यह कह दें कि मुख्य मंत्री का लड़का था या किसी विधायक की लड़की थी, इसपे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती।

यह बात ठीक है कि कांग्रेस (आर) के पक्ष में उस समय वातावरण हो गया था लेकिन गुंडागीरी के कारण वहां की जनता एक प्रकार की उब्रत महसूस करती थी, जनता में शक्ति नहीं रह गई थी कि चुनाव हो रहा है। जैसे कि बंगला देश में मुक्ति सेना के सहयोग से आक्रमण कर दिया गया उसी तरीके से राजगढ़ का चुनाव चुनाव नहीं था बल्कि कांग्रेस (आर) के लोगों का, शासकीय अधिकारियों के साथ आक्रमण था और गुंडों तथा बदमाशों की जमात खड़ी की गई। इस तरह से चुनाव जीत कर आप बच नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने जनता के साथ ज्यादती की है उसको देश की जनता धक्का देकर निकाल देती है। यदि किसी ने पश्चिम में चुनाव में ज्यादती की थी तो आज नहीं कर पाये और आज जो ज्यादती की गई है तो उनके लिये जब देश की जनता बिगड़ेगी तो उनसे बदला लेगी और आपका भविष्य ठीक नजर नहीं आयगा।

श्रीमान् जी, अर्थ के विकेन्द्रीकरण होने की जरूरत है। जब तक आर्थिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और जब तक गरीबी और अमीरी की खाई पटेगी नहीं तब तक समाज का वास्तविक विकास नहीं होगा। अब हमें विचार करना है कि कैसे आर्थिक विकेन्द्रीकरण करें। जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात आई वहां पर आर्थिक विकेन्द्रीकरण का विकास हमारी आंखों से ओझल रह गया। आगे आने वाले समय में हम आर्थिक ढांचे को ठीक कर पायें, इसके लिये हमें विचार करना है। अनुपूरक बजट के विषय में इस समय में डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि जिससे प्रदेश की गरीबी, भुखमरी और बेकारी दूर हो और जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है वह पटे।

हमने शासन से छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाने का अनुरोध किया था तथा जो पुराने उद्योग इस प्रदेश में हैं और किन्हीं कारणों से वे टूटते चले जा रहे हैं उनको अपनी जगह बनाये रखने के लिये भी अनुरोध किया गया था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस के हैं लेकिन मुझे दुःख है कि बनारस में बनारसी साड़ियों का काम होता है उसमें कलाबत्तू का काम करने वाले एक हजार परिवार बेकार होने जा रहे हैं क्योंकि उसकी जगह नये रसायनिक धागे आ गये हैं। जापान का नकली तार के कारण उनका व्यवसाय समाप्त होने जा रहा है। उनकी बेकारी मिटाने के लिए आपने क्या किया है? अगर शासन के द्वारा उनको थोड़ी भी सहायता दी जाय तो एक लाख परिवार बेकार होने से बच सकते हैं। वहां के बुनकरों और कलाबत्तू वालों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां के हैं लेकिन शायद वे बड़े-बड़े राजनीतिक कारणों की वजह से छोटे धंधों के लिये उनको फुरसत ही नहीं मिलती। बड़े-बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे-छोटे उद्योगों के द्वारा जब तक अधिक लोगों को काम न दिया जायगा और हर खेत को पानी नहीं दिया जायगा तब तक हमारे देश और प्रदेश की आर्थिक विषमता दूर नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस देश और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, गरीबी और अमीरी की खायी को आप पाटना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को समन्वय के रूप में करना चाहते हैं, जो बहुत पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बजट में ऐसा प्राविधान करना होगा जिससे आर्थिक ढांचे में आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और उससे प्रदेश की गरीबी, बेकारी और भुखमरी दूर हो। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो चन्द दिनों के बाद आपको पछताना होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री जी अब उत्तर देंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्यों ने इन अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में बोलने की कृपा की, उन्होंने उसकी मदों के बारे में नाममात्र ही चर्चा की, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य विषयों का उल्लेख करना उन्होंने उचित समझा।

श्रीमन्, वैसे तो मैं चाहता तो आपका ध्यान बीच में ही उस ओर आकर्षित करता कि हमारी नियमावली के नियमों के अनुसार जो प्रश्न उठाना चाहिये था, उसके विरुद्ध उठाया जा रहा है, यह नियमानुकूल नहीं है, संदर्भ के बाहर है। लेकिन फिर भी इसलिये नहीं उठाया कि शायद सम्मानित सदस्यों को, जिन्होंने इसके सिलसिले में चर्चा की, उनको इन अनुपूरक मांगों से कोई विरोध नहीं है, उनके बारे में वे अपनी सहमति ही दे रहे हैं, इसलिये अन्य विषयों की वे चर्चा करना चाहते हैं। इस कारण से मैंने उस समय आपत्ति नहीं की। मैंने समझा कि सभी माननीय विरोधी दल के नेताओं को और सदस्यों को अनुपूरक बजट की मांगों से कोई शिकायत नहीं है, इनको तो वे स्वीकार ही करते हैं। हां, उसके अतिरिक्त उसके बाहर की जो बातें हैं जिनकी ओर यदाकदा वे हमारा और अपना ध्यान आकर्षित करते रहते हैं जिसकी उनको कुछ आदत हो गयी है, उस आदत के अनुरूप वे कह रहे हैं। मेरा भी कर्तव्य है कि प्रजातन्त्र की मान्यता को निभाते हुये उनकी बातों को सुनूं। मैं इसलिये भी उनका आभारी हूं कि इतिहास में पहली बार कोई कटौती का प्रस्ताव किसी अनुदान पर नहीं हुआ है, यह भी इस बात का उदाहरण है कि जिन विषयों की उन्होंने चर्चा की उन पर भी उनको इतनी शिकायत नहीं है कि वह उसके लिये कटौती का प्रस्ताव पेश करें। इसलिये भी मैं विरोधी पक्ष का आभारी हूं कि जिन विषयों के बारे में उन्होंने बहुत सी शिकायतें कीं उनके बारे में इतना समय तो उन के पास था ही कि वह सामान्य प्रशासन के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते कि दातागंज और मिर्जापुर के चुनावों के बारे में यह शिकायतें हैं लेकिन शायद उनके पास इतने प्रमाण नहीं थे जिनके आधार पर वह लिखित कटौती प्रस्ताव देते और वह एजेंडे में आता और सरकार भी तैयारी करके उसका उत्तर समुचित रूप से देती। चूंकि उन के पास प्रमाण समुचित नहीं थे और वह जानते थे कि इस तरह की बातें तो पेटीशन में होती हैं सदन में नहीं, लेकिन उनको अधिकार है उन्होंने उस का प्रयोग नहीं किया और यह उदाहरण इस बात का है कि वह स्वयं जिस बात को कह रहे हैं उसके बारे में उनके पास प्रमाण नहीं है और कोई लिखित चीज वह नहीं लाये। इस नाते मैं उन का आभारी हूं कि कोई कटौती का प्रस्ताव उन्होंने पेश नहीं किया।

हमारे सम्मानित सदस्य टेहरी ने कुछ आम बातें कहीं नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही जो नीति सरकार की या सदन की होती है उसको वह कार्यान्वित नहीं करती। यह बड़ा मौलिक प्रश्न है। एक तरफ तो हमारे सामने संविधान है जिस के अनुसार जो शासकीय सेवायें हैं वे किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकतीं, न उनकी विचारधारा किसी राजनीतिक दल विशेष की हो सकती है, व्यक्तिगत विचारधारा उनकी कुछ भी हो लेकिन सेवाओं के लिये उस का कोई महत्व नहीं है। जो निर्णय सदन या शासन के होते हैं उनको लागू करना संविधान के अनुसार उनका कर्तव्य हो जाता है। या तो हम कोई ऐसा विधान करें कि जिससे नौकरशाही या जो सरकारी कर्मचारी हैं वे भी शासक दल के सदस्य हो जायं या उन की विचारधारा उस दल विशेष की विचारधारा हो जाय लेकिन ऐसा हमारे संविधान के अन्तर्गत सम्भवव नहीं है। उनके लिये यह जरूरी है कि शासन की जो कंस्टीट्यूटेड नीतियां हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह ब्यूरोक्रेसी के रूप में उन का ईमानदारी से पालन करें और सरकार से दृष्टिकोण के अनुसार वे हर स्तर पर सरकार की नीति और निर्णयों का कार्यान्वयन करें, हम उन से यह अपेक्षा करते हैं और यही हमारी चेष्टा रहती है। यह हो सकता है कि बहुत सी जगह अनेकानेक कारणों से जसा कार्यान्वयन होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। मैं इस को स्वीकार करता हूं। लेकिन ऐसे कोई भी उदाहरण हमारे सामने यदि लाये जायंगे तो उनके ऊपर प्रभावी कार्यवाही की जायगी।

क्रैश प्रोग्राम के बारे में भी १–२ जिलों का जिक्र किया गया कि मान्यताओं के विरुद्ध काम हुआ है। यदि इस सम्बन्ध में कोई लिखित सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उस पर शासन अवश्य विचार करेगा।

अभी एक और बात भी कही गई। जनसंघ के नेता ने कहा कि हिंडालको का रेट कम होने जा रहा है। जब अभी तक रेट उनसे तय ही नहीं हुआ है तो कम करने का सवाल ही क्या है। उन्होंने ३–४ मुकदमे कोर्ट्स में चला रखे हैं और रिट फाइल कर रखा है। एक तरफ तो उनसे बिजली की ड्यूटी कुर्की के जरिये से वसूल हो रही थी और उन्होंने उस पर अदालत से स्टे ले रखा है। हमारा कहना है कि जो प्रोडक्शन की कास्ट बिजली की होगी उससे कम दाम पर बिजली देने का प्रश्न नहीं है और हम कम पर नहीं देंगे। तो श्रीमन्, मैं तो यह अपक्षा करता था कि सम्मानित सदस्य विरोधी दल, यह कहेंगे कि यह पहली सरकार है कि जिसने हिन्डालको की सही परिस्थिति सदन के सामने रखी। माननीय सदस्यों को इस बात की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए कि चुनाव के कारण रेट कम हो जायगा। न तो कोई ऐसी बात है और न ही रेट के घटाने की कोई बात है।

कई विषयों पर उदाहरण दिए गये हैं। कहीं पर म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध का सवाल उठाया गया और कहीं पर पुलिस के इन्तजाम का सवाल उठाया गया। जिन जिन विषयों पर जांच की मांग हुयी है, अवश्य ही उन पर विचार किया जायगा। जो अपरिहार्य व्यय, योजना के सिलसिल में या बाढ़ पीड़ितों के सिलसिले में या स्थानीय निकायों के ऋण देने के सिलसिले में हमने मांग की है वह ७२ करोड़ ४२ लाख रुपये की है। इसका सारा विवरण जो अनुपूरक स्वेत-पत्र है, इसमें मौजूद है। तो अधिक समय सदन का न लेते हुए मैं एक बार फिर विनीत भावना से अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने का कष्ट करें। ये अनुपूरक अनुदान विकास के कार्य के लिए सम्पन्न होने में, या अगर कोई अचानक खर्चे आते हैं उनको पूरा करने के लिए लाये गये हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का हमें इसमें और भविष्य में भी सहयोग मिलता रहेगा और वे खाली कटौती ही करने के लिए कटौती नहीं करेंगे।

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१९७१-७२ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत जोतकर

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर के अन्तर्गत १५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर के अन्तर्गत १५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २---भू-राजस्व

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत १,४६,८४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत १,४६,८४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६---स्टाम्प

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६---स्टाम्प के अन्तर्गत ५,३३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६---स्टाम्प के अन्तर्गत ५,३३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मण्डल

श्री नारायणदत्त तिवारी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय व १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १,३०० रुपये अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९---निर्वाचन

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९---निर्वाचन के अन्तर्गत ८४,१२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--निर्वाचन के अन्तर्गत ८४,१२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २६,९२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २६,९२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४--कारागार

कारागार उप मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)--

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--कारागार के अन्तर्गत ३०,७१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ क लिय स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--कारागार के अन्तर्गत ३०,७१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--पुलिस

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--पुलिस के अन्तगत ७४,१९,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५––पुलिस के अन्तर्गत ७४,१९,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)––

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)––

मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि चीनी के बांटने में बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री उपाध्यक्ष––

भाषण नहीं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा––

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८––शिक्षा

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)––

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८––शिक्षा के अन्तर्गत ५,३१,१०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८––शिक्षा के अन्तर्गत ५,३१,१०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--चिकित्सा

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत १,०६,४५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत १,०६,४५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं राज्यपाल की महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत १,६९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत १,६९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत ५,०२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत ५,०२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत ३१,७९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत ३१,७९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ३,६८,२८,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ३,६८,२८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ६६,२००रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ६६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १००रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८–सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

वोट लेते समय इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिये । वोट की महिमा होती है । आप अपना मत जाहिर करिये कि आप पक्ष में है या विपक्ष में इस तरह का नाटक मत करिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–३२ सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १७,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १७,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२–लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

श्री बीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,५४,२४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत २,५४,२४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ६,११,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ६,११,६०० रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—परिवहन

परिवहन उपमंत्री(श्री आबिद अली)—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७–परिवहन के अन्तर्गत ३,६४,३३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७–परिवहन के अन्तर्गत ३,६४,३३,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४१,९१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४१,९१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—वन

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-वन के अन्तर्गत ३०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२–वन के अन्तर्गत ३०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४–नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २८,४१,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४–नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २८,४१,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—औद्योगिक और अर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८–बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८–बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,८२,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८–बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,८२,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९२,४०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९२,४०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री आबिद अली—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशिमूल

श्री गुलाब सिंह—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशिमूल के अन्तर्गत ६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१—७२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२-पेंशनों का राशिमूल के अन्तर्गत ६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ क लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की याजनायें

श्री यादवेंद्र सिंह—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करत। हूं कि अनुदान संख्या ५३-राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३-राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—व्याज वाले ऋण और आग्रम

श्री गुलाब सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४-व्याज वाले ऋण और अग्रिम क अन्तर्गत १०,७९,५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४-व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १०,७९,५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट इस सरकार का दूसरा है। इसके पहले सितम्बर, ७१ में इसी सरकार ने ७६.९८ करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान लिया था और उस समय इस सदन के सामने यह कहा गया था कि बाढ़ के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको रुपये की जरूरत पड़ी और यह अनुपूरक अनुदान पेश करना पड़ा । सितम्बर के बाद श्रीमन् कोई आपदा नहीं आई है इसलिये समझ में नहीं आता है कि वित्त मंत्री जी को अनुपूरक अनुदान पेश करने की क्या जरूरत पड़ी । ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई विकास-कार्य अपने समय में किया ही नहीं। श्रीमन्, अनुदानों की यह परम्परा चली आ रही है । सरकार बिना स्वीकृति से पहले खर्च करती है और फिर जैसे भी हो उसकी स्वीकृति ले लेती है । यह परम्परा जनतांत्रिक प्रणाली में ठीक नहीं कि सरकार को दो बार साल में अनुपूरक अनुदान लाना पड़े । इससे काम कुछ नहीं होता । काम देखा जाय तो यही मिलता है कि चुनाव में जीत हुई । इसके अलावा कौन सा विकास-कार्य हुआ, क्या प्रगति हुई, क्या किसान की हालत में सुधार हुआ ? एक भी कार्य, मंत्री, सदन को नहीं बतला सकते । मैं जानता हूं कि आपकी जीत हुई । क्या यही विकास का कार्य है ? स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि किसी देश में पूर्णतयः सरकार में परिवर्तन दो हालत में नही होता है । एक तो यह कि देश मालामाल हो जाता है और सत्ता परिवर्तन की जरूरत न हो और दूसरा यह कि देश इतना गरीब हो कि उसको सत्ता परिवर्तन करने के बजाय अपना पेट भरने के ही लाले पड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार ने अपने कुकृत्यों से देश में विषाक्त वातावरण फैला दिया है ।

चुनाव के मामले में श्रीमन् मैं बताऊं कि मैं जिन गावों में गया वहां लोगों को कहते हुये सुना कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पैसा लो, गेहूं लो, वस्त्र लो, और अपने वोट दो। देश को गरीब बनाकर, भूखों को मारकर, यह सरकार चुनाव जीतती है। वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को छिपाया जा सकता है । आपने चुनावों में जीपों का इस्तेमाल किया है, क्या यह छिपी बात है । जितना खर्च होने के विषय में निर्देश हैं, क्या उसके भीतर खर्च किया गया है । वित्त मंत्री जी स्वयं अपने हृदय से पूंछें सारे नियमों का उल्लंघन किया गया । इसीलिये खर्च बढ़ जाते हैं । भ्रष्टाचार की गंगोत्तरी इतनी बढ़ गयी है कि ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जो इस गंगोत्री में न नहा रहा हो। किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं है इस पाप की गंगोत्री में नहाने में । मैं कहता हूं कि ३२ करोड़ का बिक्री-कर बाकी है । ३१ मार्च, १९७१ तक । माननीय वित्त मंत्री जी ने तीन लाख का बिक्री-कर आजमगढ़ के एक पूंजीपति का माफ कर दिया । आप देखेंगे कि गरीबों पर टैक्स बढाने के लिये आपने अनावश्यक चीजों पर खर्च करेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि आपका विकास अवरुद्ध हो जायेगा । ट्रांसफर के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मई, जून के पहले ट्रांसफर नहीं होंगे । भ्रष्टाचारियों का ट्रांसफर नहीं होता, राजनैतिक गोटें बिठाने के लिये ट्रांसफर होते हैं । यह जो अधिक खर्चा आपने किया, मैं पूछना चाहता हूं कि उससे साधारण जनता को क्या लाभ पहुंचा ? इस से साधारण जनता को कुछ भी लाभ नहीं हुआ । इसलिये मैं इस अनुपूरक बजट का जो फिजूल खर्ची के नाम पर पेश किया गया है, विरोध करता हूं । जब लगान माफ किया गया था तो तालियां पिटी थीं, मगर आज उसी की जगह भूमि विकास शुल्क लगाया जायेगा । यही नहीं, इधर इलैक्शन में जो टिकट बांटे गये उसमें ७० प्रतिशत टिकट एक ही जाति वालों को दे दिये गये । इनमें एक माननीय मुख्य मंत्री के पुत्र को भी टिकट मिला । यह सब

है क्या ? गरीब किसानों पर बराबर यह सरकार चोट करती आ रही है । इस सरकार का रवैइया किसान विरोधी रहा है, मजदूर विरोधी रहा है, इसलिये मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट जो सदन में आया है वह इसलिये आया है कि खर्चे अधिक हो गये होंगे या ज्यादा खर्च की आवश्यकता होगी और सदन ने इस बजट को स्वीकार भी कर लिया है । अब यह एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने है । इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । जब हम रुपया देते हैं तो हम यह आश्वासन सरकार से पाते हैं कि जिस कार्य के लिये रुपया हम दे रहे हैं उस कार्य में वह रुपया खर्च होगा, समय के अन्दर खर्च होगा। परन्तु देखने में कुछ और आता है । जो आश्वासन दिया जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती । इस सदन के अलावा, दो शक्तियों द्वारा फाइनेंशियल कंट्रोल होता है—एक तो वित्त विभाग द्वारा तथा एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग द्वारा । सदन की ओर से लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति आदि ए०जी० की रिपोर्ट आदि की छानबीन करती है और सरकार को अपने सुझाव देती है । दुर्भाग्य की बात यह रही है कि सदन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब कि इन समितियों की रिपोर्ट्स पर यहां विचार हुआ हो । मैंने लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से तथा अन्य समितियों में भी रहने की हैसियत से मैंने अनुभव किया है कि समितियों की जो रिपोर्ट होती हैं संबंधित विभागों द्वारा उनकी अवहेलना होती है । इस संबंध में जैसा मैंने कहा किसी खास मद के लिए देती है और उसमें खर्चा चाहती है, साथ ही साथ समय के अन्दर वह खर्च प्रयुक्त हुआ चाहती है । इसकी पूर्ति कहां तक होती है, क्या आपने इस पर कभी विचार किया है ? इस संबंध में मैं आपके सामने एक दो मुख्य-मुख्य उदाहरण लाना चाहता हूं और उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, लेखा "परीक्षा,७० मेरे पास मौजूद है । यह अनुपूरक अनुदानों से जो विनियोजन है, उससे संबंधित है। आप देखें बासठ अनुदानों, विनियोजनों के अन्तर्गत कुल मिलाकर ९१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूरक व्यवस्था प्राप्त हुई । उसमें से,३१ करोड़ ४३ लाख रुपये अगस्त, १९६८ में और ५९ करोड़ ५७ लाख रुपये मार्च, १९६९ में प्राप्त किये गये ।" लेकिन देखने में यह आता है:

(क) (१) "सात अनुदानों के अन्तर्गत ५.१२ करोड़ रुपये का सारा पूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा ।

(२) अगस्त, १९६८ तथा मार्च, १९६९ में लिये गये १.०३ करोड़ रुपये के पूरक अनुदानों में से, ०.६० करोड़ रुपये दो अनुदानों में प्रयुक्त नहीं किये गये ।

(ख) दूसरी ओर, छः अनुदानों में अगस्त, १९६८ तथा मार्च, १९६९ में प्राप्त की गई २५.२९ करोड़ रुपये की पूरक व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हुई, इन मामलों में, व्यय मूल तथा पूरक व्यवस्था से २८.६१ करोड़ रुपये अधिक हो गया । एक तो यह है दूसरे 'अप्रयुक्त व्यवस्था' के अन्दर स्थिति यह है:—

"सात अनुदानों में अप्रयुक्त व्यवस्था ५० लाख रुपये अधिक हो गई ।" इसका मान्यवर, इन्होंने उदाहरण दिया है "चार अनुदानों में अप्रयुक्त राशि व्यवस्था के २२ और २६ प्रतिशत के बीच थी ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

तीन अनुदानों में खर्च न की गई "राशि व्यवस्था के १४ और १९ प्रतिशत के बीच थी ।"

इसी प्रकार से १९६८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट यह प्रकट करती है, यह भी पूरक अनुदानों से संबंधित है, इसमें आप देखें लिखा है--

"दस अनुदानों के अधीन ६ करोड़ १० लाख रुपये के पूरक अनुदानों का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया । इसमें से १.७७ करोड़ रुपये काफी देरी से मार्च, १९६७ में प्राप्त किये गये थे । फिर भी ६ करोड़ १० लाख रुपये पूर्णतया अनुपयुक्त रह गये । दिसम्बर, ६६ और मार्च, १९६७ में प्राप्त किये गये २४.३९ करोड़ रुपये के पूरक अनुदानों में से ८.६१ करोड़ रुपये का ग्यारह अनुदानों में उपयोग नहीं किया गया था ।"

उपरोक्त को देखने से दो बातें निकलती हैं । जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिनको अपने मन में ध्यान रखना चाहिये कि किस तरह से गरीबों का रुपया टैक्स रूप में लिया गया और हमने पूरक अनुदानों का रुपया लिया, इसको सदन ने स्वीकार किया है, किन्तु इस पर खर्च नहीं हुआ, योजना पूरी नहीं हुई फिर भी उस पर टैक्स लगा । सप्लीमेंटरी ग्रांट को हमने मंजूर किया और हमसे कहा गया कि इतने धन की आवश्यकता है और किन्तु वह भी इस्तेमाल नहीं हुआ ।

इसमें दो विभाग बड़े दोषी हैं । एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग बड़ा दोषी है, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देने में देर करता है, लेकिन उससे भी बड़ा दोषी-दूसरा फाइनेंस विभाग है । इस विभाग का उपयोग आजतक मैं नहीं समझ पाया । फाइनेंस डिपार्टमेंट का जब नाम लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह एक एक्सपर्टस का विभाग है । लेकिन उसमें ऊपर से नीचे तक जितने आदमी हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने फाइनेंस सर्विस के हैं, जिन्होंने उसमें विशेष योग्यता प्राप्त की है । जहां तक मुझे सूचना है फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले वही अन्यत्र वाले लोग हैं, जिन्हें यहां रहना है वही इस विभाग में रहते हैं । उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है, सारे बजट और जनता का यह दुर्भाग्य है । मैं अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एक पब्लिक काज के लिये कहना चाहता हूं, एक बात के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ मैंने कहा । उन्होंने कहा कि फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी ने गलत नोट लगा दिया । इसलिए वह नामंजूर हो गया । मैंने समझा कि डिप्टी सेक्रेटरी ने सही किया होगा । कुछ दिनों के बाद वह फिर आये । उन्होंने कहा कि मंजूर हो गया । मैंने कहा कैसे ? उन्होंने कहा कि मैं फिर विभाग में लौट कर गया, नीचे से अच्छी नोटिंग बन कर आयी और मंजूर हो गया । इससे क्या संकेत मिलता है । आज ऊपर का व्यक्ति जिसे फाइनेंशल एक्सपर्ट कहते हैं अपनी कुर्सी पर मौज करता है और नीचे का क्लर्क जो लिख कर भेजता है उस पर 'येस' कर देता है । मैंने सवाल भेजा था वह नामंजूर हो गया--कितने मामले हैं, जो सैंक्शन के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट में छः महीने से पड़े हुये हैं और सैंक्शन नहीं हुए, कितने ऐसे मामले हैं जो दो-तीन साल से पड़े हुए हैं, और कितने ऐसे मामले हैं जो मार्च में सैंक्शन हुए । यह प्रश्न उस वक्त मंजूर नहीं हुआ । अब कदाचित मंजूर हुआ हो तो कह नहीं सकता । मैंने इस लिये प्रश्न किया था कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं । किसी चीज के लिये चार रुपये सैंक्शन हुए । एक्सपर्ट डिपार्टमेंट ने देखा, ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने देखा फिर स्क्रुटिनी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया, कौन सा कारण हुआ कि छः रुपया लग गया । फाइनेंस डिपार्टमेंट ने देरी की, बढ़ती हुयी कीमतों ने उसकी कीमत को उछाल दिया । आज कहते हैं कि अप्रत्याशित

रूप से खर्चा बढ़ा । अन्तोगत्वा सारा बोझ गरीब जनता पर आ गया और वह हिल गयी । एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का विषय विचारणीय है । जैसे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, पी० डब्लू० डी० या मेडिकल डिपार्टमेंट या अन्य कोई डिपार्टमेंट लीजिये, आप सोचें कि क्या उस डिपार्टमेंट कन्ट्रोलर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उस टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो या जनरल सेक्शन से जो आदमी आता है वह हो । आज वह सैंक्शन देता है टेक्निकल एक्सपर्ट की ऐडवाइस पर, तो फिर उसकी क्या जरूरत है । १७ जगह एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमता है ? अगर वह एक्सपर्ट है, योग्य है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट नुकता लगाने वाला कौन है ?

दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, वित्त मंत्री ध्यान दें, इसलिये नहीं कि विरोधीपक्ष से आ रही है, मैं बिलकुल आलोचना सप्लीमेन्टरी बजट की नहीं की, ले जाओ अगर आवश्यक है, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिये। उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थिति को सुधारने पर विचार करना चाहिये। उन्होंने बजट में कहा, उससे पिछले बजट में भी कहा था और उससे पिछले वाले बजट में कहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन करेंगे । अपना परपज सर्व करने के लिये अपनी ओर से कह दिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन करेंगे। एक सिंचाई की योजना के संबंध में मुझे मालूम है। पचासों लाख रुपया उसमें इसलिए बढ़ गया कि अनेकों बार एक्सपर्टस ने नीचे से लिख कर फाइनेंस में भेजा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको फुटबाल बना दिया, नीचे के क्लर्क के नोट के आधार पर । फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस हेराफेरी से कीमतें बढ़ गयीं और योजना रुक गयी । आज यह योग्यता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। मुझे कोई गर्व नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट पर और न इस सदन को करना चाहिये। बल्कि बड़े दुख की बात है कि फायनेंस डिपार्टमेंट अपने को एक्सपर्ट समझता है लेकिन उसके एक्सपर्ट होने की कोई मिसाल मुझे नहीं मिली । एग्जाम्पिल के तौर पर १०० फाइल्स मंगा लें और देखें कि उन पर डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज तथा नीचे के क्लर्क की नोटिंग्स क्या हैं ? ज्यादा बुद्धिवाला कौन है ऊपर का सेक्रेटरी या नीचे का क्लर्क ? अगर नीचे के क्लर्क की बुद्धि अधिक है तो फिर हमारे प्रांत की सर्विस वाले थे, आल इंडिया सर्विस वालों की क्या आवश्यकता थी ? इतनी लम्बी तनख्वाहें वे पाते हैं और हमारे बीच में गरीब जनता के साथ व्यवहार करने में कैसा वह अपना कैलस हृदय दिखाते हैं ?

मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र हमारी बात के औचित्य को स्वीकार करते हैं लेकिन अवसर पर हमारी सहायता नहीं करते । जब-जब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुयी मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, कि पी०ए० सी०, एस्टिमेट तथा एश्योरेंस कमेटी की परफारमेंस को सदन के सामने रखना चाहिये, उन पर डिसकशन होना चाहिये, सरकार को उनसे शिक्षा लेनी चाहिये लेकिन यह बात मेरी मानी नहीं गयी । आज जब कार्य-मंत्रणा समिति की बात आई तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर मांग की गयी थी । क्या आपने मेम्बरों को इन कमेटीज में खुश करने के लिये रखा है, हमारी पाकेट्स भरने के लिये रखा है ? हमको अपनी पाकेट्स नहीं भरनी हैं। अगर हम जनहित में कार्य नहीं कर सकते तो इसको भंग कर दिया जाय । पी०ए०सी० की रिपोर्ट पर इस हाउस में कभी डिसकशन नहीं हुआ । हमको कैसे संतोष हो कि फायनेंस डिपार्टमेंट तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने माननीय सदस्यों की आलोचनाओं के आधार पर अपने को सुधारने का प्रयास किया । ऐसा लेश मात्र भी प्रयास नहीं किया गया । हमारा मन कैसे खुश हो वह तरीका भी हम जानते हैं । जो जितना ज्यादा खुशामद करेगा उसकी उतनी ही तरक्की होगी ।

आज सर्विसेज में बड़ा असंतोष है । जैसा जायसवाल जी ने संकेत किया आज सच्च लोगों तथा कार्यकुशल लोग पीछे रह जा रहे हैं और वे सोचते हैं कि हम क्यों काम करें, उनकी सर्विसेज का रिकगनीशन नहीं होता । जो लोग अपने बासेज को खुश रखते हैं, जो उनके कहने के अनुरूप काम करते हैं वह तरक्की पाते हैं । सेक्रेटरी मंत्री का मुंह देखता है कि

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उनका किस प्रकार का रुख है, वैसी वह रिपोर्ट देता है । उसकी योग्यता इस्तेमाल नहीं हो पाती । हम उनकी सेवाओं का उपयोग समाज के समक्ष नहीं कर पाते । इस प्रकार सच्चाई की ओर न जा कर जो उनकी प्रशंसा में लगा रहता है तरफदारी करता है, भाई भतीजावाद तथा बिरादरीवाद को निगाह में रख कर काम करता है, दल के अनुरूप अथवा इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, उसको तरक्की मिलती है, मेरिट्स से तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं होता । यही कारण है कि इन समितियों की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं लाई जाती और उन रिपोर्ट्स के अनुसार इन विभागों को सुधारा नहीं जाता । मैं वित्त मंत्री तथा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को बहुमत प्राप्त है, और जब तक उसे बहुमत प्राप्त है वह सरकार में रहेंगे क्योंकि प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर कोई दल शासन करता है लेकिन हम विरोधी पक्ष में रह कर चाहे जितनी भी संख्या में रहेंगे, मैं आपके कार्य में रोड़े नहीं अटकाऊंगा किन्तु यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा है । हमारे जो आफीसर हैं वे डोमिनेट करते हैं और उन्हीं चीजों को हमारे मेम्बरान इन कमेटियों के जरिये आलोचना करके आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । इन चन्द शब्दों के साथ में इस विनियोग विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

*श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी माननीय नेता जनसंघ माधव प्रसाद त्रिपाठी की बातें सुनी हैं । इसके संबंध में जो उनके विचार हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । उन्होंने कमेटियों के बारे में जो कुछ कहा है कि इन्हें सदन में डिसकस होनी चाहिये, उसी विचार का मैं भी हूं । पी० ए० सी०, इस्टीमेट्स और एश्योरेंस कमेटी के प्रतिवेदनों को सदन में अवश्य डिसकस किया जाना चाहिये । इस वर्ष में भी इस्टीमेट्स कमेटी का मेम्बर हूं । मुझे मालूम हुआ है कि माननीय नारायण दत्त जी भी इस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं । इस इस्टीमेट्स कमेटी में उनको कई बार बुलाया गया क्योंकि उन्होंने इस कमेटी के चेयरमैन होने की हैसियत से कुछ आवश्यक निर्णय उसमें लिये थे, आज वे वित्त मंत्री हो गये हैं, तो समिति में बुलाये जाने के बाद उनको उसमें आने का टाइम नहीं मिला । इससे मुझे बड़ा दुख हुआ । उस वक्त इस्टीमेट्स के चेयरमैन की हैसियत से जो भावनायें उनकी थीं कमेटी के बारे में उन्हीं भावनाओं से आज वित्त मंत्री होने की हसियत पर उन्हें समिति में साक्ष्य के लिये बुलाया गया था किन्तु उन्हें टाइम नहीं मिला । मान्यवर, यही नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी टाइम नहीं मिला । एक रोज स्पेशल सेक्रेटरी आये थे । यह एक अजीब सी बात है । मान्यवर, आप तो स्वतंत्रता सैनानी रहे हैं आपको मालूम है यहां पर हेवियस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन और रेड टेपिज्म है । आजादी से लेकर आजतक काफी समय गुजर गया किन्तु यह हैवियस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है । आज की हालत यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से समय पर किसी भी चीज की स्वीकृति नहीं मिली जिसका परिणाम यह होता है कि प्रदेशीय निर्माण-कार्य रुक जाते हैं, जब स्वीकृति मिलती है तब तक प्राइसेज के हाई हो जाने के कारण उस निर्माण कार्य में बाधा पड़ती है और उसे रोकना पड़ता है । इस प्रकार कैसे प्रदेश का विकास होगा।

श्रीमन्, अभी हमारी इस्टीमेट्स कमेटी मद्रास गई थी वहां पर हम लोगों ने वित्त सचिव और रेवन्यू सचिव से बातें कीं और उनसे मिलें । वहां पर यह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी एक मीटिंग बुलाकर सारी बातों को पहले ही तय कर देता है । मान्यवर, वहां का ३ या ४ प्रतिशत ही अनयूज्ड रहता है जब कि यहां पर काफी अधिक सरेंडर करना पड़ता है । यहां पर तो अन्धेर हो रहा है । माननीय त्रिपाठी जी ने जो बात कही थी कि पचासों लाख रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरेंडर कर दिया जाता है और उसमें इपस ऐंड बट्स लगा दिये जाते हैं । तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे प्रदेश और देश में जो हेवियस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उससे उसको छुटकारा दिया जाय और जो डिले होती है वह खत्म हो जाय ।

मान्यवर, एक बात और कहूंगा हम लोगों ने वहां पर यह भी इक्जामिन किया कि वहां पर बोर्ड आफ रेवन्यू का कार्य कैसे चलता है । हमारी समिति ने यह रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे यहां जो बोर्ड आफ रेवेन्यू हैं उसको एबोलिश किया जाय । यह तो तब से बना हुआ है जब यहां पर ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी हुयी थी । इसके मुख्यतया तीन कार्य हैं । पहला तो यह है कि वह जूडिशियल वर्क करता है । उसके लिये एक जुडीशियल मेम्बर होना चाहिये वह हमारे यहां सीनियर आई०ए०एस० और आई०सी० एस० रखे जाते हैं । कोई अधिकारी उस बोर्ड आफ रेवन्यू में नहीं रहना चाहता है । यह हमारी कमेटी ने सिफारिश की है । वह प्रतिवेदन आपके सामने आयेगा । दूसरा काम बोर्ड आफ रेवेन्यू का वसूली का है । इसके लिये तो जिलों में कलेक्टर्स मौजूद हैं । वे वसूली कर सकते हैं । वे ही आर्डर भेजते हैं । डी० एम० ही वहां पर सारा कार्य देखता है । तीसरा काम इस बोर्ड आफ रेवेन्यू का तहसीलदार वगरह के तबादले करने का है । इसके लिये हमने यह सिफारिश की है कि डी०एम० के लेबिल पर डी०एम० और कमिश्नर के लेबुल पर कमिश्नर ही इन लोगों का तबादला करे । इतने तबादले कभी नहीं हुये थे जितने कि अब हो रहे हैं । ८० प्रतिशत तबादले आज हो रहे हैं । जिनके तबादले हो रहे हैं आखिर उनके भी बच्चे हैं । उनके सामने समस्यायें हैं । अगर कोई विशेष शिकायत है तो उनको निलंबित किया जाय, लेकिन सिर्फ इसलिये कि अमुक अधिकारी फलां पार्टी का है और फलां दरोगा हमको हरवा देगा इसलिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय इससे ज्यादा कोई अनुचित बात हो नहीं सकती है । जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया है इसमें मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट और बोर्ड आफ रेवेन्यू के बारे में विशेष रूप से कहना था कि यह सफेद हाथी है, इसे तुरन्त समाप्त किया जाय । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं तुरन्त व्यवस्था करें जिससे बहुत से खर्चे प्रदेश के बच जायं ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विरुद्ध कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो खर्चा हुआ वह देना ही होगा, लेकिन मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि जो सरप्लस होंगे या ३१ मार्च को जो पैसा यूटिलाइज नहीं किया जायगा उसके बारे में कड़े से कड़ा कदम उठायेंगे । डेफिसिट फाइनेंसिंग सरप्लस बजट और सप्लीमेंटरी बजट—तीनों चीजों का समन्वय होना चाहिये । २० साल से आप घाटे के बजट पेश करते हैं और हर साल हर अनुदान में सरप्लस होता है और उसके साथ-साथ खर्च की मद बढ़ती जाती है और अब ७२ करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट, उसका खर्चा सरकार मांग रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि ३१ तारीख तक, कितना पैसा दिया गया है, क्या सारे डिपार्टमेंट यूटिलाइज करते हैं ? पिछली बार सदन में गोंडा जिला परिषद् का मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया था । ३१ मार्च तक वहां का सारा बजट खत्म हो जाना चाहिये था लेकिन १२,९५,००० रुपया ५ अप्रैल तक यूटिलाइज किया । उसकी इंक्वायरी करायी, वह गोल-माल हो गया । दूसरा गोल-माल यह है कि किस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट और आपके सरकारी अधिकारी आपके धन का दुरुपयोग करते हैं और किस तरह से खर्चे को बढ़ा कर हमसे पैसा मांगते हैं वह मैं उदाहरण के तौर पर रखता हूं । हमारे जिले के नियोजन अधिकारी जिस योजना के लिये ५१ लाख रुपया आया हुआ है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

५ सड़कें ली हुयी हैं और जिसके ऊपर १७ ब्लाकों में ३--३ लाख रुपया खर्च होना है उसके संबंध में क्षेत्र विकास अधिकारी को जो आदेश जारी किये गये हैं वह सुनने लायक हैं कि किस तरह से वह पैसा खर्च करते हैं—

"अ०शा०पत्र संख्या / पंद्रह–सा०लि०/७१–७२ जिला नियोजन अधिकारी, गोंडा (दिनांक है ही नहीं) मार्च, १९७२ ।

संभवतः आपको २१–३–७२ का त्वरित योजना का भी चेक मिल गया होगा । अब केवल एक सप्ताह इस वित्तीय वर्ष का अवशेष रह गया है जिसमें आपको यह चेक अविलम्ब क्षेत्र निधि में स्थानान्तरित करना होगा एवं ३१ माच तक समस्त धनराशि खर्च भी करना होगा । यह कठिन कार्य आपके केवल उत्साह और लगान से ही संभव हो सकता है।"

मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि २१ तारीख को जो चेक दिया जायगा उसका भुगतान वहां के अधिकारी, कार्यक्षेत्र अधिकारी–कब पायेगा ? २१ स ३१ तक ५१ लाख रुपया क्या खर्च हो सकता है ? कौन-सी मशीनरी है जो ठीक तरीके से उसे खर्च करेगी ? इसका मतलब यह है कि १० दिन के अन्दर ५१ लाख रुपया जो खर्च किया जायगा उसमें लूट-खसोट मचेगी । वह बेकार तरीके से खर्च होगा । वह अफसरों की जेब में जाता है । इस प्रकार से आप सरप्लस बचने के नाम पर ७२ करोड़ रुपया लेने के कैसे हकदार हो जाते हैं ? आप तो एक नये समाज की स्थापना करने जा रहे हैं और उसके अन्दर आज इस तरह से जो फिजूलखर्ची होती है उस पर रोक लगाने की बात सोचिये तिवारी जी अन्यथा आपका सारा पैसा इस तरह से जाता है कि ऊपर से पानी जिस प्रकार गिरता है और नीचे छेद से निकल जाता है । इस प्रकार से जनता का सही मानों में कल्याण नहीं हो सकेगा ।

इन शब्दों के साथ में इसका विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन जो आपकी सप्लीमेंटरी की नीति है उसका विरोध करता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य जनसंघ का आभारी हूं कि उन्होंने विवाद के स्तर को ऊंचा किया और इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जो बातें होनी चाहिए और जैसा विवाद होना चाहिए उधर सदन को मोड़ा । उन्होंने जो बातें रखी हैं वे विचारणीय अवश्य हैं । उन्होंने कोम्पट्रोलर आडिटर जनरल की रिपोर्ट की ओर सदन का ध्यान दिलाया और यह उल्लेख किया कि इन रिपोर्टों में कई बार यह बताया गया है कि अनुपूरक अनुदान लिये गये लेकिन करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो पाये । यह बात सही है और इस पद्धति को हमें रोकना है । अगर नहीं रोक सकते हैं तो कम अवश्य करना है ।

मैं उनको आवश्स्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि सदन से जिस योजना के लिये धन स्वीकृत हो वह उसी योजना में निर्धारित समय में उतना ही रुपया खर्च हो । जो प्राक्कलन बनाये जायें वे व्यवहारिक बनाये जायं और उनसे ज्यादा धनराशि खर्च न हो । और ३१ मार्च के पहले जिस वित्तीय वर्ष में धन स्वीकृत किया गया है वह समय पर खर्च हो और जितना आवश्यक है उतना ही खर्च हो । ऐसा न हो कि ११ महीने का सारा रुपया एक ही महीने में खर्च हो जाय ।

सम्मानित सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है और हमने पिछले वर्ष उल्लेख किया था और हमारा प्रयास जारी है । लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट २–३ साल बाद आयेगी । अगले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट ७५–७६ तक आयेगी। उस समय मालूम होगा कि सरकार के प्रयत्नों से कितना सुधार हुआ है। आज क्या हो रहा है उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। म नहीं कहता कि जब रिपोर्ट आयेगी तो सारा रुपया खर्च हो जायगा या खामियां नहीं रहेंगी लेकिन इस वर्ष हर विभाग में यह प्रयत्न किया गया है कि मार्च में खर्चा होने की पद्धति समाप्त हो। हर महीने में बराबर खर्चा हो जैसा कि योजना में होता है उसके अनुसार खर्च हो।

इसमें एक बाधा आ रही थी कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण कि हर साल ५–६ महीने का वोट आन एकाउन्ट लिया जाता था और नई मदें सितम्बर तक आकर स्वीकृत हो पाती थीं तो योजना के परीक्षण करने में और वित्तीय नियमों के पालन करने में काफी विलम्ब हो जाता था और विभाग कहता था कि जब तक मूल बजट पास नहीं हो जाता है तब तक खर्च नहीं कर सकते हैं। जब तक मांगें स्वीकृत न हो जायं तब तक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, जो बात उन्होंने बताई कि पी० ए० सी० और ऐस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों को माना नहीं जाता है। उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ विरोधाभास रहा। एक तरफ तो उन्होंने फाइनेंस विभाग की इसलिये आलोचना की है कि वह कन्ट्रोल ज्यादा करता है और तमाम फाइलें पड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि समितियों की सिफारिशें मानी नहीं जाती हैं। पी० ए० सी० और ऐस्टीमेट कमेटियों का कहना है कि बिना ऐस्टीमेट बनाये कोई मद न रखी जाय। जिस कमेटी की मीटिंग उल्लेख किया है कि माननीय सदस्य तिलहर ने कि मैं वहां नहीं गया। मैं क्षमा चाहता हूं, शायद सही तथ्य उनको मालूम नहीं हुआ। मैं मीटिंग में जाने के लिये प्रस्तुत था लेकिन मालूम हुआ कि मीटिंग स्थगित हो गयी। मैं, पी० ए० सी०, एस्टीमेंट्स, अथवा प० अ० कमेटी किसी भी कमेटी में जाने को तैयार हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है वहां जाने में अथवा किसी प्रकार का उनके सामने साक्ष्य देने में। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि मुझे वहां जाना उचित नहीं है।

श्री सुन्रेन्द्र विक्रम––

कोई न कोई मजबूरी आते रहने के कारण एवाइड करते रहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मुझे आप कल बुला लीजिये, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सदन की समितियों में मिनिस्टर बुलाये नहीं जाते हैं। परम्परा यह है कि सदन की समितियों के सामने कहीं भी पार्लियामेंटरी प्रोसीजर में, मिनिस्टर या सरकार के सदस्य बुलाये नहीं जाते हैं, एज विटनेस नहीं बुलाये जाते हैं। हाउस आफ कामन्स में भी इस तरह की मिसाल नहीं है। वहां पर चान्सलर आफ एक्सचेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर के समकक्ष होता है पब्लिक एकाउन्ट कमेटी ने उसको कभी नहीं बुलाया। न गवाही के तौर पर ही उसको बुलाया। श्री हेराल्ड विल्सन के साथ में, जब पी० ए० सी० का चेयरमैन था, सात दिन तक रहा। उन्होंने बताया कि हाउस आफ कामन्स में ऐसी पद्धति नहीं है। उनकी ही पद्धति का हम अनुकरण कर रहे हैं। फिर भी अगर हम किसी नई पद्धति को कायम करना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं समिति में जाने के लिये और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं, लिखित हो या मौखिक हो, इस तरह से तैयार हूं।

जिस प्रश्न के लिये बुलाया था, वह प्रश्न क्या था? वह प्रश्न वही था जिसका उल्लेख जनसंघ के नेता ने किया। एस्टीमेंट्स कमेटी यह चाहती है कि सरकार उसकी सिफारिशों पर अमल करे और उसकी सिफारिश यह है कि बिना पूरी जांच किये कोई भी योजना बजट में न रखी जाय। बजट में रखने से पूर्व उसकी पूरी जांच कर ली जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मान लीजिये कोई सड़क बनना है, उसके पूरे ऐस्टीमेट्स तैयार कर लिये जायं, और जो प्राक्कलन बजट मन्युअल में लिखे हैं उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जाय।

प्रश्न यह आता है कि अगर इसका कड़ाई से पालन किया जायगा तो ऐसी बहुत सी आवश्यक योजनायें कार्यान्वित होने से रुक जायेंगी, जिनका पूरा होना अत्यावश्यक है। इस बारे में रिजिड होना उचित न होगा। कई बार सम्मानित सदस्य ही कहते हैं कि इसके एस्टीमेंट्स बाद में बनते रहेंगे, इसको बजट में तो रख ही लिया जाय। कई योजनायें चौथी योजना की हैं जिनकी पूरी जांच अभी नहीं हुई है। बहुत सी योजनायें विकास कार्यों की ऐसी होती हैं जिनकी पहले से जांच नहीं हो पाती। कोई आवश्यक योजना है और माननीय सदन चाहता है कि उसको लिया जाय और उसकी परीक्षा बाद में हो जायगी, उसको बजट में रखना अत्यावश्यक हो जाता है। आप देखेंगे कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें कई छोटी योजनायें प्लान आइटम की ही हैं जिनके बारे में पूरी जांच अभी नहीं हो पाई है और वह सम्भव भी न था कि हम सारी योजना को पहले से बना लेते और उसके बाद इस बजट में रखते क्योंकि सर्वे कराने में और उसको पूरा रूप देने में समय लगता है। इन दोनों सिद्धान्तों के झूले में हम झूल रहे हैं। पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स का भी कहना सही है कि बजट मैन्युअल और फाइनेंशियल हैन्डबुक के अनुसार कार्य होना चाहिये। लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरा व्यावहारिक पहलू भी है। विकास को तेजी से करने के लिये अगर वित्तीय नियम बाधक है तो उन नियमों को भी अलग करना चाहिये। इन दोनों के बीच का रास्ता हमें निकालना होगा। वही प्रयास हम आजकल कर रहे हैं। वित्तीय नियन्त्रण भी रहे, पी० ए० सी०, एस्टीमेट्स और प० अ० ट० कमेटियों की संस्तुतियों को कार्यान्वित किया जाय और दूसरी ओर जो जनता चाहती है, उसके विकास को तेजी से किया जाय, इस ओर भी हमें ध्यान देना है। फाइनेंस विभाग का कोई इरादा नहीं होता कि किसी योजना में देर लगायी जाय। नियम यह है कि जिन योजनाओं की प्री बजट स्क्रूटनी हो चुकी होती है, वह बजट के पास होते ही जिस विभाग द्वारा उसको पेश किया गया होता है, उसको भेज दी जाती है। उसकी मंजूरी फाइनेंस विभाग तुरन्त ही दे देता है। देरी केवल उनमें लगती है जिन में प्रिबजट स्क्रूटनी नहीं होती, उनमें देरी होना अनिवार्य, अगर ऐसा न हो तो जो यह लोक लेखा और प्राक्कलन समितियां हैं इनकी रिपोर्ट कितनी सख्त होंगी वह मैं नहीं कह सकता। जो मर्यादा इन समितियों की है कि सदन से स्वीकृत पैसे का ठीक से व्यय हो उस मान्यता को हर तरह से हमें रखना है।

माननीय सदस्य गोंडा ने सुझाव दिया कि जो निधि जिलों को भेजी जाय वे ठीक से व्यय हो। जो भाषा उन्होंने पढ़ी यदि वह वैसी ही है तो यह ठीक है कि उसमें सुधार होना चाहिये, वह अच्छी नहीं है, वह ठीक से लिखी गई नहीं मालूम होती। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं उनसे उसे प्राप्त करके देखूंगा वह भाषा ठीक नहीं है यह सही है लेकिन उस का मतलब यह नहीं है कि वह रकम ७ दिन में ही व्यय हो जानी चाहिए, जो पैसा कनसालिडेटेड फंड या संहित निधि से क्षेत्रीय निधि को चला गया वह सब खर्च हो गया चाहे वह कितनी ही रकम क्यों न हो। उसको क्षेत्रीय निधि अगले साल से खर्च करेगी, कुछ इन मार्च के ११–१२ दिन में खर्च करेगी और बाकी रकम अप्रल से आगे के वर्ष में खर्च होगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है यहां से वह पैसा निकल गया। इस पूरक बजट में बहुत सी मदें हैं जिनका पैसा मार्च के इन दस दिन में व्यय नहीं होगा बल्कि उसका व्यय नये वर्ष में आगे अलग-अलग योजनाओं में व्यय होता रहेगा। बहुत सी योजनायें केवल माच के लिये नहीं बल्कि अगले सालों वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४ में व्यय होगा, व चालू रहने वाली योजनायें हैं। बहुत सा व्यय अगले ३–४ सालों तक चलता रहेगा। बहुत सी योजनायें जो सदन

स्वीकार करेगा उनमें खर्च चालू रहेगा। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि इस अनुपूरक विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके लोक लेखा समिति के चेयरमन होने के समय जो विचार थे क्या वही विचार उन के अब वित्त मन्त्री होने पर भी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, वही विचार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१–७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२

३१ मार्च, १९७२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७१-७२ के लिए ७२,४६,९८,२०० रुपयों का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९७२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ७२,४६,९८,२०० (केवल बहत्तर करोड़, छियालिस लाख, अठानवे हजार दो सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

———

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोतकर	१५,१००	..	१५,१००
२	भू-राजस्व	१,४६,८४,२००	..	१,४६,८४,२००
५	अन्य कर शुल्क	..	१००	१००
६	स्टाम्प	५,३२,५००	१,४००	५,३४,९००
७	निबन्धन	..	१,६००	१,६००
८	राज्य विधान मंडल	१,३००	१७,०००	१८,३००
९	निर्वाचन	८४,१२,३००	..	८४,१२,३००
१०	सामान्य प्रशासन	२६,९२,८००	४,३८,५००	३१,३१,३००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	१,६००	..	१,६००
१४	कारागार	३०,७१,१००	..	३०,७१,१००
१५	पुलिस	७४,१९,५००	३७,९००	७४,५७,४००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	३,००,०००	..	३,००,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	९,९००	..	९,९००
१८	शिक्षा	५,३१,१०,८००	३४,९००	५,३१,४५,७००
१९	चिकित्सा	१,०६,४५,२००	३,८००	१,०६,४९,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१,८००	..	१,८००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास	१,६९,७००	१४,३००	१,८४,०००

१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
२३	पशुपालन तथा मत्स्यपालन	५,०२,७००	..	५,०२,७००
२४	सहकारिता	३१,७९,०००	..	३१,७९,०००
२५	उद्योग	४००	९,६००	१०,०००
२६	नियोजन और समन्वय	३,६८,२८,४००	..	३,६८,२८,४००
२७	श्रम तथा सेवायोजन	६६,२००	२३,३००	८९,५००
२८	सूचना निदेशालय	१००	..	१००
३२	सिंचाई अधिष्ठान	१७,६०,०००	..	१७,६०,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं	२,५४,२४,८००	..	२,५४,२४,८००
३४	संचार साधनों का सुधार	१००	१,०००	१,१००
३६	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	६,११,६००	..	६,११,६००
३७	परिवहन	३,६४,३३,६००	..	३,६४,३३,६००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	४१,९१,६००	..	४१,९१,६००
४२	वन	३००	..	३००
४३	प्रकीर्ण व्यय	५००	३१,९००	३२,४००
४४	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	२८,४१,५००	..	२८,४१,५००
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार*	..	.. ३३,५७,००,०००	३३,५७,००,०००

*भारित का विनियोग

१	२	३	४	५
४७	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	८,३००	..	८,३००
४८	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	५,८२,००,१००	..	५,८२,००,१००
४९	सिचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	९२,४०,६००	..	९२,४०,६००
५०	सार्वजनिक निमाण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	८,१००	..	८,१००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१,९००	..	१,९००
५२	पेंशनों का राशिमूल्य	६४,०००	..	६४,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें	१००	..	१००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	१०,७९,५०,२००	..	१०,७९,५०,२००
	योग ..	३८,८३,८२,९००	३३,६३,१५,३००	७२,४६,९८,२००

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७२-७३ के लिए लेखानुदान

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"१९७२-७३ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण में, जो २० मार्च, १९७२ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ २-३ पर अंकित अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष के प्रथम डेढ़ महीनों में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ९२,८५,३०,००० रुपये से अधिक न हो।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि १९७२-७३ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो २० मार्च, १९७२ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ २-३ पर अंकित अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम डेढ़ महीनों में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ९२,८५,३०,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, लेखानुदान के बारे में तो मुझे केवल २-४ शब्द ही कहने हैं। लेखानुदान का प्राविधान हमारे संविधान में इसलिये किया गया है कि विशेष परिस्थितियों यदि आ जायं जिनमें सामान्य बजट सदन के सामने प्रस्तुत न किया जा सके तो काम चलाऊ बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय। इसके पहले भी काम चलाऊ बजट रखा गया और आज भी रखा जा रहा है। यह दूसरा अप्रैल आ गया है और पिछले अप्रैल को लगभग १०-११ महीने हो गये हैं जब से यह सरकार पदारूढ़ है। कोई कारण नहीं कि आज इतना समय पाने के बद भी आपने पूरा बजट तैयार नहीं किया है। यह सरकार की अकर्मण्यता, अकुशलता और ब्यूक्रेसी की अकर्मणयता और अकुशलता का द्योतक है। कहते हैं कि सरकारें बदली, कभी कहत हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं। मैं तो एक ही उदाहरण देता हूं। एक एक और दो दो महीने में फ्रांस की सरकारें बदली, इटली की सरकारें भी इसी प्रकार २-२ या ३-३ महीनों में बदली लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था की जो प्रगति है वह संसार के दूसरे देशों के मुकाबले में दुगनी और तिगुनी रही है। ऐसा मैंने पढ़ा है। आज उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी नौकरशाही इतनी देशभक्त और कर्त्तव्य परायण थी, पब्लिक के प्रति निष्ठा रखती है कि हमारा प्रत्येक का कर्त्तव्य है कि पब्लिक की सेवा हो और देश की तरक्की हो मिनिस्ट्री आये या जाये। यही कारण है कि वहां पर २-३ मिनिस्ट्रीज बदली लेकिन वहां की प्रगति में कोई बाधा नहीं हुई न वहां पर बजट में २-३ लखानुदान के ऐसे अवसर आये। क्या कारण हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते। आज १० महीने बीत गये लेकिन हम बजट तैयार नहीं करा पाये? क्यों नहीं नवम्बर या दिसम्बर में तैयार करा पाये जबकि वित्त विभाग बहुत पहले ही बजट की स्क्रूटिनी करती है।

दूसरी बात अपने बजट से सम्बन्धित हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने सब चीजों का जवाब दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं लेकिन बड़े कायदे के २ तरीके उन्होंने अपनाये। पिछली बार जो हमने कहा था आश्वासन दिया लेकिन उनकी अवधि क्या होगी, कारण यह नहीं बतलाये।

यह निडर हो कर कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ही जवाब दे दिया कि ३-४ वर्षों के बाद ए० जी० की रिपोर्ट आयेगी। तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।

दूसरी बात यह कि माननीय वित्त मन्त्री न बार-बार सदस्यों से आलोचना सुनने के बाद क्या यह बात जानने की कोशिश की कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितनी ऐसी फाइलें हैं जो तीन महीने, छः महीने, साल, दो साल या तीन साल से ज्यादा पुरानी हैं या जो हमारे माननी विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं क्या वह निराधार हैं? इसका उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? अब अगर आज इस वक्त जवाब देंगे तो मैं समझूंगा सारा जवाब बनावटी है। उनको इस पहलू पर विचार करना चाहिये।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक दूसरी बात कही जिसे सुन कर बड़ा कष्ट हुआ। अगर फाइनेंशल रूल्स ऐसा कहते हैं जो आपको उस पर भी विचार करना चाहिये। आप कहते हैं कि रुपया हमारे यहां से निकल गया तो खर्च हो गया। यदि आप यही पता लगवाते कि मार्च के महीने में कितना रुपया खर्च हुआ और कितना पर्सनल लेजर एकाउन्ट में गया तो अच्छा होता। मगर आपने इस बात को न कहकर जितनी टालू बात कही। क्षमा करेंगे हमारे वित्त मन्त्री जी, हम उनसे यह आशा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग से अगर रुपया निकल गया और सामुदायिक विभाग में चला गया तो वह खर्च हो गया। यही कारण है कि करोड़ों रुपये के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ए० जी० के पास आ नहीं पाते। क्यों नहीं पता लगाता ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो इसका जिम्मेदार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि ए० जी० की आपत्तियों का निराकरण क्यों नहीं होता। दूसरे, यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स न आ पाने का ही दुष्परिणाम मिसएप्रोप्रिएशन और एम्बेजिलमेंट है। मैं मानता हू कि आप जान कर ऐसा नहीं करत परन्तु आप इस पर विचार क्यों नहीं करत, आप सरकार हैं, नीचे से नीची यूनिट से लेकर ऊपर से ऊपर तक की यूनिट के कार्यकलापों के आप जिम्मेदार हैं। जब हम कोई सवाल यहां करते हैं तो आप मन्त्री की हैसियत से उत्तर देते ह मानों आप सारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं लेकिन यहां दो विभागों में विभक्त करते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रुपया निकल गया तो खर्च हो गया। अगर फाइनेंसियल रूल्स ऐसा कहत हैं तो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें और इस पर विचार करें कि जो बात मैं कह रहा हू वह कहां तक सही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि पार्लियामटरी अफेयर्स के मन्त्री सौभाग्य से हमारे योग्य मित्र श्री नारायण दत्त जी तिवारी हैं जो बहुत मधुर भाषी हैं। मैंने सुबह कहा था कि जब धार तेज होती है तो काटत समय आवाज नहीं करती। ये आवाज नहीं करते जब अपनी बात इनको करनी होती है। मैं गलत सेन्स में इनका प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप इसकी चिन्ता न करें। आपने क्यों नहीं आश्वासन दिया इस सदन में जब मैंने दो-दो, तीन-तीन बार कहा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, एस्टीमेंट्स कमेटी, आश्वासन समिति की रिपोर्टों पर यहां विचार हो, आप भी विचार व्यक्त करें, हम भी विचार व्यक्त करें। हो सकता है कि आपके विचार सही हों और हमारे गलत हों। क्यों नहीं माना आपने? इसलिये मेरा पुनः उनसे निवेदन है कि इन बातों पर वह विचार करें और जो वोट आन एकाउन्ट है उसे तो हम पास करते ही हैं, करेंगे और उसके विनियोग को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले चलें। आप ही को श्रेय मिले लेकिन प्रदेश का भला तो हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय जनसंघ के नेता ने एक कारण बताया सरकार परिवर्तन का। मैं समझता हूं कि यह कारण आज नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के प्रारम्भ में ही नयी सरकार बन गयी, सरकार बदली नहीं। एक ही कारण था चुनाव। लेकिन वह भी सामान्य निर्वाचन नहीं, उप-निर्वाचन। और उप-निर्वाचन में आप देखेंगे कि गत वर्षों में यह सदन चलता रहा है। लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर और सबसे दुख की बात यह है कि आज की सरकार के वित्त मन्त्री यहां हैं, वे यहां बैठे हैं, उन्होंने सदन में दो घंटे चर्चा चलाई कि इस स्थिति में नब्बे दिन से सदन कम नहीं चलना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें आज क्या हो गया? क्यों वे जनता के प्रतिनिधियों से डर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि रामराज्य कब आयेगा, जब सड़क पर चलने वाले की बातें सुनी जायं। मोटर पर चलने वाले तो बिछड़ जाते हैं। सड़क पर चलने वालों की बात को तो कौन कहे सदन में आये हुए जनता के प्रतिनिधियों की बातों को ये नहीं सुनना चाहते हैं। लेखानुदान डेढ़ महीने का है। मैं तो यह कहूंगा कि यह तो एक धोखाधड़ी के ढंग से लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। ताकि सदन में बोलने का जो हमारा अधिकार है उसको भी न दिया जाय। बजट पर चर्चा करने के लिये नियमानुकूल २४ दिन और राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा को लेकर 33 दिन चर्चा के लिये होते हैं। उसको भी लेखानुदान के परदे की आड़ में लेकर हमारे अधिकार को काटा जा रहा है। इसमें केवल एक ही कारण था। अगर मुख्य मन्त्री जी सदन बुलाते तो उपनिर्वाचन में जो सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया है वह कैसे हो पाता। मिर्जापुर में एक स्वास्थ्य डायरेक्टर ने अस्पतालों को बांटना ही शुरू कर दिया है। कहीं अस्पताल की जरूरत नहीं है लेकिन मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र में अस्पतालों की जरूरत पैदा हो गई और पाकेट से निकाल निकाल कर अस्पताल वहां बंटने लगे। अगर हमसे ये दो महीने का टाइम मांग लेते तो हम उदारतापूर्वक देने के लिये तैयार रहते। अच्छा होता कि सदन की

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

कार्यवाही अच्छी प्रकार चलती। हम लोग विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर बहस करने के लिये बराबर मांग करते रहे हैं कि उन पर बहस का मौका नहीं दिया जाता है। लेखानुदान के लिये जो समय दिया गया है वह तो बजट तक ही सीमित रह जायगा। विधेयकों पर भी चर्चा नहीं होगी, रिपोर्टों की बात तो अलग रही। अगर माननीय मन्त्री जी संशोधन करके लेखानुदान के लिये दो महीने का समय मांगें तो हमारा बिल्कुल उदारवादी दृष्टिकोण है लेकिन अगर धूर्ततापूर्वक जनता के दुख आदि को न सुनने के लिये ऐसा किया जाता है तो इससे जनता की भावनाओं को आघात पहुंच रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, लेखानुदान जिस कम समय के लिये लिया गया है वह इनकी धारणा को बतलाता है जिससे हम प्रदेश की समस्याओं को पेश न कर सकें। अत्यन्त थोड़े समय के लिए लेखानुदान लिया है। ये बजट सेशन पहले बुला सकते थे। जनवरी में बुला लेते, इनके सामने समस्या नहीं थी। इन्होंने जान बूझकर सेशन नहीं बुलाया। यह जनतन्त्र की हत्या की गई है। श्रीमन, एक और सजेशन मैं देना चाहता हूं कि कमेटी की यह भी सिफारिश थी कि सम्प्लीमेंट्री एस्टीमेट्स में जो नई मदें हों वह भी एस्टीमेट्स कमेटी में जाना चाहिये। पंजाब और हरियाणा में यह हो गया है, किन्तु वह जो चिट्ठी थी गवर्नमेंट ने डाउन कर दी। मैं समझता हूं सरकार को इन सब पर विचार करना चाहिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपने माननीय नेता जनसंघ को बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री पद्धति का अनुपालन किया और यह स्वीकार किया कि लेखानुदान जब प्रस्तुत होता है तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है और उसे स्वीकार करना ही होता है। उन्होंने अन्य दूसरी बातों का उल्लेख किया और उन्होंने उन बातों का उत्तर देना उचित समझा जो पहले अनुपूरक विधेयक के सिलसिले में कही गई थीं। उन्होंने मेरे प्रति यह आह्वान किया कि मैं यह देखूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसी कितनी फाइलें हैं जो ६ महीने, ३ महीने, से पड़ी हुई हैं। इस सम्बन्ध में यह पहले ही से प्रयास किया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में ७–८ दिन से ज्यादा फाइलें नीचे लोअर डिवीजन असिस्टेंट से लेकर ऊपर नहीं लगना चाहिए। हां इतना अवश्य है और आप भी इस बात को मानेंगे कि बिना अधूरा जांच के कोई योजना जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने भेजी है, उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट मोहर लगा दे और न वह भी इस बात को चाहेंगे कि बिना देखे और पूरी जांच हुए, मोहर लगा दी जाय। यह काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही नहीं है वरन् सभी डिपार्टमेंट का है और फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एक अंग है कि बिना पूरी जांच के कोई योजना स्वीकार न किया जाय। हां, जो उन्होंने विभाग को और अधिक समझदारी और कड़ाई तथा तत्परता से कार्य करने की सलाह दी है, उस पर हम अवश्य पूरा ध्यान रखेंगे और अधिक तेजी के साथ कड़ाई के साथ हम अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने की चेष्टा करेंगे।

सम्मानित उप नेता बी० के० डी० ने जो बात कही, तो मुझे यह कहना है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जो उपस्थित नहीं हैं, अगर उपस्थित होते तो वह भी इस राय के हैं कि वोट-आन-एकाउन्ट कम से कम समय का लिया जाना चाहिये और यह वित्तीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दृष्टिकोण से ठीक भी है ताकि मूल बजट पास हो जाय और विकास का कार्य न रुके। उन्होंने जो वोट-आन-एकाउन्ट ज्यादा समय के लिये लेने के लिए सुझाव दिया, तो शायद मैं यह समझता हूं, कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और बी० के० डी० की राय नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मैंने तो कम दिन रखे जाने के लिये कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे खेद यह है कि इस सुझाव को देने का समय उस समय था जब प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन माननीय सदस्य ने उस समय तो स्वीकार कर लिया। विधेयक में तो केवल एक भाग के लिये लिखा जाता है। उस समय तो उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया और जब कोई स्थल नहीं विरोध करने का तो विरोध कर रहे हैं। खैर, अब उनकी यह इच्छा लेकिन पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के अनुसार उस अवसर पर उन्हें विरोध प्रकट करना चाहिए था.....।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बात को माननीय मन्त्री फिर से सफाई के साथ भूले जा रहे हैं और बचा रहे हैं। आप कृपया उस बारे में अपनी सम्मति प्रकट करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बात 99 प्रतिशत मान ली जाती है...।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप ही इस बात की बेहतर सलाह दें कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, अश्वासन समिति क्यों बनाई जाती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, 1 प्रतिशत में ही सारी बातें नहीं मानी जाती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

99 प्रतिशत पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की मान ली जाती हैं और जो एक आध परसेंट नहीं मानी जाती हैं उसमें भी उनसे यही आग्रह किया जाता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और फिर से राय दीजिये। यह तो निर्णय हो ही गया था कि किस पर कब विचार करना है इसको एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। पहले भी यही कहा था। मैं निवेदन करूंगा कि यह डेढ़ महीने का है और सदन को जितने दिन मिलने चाहिये थे वे मिलते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सदन स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७२–७३ के लिये १,२६,३४,५१,००० रुपयों का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९७२ ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग १,२६,३४,५१,००० रुपये (एक अरब, छब्बीस करोड़, चौतीस लाख, इक्यावन हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता ह, उन उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२		३	
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत कर ..	५४,०००	१,०००	५५,०००
२	भू-राजस्व ..	२,०२,९८,०००	२,०००	२,०३,००,०००
३	राज्य आबकारी ..	७,८४,०००	१,०००	७,८५,०००
४	बिक्री-कर ..	१७,२७,०००	१,०००	१७,२८,०००
५	अन्य कर और शुल्क ..	३,२८,०००	१,०००	३,२९,०००
६	स्टाम्प ..	३,३५,०००	१,०००	३,३६,०००
७	निबन्धन ..	५,२८,०००	१,०००	५,२९,०००
८	राज्य विधान मण्डल ..	९,३८,०००	१२,०००	९,५०,०००
९	निर्वाचन ..	४,३७,०००	..	४,३७,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	४९,६९,०००	२,९३,०००	५२,६२,०००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	१,८५,१०,०००	२,०००	१,८५,१२,०००
१२	गांव सभाएं और पंचायतें ..	२८,९८,०००	१,०००	२८,९९,०००
१३	न्याय प्रशासन ..	५१,७०,०००	९,८२,०००	६१,५२,०००
१४	कारागार ..	४४,३५,०००	१,०००	४४,३६,०००

१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१५	पुलिस ..	४,१०,४९,०००	१,०००	४,१०,५०,०००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	२१,४५,०००	८,०००	२१,५३,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	४,५०,०००	१,०००	४,५१,०००
१८	शिक्षा ..	१३,५९,३१,०००	१,०००	१३,५९,३२,०००
१९	चिकित्सा ..	२,५७,२२,०००	१,०००	२,५७,२३,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	२,३८,१५,०००	१,०००	२,३८,१६,०००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	२,७६,३०,०००	१९,०००	२,७६,४९,०००
२२	उपनिवेशन ..	४,०००	१,०००	५,०००
२३	पशुपालन और मत्स्य पालन ..	९६,३४,०००	१,०००	९६,३५,०००
२४	सहकारिता	४५,४४,०००	१,०००	४५,४५,०००
२५	उद्योग ..	६६,३९,०००	१,०००	६६,४०,०००
२६	नियोजन और समन्वय ..	३,०१,३५,०००	१,०००	३,०१,३६,०००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	५६,६६,०००	१,०००	५६,६७,०००
२८	सूचना निदेशालय ..	४,५१,०००	१,०००	४,५२,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	९८,४९,०००	१,०००	९८,५०,०००
३०	समाज कल्याण ..	१०,०९,०००	१,०००	१०,१०,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	४,६७,५२,०००	१,०००	४,६७,५३,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	१,९१,९३,०००	१,०००	१,९१,९४,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	२,०४,७५,०००	३८,०००	२,०५,१३,०००
३४	संचार साधनों का सुधार ..	८,८७,०००	..	८,८७,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	८९,१७,०००	१,०००	९८,१८,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	२६,२४,०००	..	२६,२४,०००
३७	परिवहन ..	९८,३९,०००	२,०००	९८,४१,०००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	१५,०१,०००	१५,००,०००	३०,०१,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	६९,५३,०००	२९,०००	६९,८२,०००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते ..	६,८२,०००	..	६,८२,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	३६,६६,०००	..	३६,६६,०००
४२	वन ..	१,१३,१२,०००	५,०००	१,१३,१७,०००

१	२	३	४	५
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	२,५५,३०,०००	१,०००	२,५५,३१,०००
४४	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	३१,५६,०००	१,०००	३१,५७,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	..	६,२९,३९,०००	६,२९,३९,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	२६,८९,९९,०००	२६,८९,९९,०००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	३,५५,८९,०००	१,०००	३,५५,९०,०००
४६	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	९६,६५,०००	१२,०००	९६,७७,०००
४७	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	२,८७,४४,०००	..	२,८७,४४,०००
४८	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	४,८७,०५,०००	१,०००	४,८७,०६,०००
४९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३,९६,५२,०००	३७,०००	३,९६,८९,०००
५०	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	५५,७२,०००	७,०००	५५,७९,०००
५१	पेंशनों का राशिमूल्य ..	९३,०००	५,०००	९८,०००
५२	राज्य व्यापार की योजनायें ..	११,२२,८५,०००	१,०००	११,२२,८६,०००
५३	ब्याज वाल ऋण और अग्रिम ..	१०,०६,५४,०००		१०,०६,५४,०९०
	योग ..	९२,८५,३०,०००	३३,४९,२१,०००	१,२६,३४,५१,०००

*भारित विनियोग ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा अनुसूची विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२

१ अप्रैल, १९७२ ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये, राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९७२ कहलायगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कुल १७ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मुझे यह कहना है कि बहुत सी सूचनायें तो ऐसी होती हैं जो अल्पसूचित प्रश्न क रूप में आती हैं और अच्छा होता कि सदस्य एक एक, दो दो प्रश्नों की इसमें सूचनायें देत। जो प्रश्न आये हैं उन सदस्यों में श्री डी० पी० बोरा तथा कृष्ण सिंह ने कहा है कि लखनऊ क कला महाविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को मनान के लिय भूख हड़ताल के पथ पर हैं। इसको मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा ने अपनी सूचना में कहा है कि मुजफ्फरनगर जनपद की कुमारी मोहनी प्रिंसिपल एस० डी० कालेज की मृत्य में सरकारी कमचारियों का षणयन्त्र। इसको अल्प सूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया है जो आपके सामन आयेगा और अगर इसस सन्तुष्ट नहीं होंगे तब इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकरन सिंह, श्री उदयनाथ, श्री बैजनाथ व श्री रामनिहोर ने जो प्रश्न दिया है कि गाजीपुर जनपद के सैदपुर थानान्तर्गत तजपुर गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को मारा गया है तथा लूटखसोट की गई है।

श्री कृष्ण बाजपेयी, डा० जगमोहन वर्मा तथा मनोहर लाल ने जिला रायबरेली में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार के बारे में लिखा है ।

श्री मनोहर लाल व श्री कृष्ण बाजपेयी ने मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग पर डाकुओं द्वारा ट्रकों एवं जीपों तथा अन्य प्रकार की लूटमार के बारे में लिखा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम ने मुरादाबाद जिले में डाकुओं द्वारा ट्रकों का लूटा जाना एवं दरोगा की मृत्यु के बारे में बताया है ।

श्री बंशीधर पांडेय व श्री राम बिलास पांडे व श्री सुरेन्द्र विक्रम ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस के स्लीपर में डकैती के बारे में कहा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

एक दरोगा भी जान से मारा गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री नित्यानन्द स्वामी ने श्री बी० सी० तिवारी द्वारा धामपुर डिग्री कालेज में पक्षपात व भ्रष्टाचार के विरोध में विधान भवन के सामने आमरण अनशन के बारे में कहा है। यह डिग्री कालेज है और प्राइवेट है, इसलिये सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस पर आप प्रश्न कर लें ।

सर्वश्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, कल्पनाथ सिंह, सुरेन्द्र विक्रम और बंशीधर पांडेय ने राम गंगा परियोजना, कालागढ़ के मजदूरों द्वारा मांग की पुष्टि में हड़ताल की नोटिस दी है । यह कार्यवाही के लिये माननीय मंत्री के पास भेज दिया गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

सन् 67 में यहां पर इसी कारण गोलीकांड हुआ था । मुख्य मंत्री जी कालागढ़ गये थे और वहां मजदूरों ने चन्दा भी दिया था । उन्होंने कुछ आश्वासन दिये थे । मुख्य मंत्री जी को इस बारे में पता है इसलिये इस सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा । वह देख लेंगे ।

सर्वश्री रामगोपाल संड और राजित राम ने उ० प्र० में चीनी के वितरण में धांधली एवं भ्रष्टाचार पर सूचना दी है । आप इसके सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

इसको स्वीकार कर लीजिये । आधे घंटे की इस पर चर्चा करा दीजिये । चार रुपया किलो शकर बिक रही है । हम सभी लोग प्रभावित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

हम सहमत हैं लेकिन बजट में आपको इसके लिये अवसर मिलेगा ।

श्री रामगोपाल संड--

हम विस्तार से बतलायेंगे । आप बड़े उदार हैं । इसका जनता से सम्बन्ध हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार कर लेंगे । अगर आपको संतोष नहीं होगा तब विचार के लिये मान लेंगे । सूचनायें बहुत बढ़ गई हैं । इसलिय आप अल्पसूचित प्रश्न कर और अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे और संतुष्ट मैं नहीं होऊंगा तो इस विषय को ले लेंगे ।

श्री मोहन लाल कपूर और श्री रामगोपाल संड ने उ० प्र० के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा तृतीय श्रेणी क कर्मचारियों को अकारण निकाले जाने का नोटिस दिया है, जो कि अस्वीकृत कर दिया गया है। यह प्रश्न कर सकते हैं।

श्री उमाकान्त बाजपेयी ने फतेहपुर जिले में नसबन्दी के कारण अनेक मृत्युओं पर प्रश्न दिया है। यह अस्वीकृत कर दिया गया है। यह अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री राम सागर और श्री सूबेदार प्रसाद ने वाराणसी जनपद में हरिजनों को कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा मारापीटा जाने पर प्रश्न दिया है जिसको अस्वीकृत कर दिया गया है। यह अल्प सूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य ने सरकारी कुप्रबन्ध के कारण चीनी के दामों में बढ़ोत्तरी पर प्रश्न दिया है जो कि अस्वीकृत कर दिया गया है। वह अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी और श्री त्रिलोक चन्दने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों को नेशनल डिप्लोमा प्रदान न करने के फलस्वरूप असन्तोष पर प्रश्न दिया है जो कि अस्वीकार कर दिया गया है। यह अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों को उचित डिप्लोमा दिये जाने का प्रश्न दिया है, जो अस्वीकार कर दिया गया है। यह अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री राममूर्ति अंचल और श्रीमती शकुन्तला देवी ने रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर, कानपुर द्वारा प्राइवेट ट्रक ओनर से रिश्वत लेना एवं परेशान करने पर प्रश्न दिया है जो कि अस्वीकृत कर दिया गया है। यह अल्पसूचित प्रश्न कर सकते ह।

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ३९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२१ मार्च, १९७२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१ पर)

स्वीकृत मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की सूची

---

(१) डहरपुर
(२) सराय
(३) प्रसिद्धपुर
(४) दातागंज
(५) मझारा
(६) समरेर
(७) मियाऊं
(८) अलापुर
(९) हजरतपुर
(१०) गूरा
(११) उसावां
(१२) उसेहत
(१३) जलालपुर खेड़ा
(१४) रिजौला
(१५) सहसवान
(१६) रसूलपुर बेला
(१७) खंदक
(१८) खितौरा
(१९) दहगवां
(२०) उस्मानपुर
(२१) जरीफनगर
(२२) हैदलपुर
(२३) सतेती
(२४) बेहटा गुसाईं
(२५) बित्सी
(२६) रजपुरा
(२७) गवां
(२८) जुनावई
(२९) पुसावली
(३०) मड़कावली
(३१) नगला अजमरी
(३२) गुन्नौर
(३३) घनारी
(३४) ईसमपुर
(३५) मकरौली
(२६) बिसौली
(३७) करनपुर
(३८) मुडिया
(३९) शहर बरौलिया
(४०) इस्लामनगर
(४१) उदायन
(४२) आसफपुर
(४३) सीकरी
(४४) फैजगंज बेहटा
(४५) दफतोरी
(४६) सैदपुर
(४७) वजीरगंज
(४८) बगरैहन
(४९) बनकोटा
(५०) जगत
(५१) रूपापुर
(५२) गुलडिया
(५३) खुनक
(५४) उझानी
(५५) कछला
(५६) अब्दुल्लागंज
(५७) सखूपुर
(५८) बदर चौक
(५९) असरासी
(६०) ककोड़ा
(६१) बिनावर
(६२) कुंवर गांव
(६३) सिलहरी।

वष १९७२ म खोल जान वाले प्रस्तावित ९ केन्द्रों की सूची :

(१) गंडाहा
(२) जयपालपुर खुद्दी
(३) नादा
(४) हरफरी
(५) गिरावटी
(६) नूरपुर पिनानी
(७) करियामई
(८) का कोरा
(९) रसूलपुर ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर)

विधान सभा के प्रथम सन् १९७२ के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री कल्याण सिह के अतारांकित प्रश्न सं० ५ के उत्तर का संलग्नक

ऐसे चार खंड विकास अधिकारी हैं। इन अधिकारियों का स्थायीकरण न होने का कारण अधिकारी वार निम्न प्रकार से है:—

(१) श्री डी० पी० सिंह राव—खंड अतरौली (अलीगढ़)

जब यह जिला बदायूं में तैनात थे तो इनके विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच होने के उपरान्त न्यायालय में गबन का मुकदमा भेजा गया और इनको निलम्बित कर दिया गया था। सेशन्स न्यायालय से १९६६ में बरी होने के उपरान्त इनको बहाल किया गया। इसके बाद शासन के आदेशानुसार इनके विरुद्ध कुछ मामलों में मण्डलायुक्त, बरेली स्तर पर आनुशासनिक कार्यवाही चली। वह आनुशासनिक कार्यवाही जून, १९७१ में समाप्त हुई है।

(२) श्री पी० सी० जैन—खंड अकराबाद (अलीगढ़)—

इनके विरुद्ध जिला बदायूं में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत थी। उन पर जांच उपरान्त इन्हें १७—१—६८ से निलम्बित कर दिया था। निलम्बन के उपरान्त इनके विरुद्ध नियमानुसार आनुशासनिक कार्यवाही की गई और इनको लघु दण्ड देकर अगस्त, १९७० में बहाल कर दिया गया। इनके विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही को देखते हुए तथा इनकी चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों को देखते हुए यह स्थायीकरण के योग्य नहीं पाए गए। लोक सेवा आयोग द्वारा भी यह स्थायीकरण के लिए अनुमोदित नहीं हुए हैं।

(३) श्री आर० के० गुप्ता—खंड करहल (मैनपुरी)

इनके विरुद्ध हसनगंज, जिला उन्नाव तथा करहल, जिला मैनपुरी के मामलों के संबंध में जांच चल रही ह और उन जांचों के कारण इनका स्थायीकरण संभव नहीं हो सका।

(४) श्री बहोरी लाल शर्मा—खंड नौहझील (मथुरा)

यह ३१—७—५९ से स्थानापन्न खण्ड विकास अधिकारी थे और लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त नियमित अस्थायी खण्ड विकास अधिकारी ५—१२—६२ से हुए हैं। ज्येष्ठता सूची में इनका क्रमांक ५८१ है। यह अभी बहुत कनिष्ठ हैं और अभी इनसे ज्येष्ठ खण्ड विकास अधिकारी भी स्थायीकरण के लिये शेष हैं। इनका नम्बर अभी स्थायीकरण के लिए नहीं आया है।

बलदेव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०० पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७० में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७० की धारा २ की उपधारा (१) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिए जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९७० की धारा २ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७२ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७२ का निरसन

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

जिला परिषदों का प्रशासन चलाने के लिये जो अस्थायी व्यवस्था की गई थी उसकी अवधि २२ मार्च, १९७२ को समाप्त हो रही थी। जिला परिषदों के संगठन तथा कृत्यों के पुनर्विचार का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति को सौंपा गया है अतएव जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिये निर्वाचन कराना सम्भव नहीं था। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७२ द्वारा अस्थायी व्यवस्था की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई। वर्तमान विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

यह विधेयक तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

बल्देव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १०१ पर)

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९७२

राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी अन्य निगम या किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी कम्पनी को दिये जाने वाले कतिपय वर्ग के देयों की, भूत-लक्षी प्रभाव से, शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने, और पूर्वकृत कतिपय कृत्यों और की गई कार्यवाहियों का वैधीकरण करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा, प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

(३) यह धारा और धारा १ से ५ तक ४ दिसम्बर, १९६५ से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

२—(१) जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५१ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य निगम भी है जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो और जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में तदर्थ जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट हो:

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है, जो—

(१) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, उसका विस्तार या आधुनिकीकरण या नवीकरण करने अथवा उसे चलाने के लिये; या

(२) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये; या

(३) कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन या कृषि-उद्योग के विकास के लिये; या

(४) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिये; या

(५) विपत्ति में सहायता के लिये;

दी जाय;

(ग) "सरकारी कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१७ में यथापरिभाषित गवर्नमेंट कम्पनी से है;

(घ) "औद्योगिक संस्था" का तात्पर्य वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, १९५१ में पद 'इण्डस्ट्रियल कन्सर्न' के लिये दिया गया हो;

(ङ) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण, संग्रहण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल के परिवहन या विद्युत् अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिये, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिये हो;

स्पष्टीकरण:—पद "माल की प्रक्रिया करना" के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर हस्तसाधित, यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युत् या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया कर के किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया है।

(च) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इन्डिया ऐक्ट, १९५५ के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, १९५९ में यथा-पारिभाषित सब्सिडियरी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० के अधीन संघटित सादृश्य नये बैंक अथवा बैंकिंग रेगुलेशन्स ऐक्ट, १९४४ में यथा-पारिभाषित बैंकिंग कम्पनी से है;

(छ) "राज्य द्वारा परोनिधानित योजना" का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा परोनिधानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि या अनुदान देने के लिये अथवा माल को उधार बेंचने या उसके क्रय-विक्रय के लिये अग्रिम धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान की वापसी के लिये अथवा उधार या क्रय-विक्रय पर बेंचे गये माल की कीमत के भुगतान के लिये प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है।

कतिपय देयों की माल-गुजारी की बकाया के रूप में वसूली

३—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बेचे गये या क्रय-विक्रय पर बेंचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध के; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा परोनिधानित योजना के अन्तर्गत, यथा-स्थिति बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध या उसे उधार बेचे गये या क्रय-विक्रय पर बेंचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(ग) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(घ) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तद्धीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी ;

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति—

(१) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे; या

(२) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिए देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त को वापस करने में कोई चूक करे; या

(३) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे, तो राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक, और किसी बैंकिंग कम्पनी की दशा में, उसका स्थानीय एजेन्ट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करके इस अनुरोध के साथ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि उपर्युक्त धनराशि को कार्यवाहियों के व्यय सहित मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाय ।

(२) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।

(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिये कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

अपवाद

४—(१) धारा ३ की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी या किसी बैंकिंग कम्पनी की किसी सम्पत्ति में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य प्रभार द्वारा सृजित किसी स्वत्व पर कोई प्रभाव न पड़ेगा; या

(ख) उक्त धारा में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, उक्त धारा में अभिदिष्ट किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में की गई क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी स्वत्व के सम्बन्ध में कोई वाद लाने में रुकावट न होगी, और न ही किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा ।

(२) यदि धारा ३ में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, बैंकिंग कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी अथवा अन्य किसी प्रभार स्वरूप ग्रस्त है; तो—

(क) माल की गिरवी के प्रत्येक मामले में, सर्व प्रथम गिरवी रखी गई चीज को बेचने की कार्यवाही की जायेगी, और यदि इसका विक्रय आगम देय धनराशि से कम हो, तो अवशेष की वसूली के लिए उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, स्वयं उसे अथवा निगम, सरकारी कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी को देय धनराशि की वसूली को सुरक्षित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो वह गिरवी रखी गई चीज की बिक्री के पूर्व अथवा बिक्री की कार्यवाही करते समय, कारण अभिलिखित करके, निदेश दे सकती है कि देय धनराशि की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाहियां की जायं मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति पर होनेवाले बन्धक, भार अथवा अन्य प्रभार के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम ऐसी सम्पत्ति या जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति में बाकीदार का स्वत्व, उक्त व्यक्ति द्वारा देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही अन्तर्गत के प्रथमतः इस प्रकार बेचा जायगा मानो कि वह मालगुजारी की बकाया हो, तथा तदुपरान्त अन्य कोई भी कार्यवाही केवल तभी की जायेगी जब कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उचित अवधि के भीतर प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा देय सम्पूर्ण धनराशि को वसूलने की कोई सम्भावना नहीं है।

निरसन बंधीकरण

५—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

६—धारा ५ द्वारा लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का निरसन होते हुये भी, और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी राज्य सरकार या निगम या किसी सरकारी कम्पनी या स्टेट बैंक आफ इन्डिया या अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा, अथवा राज्य सरकार या ऐसे निगम, कम्पनी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा, अथवा किसी कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारिक द्वारा, अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त या नियुक्त किये जाने के लिये या तात्पर्यित रिसीवर द्वारा ४ दिसम्बर, १९६५ और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य में की गई अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके अनुसरण में मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी धनराशि की वसूली के लिये जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया या भेजा गया प्रमाण-पत्र, रिसीवर की की कृत नियुक्ति या कृत अन्य कार्यवाहियां भी हैं, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हों, वैध समझी जायंगी और उन्हें इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन या उनके अनुसरण में कृत कार्यवाही या कृत कार्य समझा जायगा।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९७२

७—उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, १९७२ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उच्च न्यायालय की एक फुलबेंच ने सिविल मिसलेनियस रिट संख्या २२०सन् १९६८ में अपने १६ सितम्बर, १९७१ के निर्णय द्वारा १९६५ क लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम को इस आधार पर अवध घोषित कर दिया कि उसे उत्तर प्रदश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० द्वारा पूर्णतया निरस्त करके पुनः अधिनियमित नहीं किया है और दूसर यह कि बन्धक, भार या गिरवी के विषय में सरसरी कार्यवाही की प्रक्रिया द्वारा वसूली के प्राविधान के विकल्प के रूप में वाद दायर करने का प्राविधान बने रहने से और दोनों विकल्पों में से कौन सा अपनाया जाएगा उसके लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त न देने से संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है। इस निर्णय के कारण यह आशंका उत्पन्न हो गई कि वसूली के तमाम मामलों में की जा रही कार्यवाही न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित कर दी जायगी। करों तथा अन्य लोक देयों की वसूली के दृष्टिकोण से यह स्थिति असंतोषजनक थी, अतएव यह निर्णय लिया गया कि १९६५ का अधिनियम पूर्णतया निरस्त करके नया अधिनियम बनाया जाय और उसमें बंधक, भार व ऋणों के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान कर दिया जाय। तदनुसार राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अध्यादेश, १९७२, दिनांक २ मार्च, १९७२ को प्रख्यापित किया। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुनः स्थापित किया जा रहा है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६ एल० ए०—१९७२—८४५ (प्रो०)।